प्रकाशन क्र. ....

शासकीय उपयोग हेतु

भैना जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर (छ.ग.)

भैना जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन : **पी. एल. चौधरी**
क्षेत्र कार्य एवं प्रतिवेदन : **श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती उषा लकड़ा, रूपेश्वर सिंह**
सहयोग : **ओम प्रकाश भास्कर, श्रीमती सरोजनी साह**

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय – सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	पृष्ठभूमि	01–13
अध्याय 2	भौतिक संस्कृति	14–26
अध्याय 3	आर्थिक जीवन	27–50
अध्याय 4	सामाजिक संरचना	51–62
अध्याय 5	जीवन चक्र	63–77
अध्याय 6	राजनैतिक संगठन	78–80
अध्याय 7	धार्मिक जीवन	81–90
अध्याय 8	लोक परम्पराएँ	91–92
अध्याय 9	परिवर्तन	93–97
अध्याय 10	समस्याएँ	98–99

अध्याय 1 पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी की गई अनु. जनजाति की सूची 1950 (संशोधन 1976) को छ.ग.राज्य के गठन के समय क्षेत्रीय बंधन मुक्त कीर, मीणा, पनिका तथा पारधी को अलग कर मध्यप्रदेश के लिए जारी अनु.जनजातियों की सूची को छ.ग.के लिये यथावत जारी की गई है जिसमें 42 जनजातियां सूचीबद्ध है।

सम्पूर्ण राज्य में जनजातियों का विस्तारण पाया जाता है। प्रदेश में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

उत्तरीय क्षेत्र –

इसके अंतर्गत कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर जांजगीर–चांपा जिले सम्मिलित हैं। सरगुजा तथा जशपुर की प्रमुख जनजातियां कोरबा, बिरहोर, खैरवार, उरांव, बिंझवार, कोडार तथा भैना आदि प्रमुख हैं। सरगुजा और रायगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक आदिम जनजाति कोरवा रहते है, जिन्हे 'पहाड़ी कोरवा' कहा जाता है। बिंझवार रायगढ़ की जनजाति है।

मध्य क्षेत्र –

इस क्षेत्र के अंतर्गत धमतरी, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम सम्मिलित हैं यहां की प्रमुख जनजातियां कमार, हल्बा, सौंता, बिंझवार हैं। कंवर, कमार, बिंझवार एवं भतरा रायपुर की जनजातियां हैं।

दक्षिण क्षेत्र –

इसके अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर जिले सम्मिलित हैं। यहां निवास करने वाली जनजातियों में गोंड, हल्बा, माड़िया, हल्बी, अबूझामाड़िया, परजा, कोलम, गदबा तथा भतरा आदि हैं।

जनगणना 2001 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गोंड एवं इसकी उपजातियां पायी जाती है इसके पश्चात कंवर, उरांव, हलबा, भतरा, सवरा, भैना, कोरवा, बिंझवार आदि जनजातियां पायी जाती है।

छत्तीसगढ़ में जिलेवार अनु.जनजातियों की जनसंख्या (2001)

क्र.	जिले का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत जनसंख्या
1	सरगुजा	1972094	1076669	54.6
2	कोरिया	586327	260040	44.4
3	कोरबा	1011823	419889	41.5
4	बिलासपुर	1998355	397104	19.9
5	जांजगीर–चांपा	1317431	153069	11.6
6	रायगढ़	1265529	447703	35.4
7	जशपुर	743160	469953	63.2
8	रायपुर	3016930	365273	12.1
9	महासमुंद	860257	232485	27.0
10	धमतरी	706591	185515	26.3
11	दुर्ग	2810436	348801	12.4
12	राजनांदगांव	1283224	341688	26.6
13	कवर्धा	584552	121957	20.9
14	कांकेर	650934	365031	56.1
15	बस्तर	1306673	866488	66.3
16	दंतेवाड़ा	719487	564931	78.5
	छत्तीसगढ़	**2,08,33,803**	**66,16,596**	**31.76**

जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अन्य जिले की अपेक्षा दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक है।

भैना जाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिचय

भैना जाति फुलझर राज्य का प्राचीन राजवंश रहा है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली विशिष्ट जाति है। यह जनजाति बिलासपुर–रायगढ़ एवं उससे लगे हुए क्षेत्रों में निवासरत है। साथ ही उड़ीसा के संबलपुर बलांगीर जिले में भी अल्प संख्या में इनका निवास है।

यह जनजाति मिश्रित किस्म की मानी जाती है और इनका पदार्पण बैगा एवं कंवर से माना जाता है। इनका बैगा से संबंध में कहा जा सकता है कि मंडला जिले में बैगा के दो उप विभाग है जो 'राय और राज भैना' के साथ–साथ कठ या धार्मिक प्रश्नोत्तर करने वाले भैना के रूप में जाने जाते है। इससे इनकी उत्पत्ति बैगा से मानी जा सकती है। भैना को बैगा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो भूत–प्रेत भगाने एवं उन्हें वश में करने के काम करते है। उनके बारे में कहा जाता है कि 'मैहर की मांझ–भैना की पंग' अर्थात भैना का जादू उतना सच है जितना मैहर फल की भूसी या भस्म, मैहर फल के भस्म को 'गरी' या जाल में लगाकर आसानी से मछली फांसी जा सकती है। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि भैना गांव के जादू–टोने का पुजारी होता है जो मृतक के भूत से, शेर के आतंक से गांव की रक्षा करता है, एवं फसल की रक्षा करता है।

इस प्रकार के कार्य के लिए प्रायः पुराने लोग ही नियुक्त रहते है जो ग्राम के देवी–देवताओं से भली–भांति परिचित होत है। परिणामतः यह सोचने को बाध्य है कि भैना ग्रामीण क्षेत्र के पुराने वासिन्दे है। इसका दूसरा प्रमाण यह है "बिलासपुर का पुराना किला" भैना जाति की ही देन है। बिलाईगढ़ में भी राज्य करने का प्रमाण है। पेंड्रा में भी इनके निवासरत होने का प्रमाण है। जहां वे अधिक संख्या में है। पेंड्रा के बाद में कंवरों का राज्य रहा है। यह भी सत्य है कि भैनों को रायपुर जिले के फुलझर से गोंडों ने निष्कासित कर दिया था।

भैना एक सभ्य समाज है अधिकाधिक हिन्दू रीति रिवाजों को अपनाता है। पवित्र कार्यों में ब्राम्हणों को बुलाते है। ये कृषक है एवं मैदानी भागों में रहते है। पूर्व के बैगा लोगों से कोई संबंध नहीं है। वैवाहिक संबंध मात्र अपनी जाति में ही करते है। शिकार करना पारंपरिक था। इस जाति का पूर्व राजवंशी इतिहास महत्वपूर्ण था। ये सीधे सादे एवं सरल स्वभाव के होते है।

भैना नामकरण पृष्ठभूमि

देवमणी के पुत्र भानुमान स्वच्छन्द विचारों एवं एक क्रूर व्यक्ति थे वे भीलों की एक सेना बना कर अधर्म कार्य करने लगे उनमें राजोचित गुणों का सर्वथा अभाव था।

वे आसुरी आचरण करने लगे। वे प्रायः लूटमार और खोटे विचारों में ही लीन रहते थे। एक समय भानुमान ने अपने भील साथियों के साथ चंडीगढ़ के राजा पावनसाय के ऊपर आक्रमण कर दिया और गुप्त मार्ग से उसके किले पर प्रवेश कर उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्र कुंवरी का अपहरण कर मध्य मदन कोट पर्वत की डरावनी गुफा में छुपा दिया। मदन कोट गुफा में चंद्र कुंवरी को कुछ दिन रखने के पश्चात एक दिन मुण्डाखोह नामक अति सुरक्षित गुफा में सुरक्षित स्थान समझकर रहने लगे। भानुमान ने समस्त दुराचरणों को छोड़ दिया। साथ ही आनंद के साथ चंद्र कुंवरी के साथ उस गुफा में रहने लगे। भील लोग उसकी सेवकाई करने लगे फिर भी भानुमान संशकित रहते थे उसने मुंडाखोह में भारी सुरक्षा व्यवस्था किया था निरन्तर बाहर और भीतर हमेशा पहरा रहता था। इस प्रकार भानुमान सदा प्रसन्न रहने लगे।

भीतर–बाहर पहरेदारी, करहिं मधुर संकेत उचारि।
जब भीतर से पूंछीहिं है भय, ना या हो उत्तर निर्भरय।।

राजा के डर से गुफा के भीतर और बाहर पहरेदारी हुआ करती थी और बहुत मीठे स्वर से संकेत के द्वारा सूचना दी जाती थी अर्थात जब गुफा के भीतर का पहरेदार पूछता था कि 'भय' है क्या? तब बाहर का पहरेदार निडरता से उत्तर देता 'ना' – अर्थात कुछ नहीं।

इसी कहावत परी सुनाई–संकेत ही जाति कहलाई। इस प्रकार यही सांकेतिक शब्द (भय+ना) मिलकर जाति के बोधक बन गए। इस प्रकार भैना नामकरण आज तक चला आ रहा है।

भैनों की उत्पत्ति – भैना वंश तालिका

भानुवंश प्रकाश संहिता के अनुसार – मितध्वज, मिथिला के राजा कृतध्वज के महामंत्री थे। मितध्वज के पुत्र खंडिक महामंत्री बने, इसी क्रम में जब मिथिला के राज कृतिदेव हुए उसने इस परम्परा को बदल दिया।

महामंत्री पद के उत्तराधिकारी देवमणी ने दुखी होकर मिथिला राज दरबार का त्याग कर दिया। वे अपनी पत्नी भानुमती के साथ अमरकंटक के पुण्य क्षेत्र शोण कुण्ड आ गए।

भैनों के वंशानुकम का विवरण :–

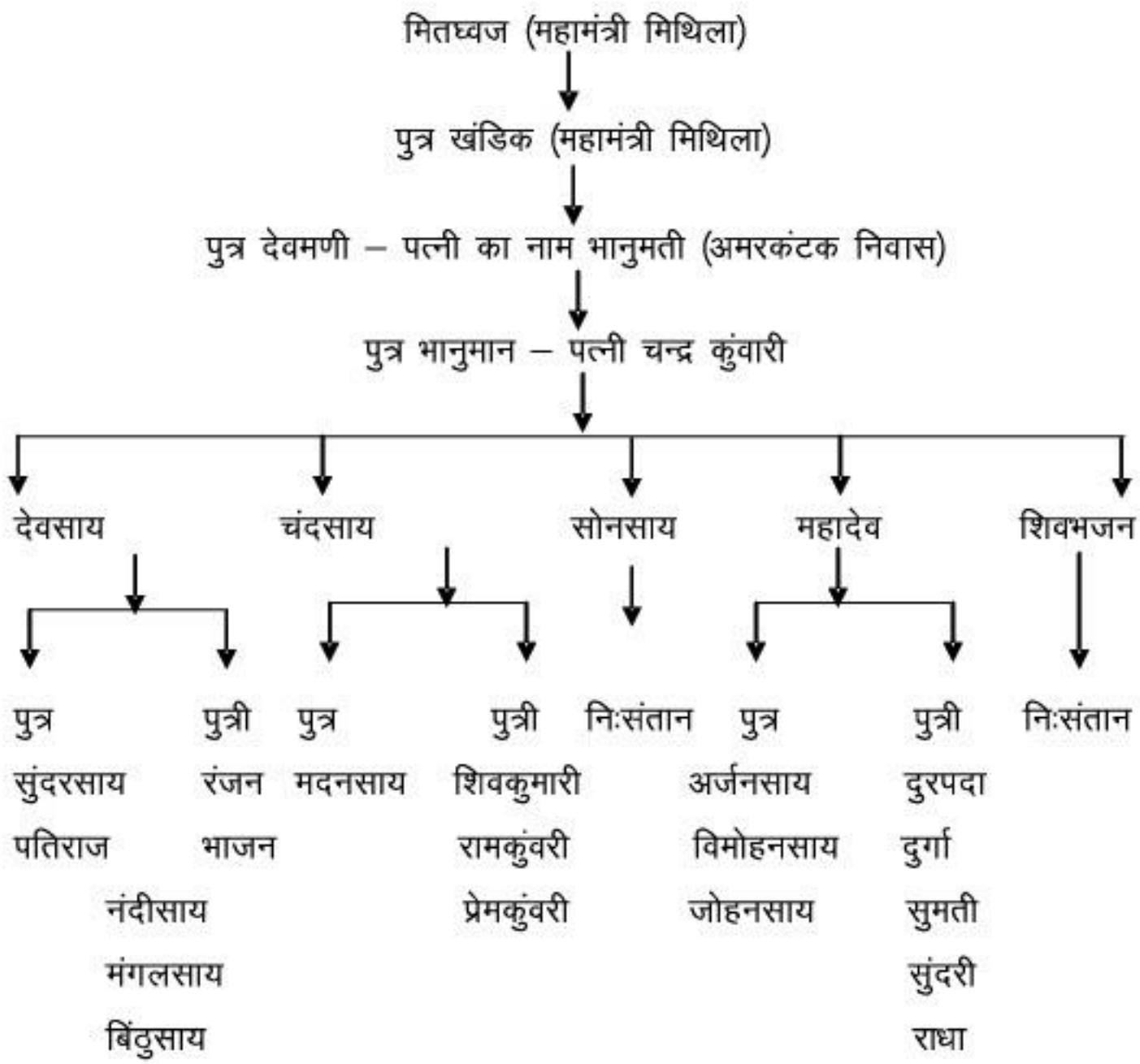

महादेव के पुत्र जोहन साय थे। जोहन साय के पुत्र मंडल नागवंश के पुत्र का नाम जगतसाय था जो मानिकपुर में रहते थे। यही जगतसाय, रतनपुर के राजा जाजल्लदेव के सेनापति थे, जिसने जाजल्लदेव के राज्य की सीमा का विस्तार किया था एवं भैना राजत्व की नींव डाली थी।

भानुवंश प्रकाश संहिता के अनुसार भैना जाति में बहुत से राज प्रमुख हुए थे, जो शुद्ध, वैदिक आचरण करते थे एवं ब्राम्हणों को दान पुण्य करते थे, कुछ ने वैदिक आचरण के विपरीत कार्य किया था। सोनसाय राजा धार्मिक विचार के थे।

भैना जाति का इतिहास पूर्व से ही गौरव पूर्ण रहा है। भैनों के पूर्वजों में भानुमान के कार्य काल में कुछ विकृति का उल्लेख मिलता है किन्तु उनकी पत्नी चंद्रकुंवरी के कारण उनमें सदविचारों का समावेश हुआ। भानुमान अपने कृत्यों से पश्चाताप करने लगे, उन्हें अपने पुत्रों की दशा देखकर बहुत चिन्ता हुई उनके पुत्रों में मात्र सोनसाय ही योग्य निकले। शेष तीनों पुत्र मदिरा–मांस में लिप्त थे, कांलातर में भैनाजाति–भानुमान के नाम से भानुवंशी कहलाने लगे।

भैना इतिहास में सती प्रथा

किवंदतियों के अनुसार बूढ़ाडोंगर शिशुपाल पर्वत पर फुलझर के अंतिम प्रमुख राजा की सात रानियां थी। राजा के युद्ध में प्राणान्त होने पर उनकी रानियों ने भयंकर घोड़ा धार झरने से कूदकर सती धर्म का पालन किया था।

वर्तमान में प्राचीन गढ़ केना, उक्त ग्राम के मध्य में सती दाई नामक एक देवी की सामान्य प्रस्तर खंड के रूप में पूजा की जाती है। उक्त सती दाई भी पूर्वकालीन किसी सामन्त राजा की रानी रही होंगी, जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात सती धर्म का पालन किया होगा, क्योंकि उक्त स्थान केना गढ़ के समीप ही है। पूर्व काल में उक्त सती स्थल पर भैना राज परिवार का श्मशान घाट रहा होगा। उक्त स्थल का सती नाम पूर्वकालीन किसी रानी के सती होने की प्रबल संभावना बनती है। भैना राजाओं में सती प्रथा का प्रचलन था।

फुलझर का भैना राजवंश

भैना जाति का प्राचीन इतिहास विशेषकर फुलझर में गौरव पूर्व रहा है–यह जाति गोंड़ राजवंश के पूर्व धमतरी, बिलासपुर, पेंड्रा, बिलाईगढ़, रायगढ़, सारंगढ़ एवं फुलझर, भटगांव आदि राज्यों में शासन करता था। इनका शासन काल फुलझर राज्य पर लगातार 18 पीढ़ियों तक रहा।

बिलाईगढ़ भी सन् 1951–52 के पहले एक बड़ी जमींदारी का केन्द्र था। यह एक बिस्मय की बात है कि इस ग्राम को बिल्ली का किला बिलाईगढ़ कहा जाता है और इसका संबंध भैना से जोड़ा जाता है, जो किसी समय फुलझर के राजा थे। कथा में कहा जाता है कि भैनों ने पहले धमतरी पर कब्जा किया और उस स्थान की रक्षिका देवी को बिलाईमाता का नाम दिया, जो उनकी कुल देवी थी।

कहा जाता है कि उस काल में सारंगढ़ राज्य में भैना जाति के राजा राज्य करते थे। सारंगढ़ रियासत लेखक ऋशि राजपांडे के अनुसार–सारंगढ़ के समीप भैनार नामक ग्राम है जिसे भैना राजाओं ने बसाया होगा, गोड़ राजाओं के उत्कर्ष काल तक इनका शासन सारंगढ़ में था। भैना जाति के राजा, रतनपुर नरेश, पृथ्वी देव के समय तक मांडलिक के रूप में शासन करते रहे। इस बात की गुंजाइस है कि पुजारीपाली शिलालेख में वर्णित गोपाल देव इसी वंश का रहा होगा। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस वंश की वंशावली अब तक अप्राप्त है। इसका दूसरा प्रमाण यह कि बिलासपुर का पुराना किला भैना जाति की ही देन है और इस जाति का बिलाईगढ़ में भी राज्य करने का प्रमाण है। पेंड्रा में भी निवासरत होने का प्रमाण है।

भैनों के विस्तृत क्षेत्रों में से पेंड्रा को कंवरों ने पुनः अपने अधीन कर लिया। भैना जाति राजवंशी थे अपने धार्मिक उत्सवों में ब्राम्हणों की उपस्थिति को बहुत सम्मान देते थे। गोड़ों के साथ उनका संबंध मधुरतापूर्ण नहीं था। उड़ीसा के बिंझवार एवं संवरा जाति से उनका सामाजिक जीवन था। वे कंवरों से भोजन प्राप्त करने में संकोच नहीं करते थे।

पिरदा गढ़ में हीराचंद भैना राजा की कथा सुनने को मिलती है जिनकी रानी परम सुंदरी थी। गोंड आक्रमण के फलस्वरूप विश्वासघात के कारण उनकी हत्या हो गई थी। किन्तु रानी का कोई उल्लेख सुनने को नहीं मिलता, संभवतः रानी ने भी वंश परम्परा के अनुसार सती धर्म का पालन किया। ग्राम भोथल डिही में दहना पाट नामक एक देवी की सामान्य स्थापना है जिसकी पूजा ग्रामवासियों के द्वारा की जाती है, इसी प्रकार ग्राम तोरेसिंह में जगदलेन पाट देवी की प्रमुखता से पूजा की जाती है– संभवतः ये महान महिलाएं भैना कालीन शासन में वैभवपूर्ण गरिमामय स्थान रखती थीं जिससे लोग उन्हें देवी के रूप में मानते आ रहे है। पूर्व काल में राजा–रानी की भगवान के रूप में मानने की परम्परा थी। लोग उन्हें पाट प्रमुख के रूप में मानते हैं पूर्व में उन्हें बलिदान के रूप में बकरों की बलि दी जाती थी क्योंकि उक्त कालखंडों में बलिदान को सम्मान के रूप में माना जाता था।

भैना राजवंशों के गढ़

पूर्व भैना राजवंशों के द्वारा निर्मित गढ़ इस प्रकार है :–

1. केना गढ़
2. कुटेलागढ़
3. पोड़गढ़
4. बिलाईगढ़
5. गढ़फुलझर
6. मनकीगढ़
7. गढ़पटनी
8. भंवरपुर गढ़
9. कोटगढ़
10. गढ़गांव
11. पिरदागढ़
12. अमरकोट
13. नंवागढ़
14. डेब्रीगढ़
15. पेलागढ़
16. रांफेलगढ़
17. गढ़भांटा
18 सिंघोड़ा।

भौगोलिक पृष्ठ भूमि

भैना जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर तथा मुंगेली आदि जिलों में निवासरत है। जनसंख्या की दृष्टि से भैना जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा जिले में निवासरत है।

भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उत्तरी आदिवासी क्षेत्र रायगढ़, कोरबा जिलों में, मध्य आदिवासी क्षेत्र जांजगीर चांपा, बिलासपुर जिलों में, भैना जनजाति निवासरत हैं।

भैना जनजाति के लोग जंगली उपज संग्रह के साथ–साथ स्थायी कृषि कार्य भी करते है भैना जाति विकाससील जनजातियों के समूह में आने वाली जनजाति है जो कि विकसित होकर शासकीय सुविधाओं का समुचित उपयोग कर रही है। इनका सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के कई जातियों के समकक्ष पहुंच चुकी है।

क्षेत्र एवं स्थिति :–

भैना जनजाति का क्षेत्र मुख्यतः जिला रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा तथा बिलासपुर, मुंगेली है। संक्षिप्त में इनके क्षेत्र एवं स्थिति के बारे में जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है।

जिला–रायगढ़

रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का एक पूर्वी जिला है जिसकी सीमाएं पूर्व में ओडिशा प्रान्त, उत्तर पूर्व में झारखंड प्रांत के गुमला जिले से लगती है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7086 वर्ग कि.मी. है। रायगढ़ जिले में 06 तहसीले, 09 विकासखण्ड, 05 विधानसभा क्षेत्र, 05 नगर, 01 नगरपालिका, 04 नगर पंचायत, 09 जनपद पंचायत एवं 673 ग्राम पंचायते है। जिले का 3330 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। जिला रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहते है।

जिला– कोरबा :–

दक्षिण पूर्वी रेल्वे के हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रायगढ़ एवं बिलासपुर स्टेशन के बीच स्थित चांपा जंक्शन से मात्र 40 कि.मी. की दूरी पर औद्योगिक नगरी जिला कोरबा स्थित है। यह नगर कोयला क्षेत्र में स्थित है एवं देश विदेश में विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की "उर्जा नगरी" है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6598 वर्ग कि.मी. है। जिले में 04 तहसीले, 05 वि.ख., 03 विधानसभा क्षेत्र, 01 नगर निगम, 05 नगर, 01 नगर पंचायत, 05 जनपद पंचायत एवं 347 ग्राम पंचायते है, जिले का वन क्षेत्र 4187 वर्ग कि.मी. है।

जिला–सरगुजा (अंबिकापुर)

सरगुजा वनों से आच्छादित छत्तीसगढ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है। यह नाम "स्वर्गजा" का भ्रंश है, स्वर्गजा अर्थात स्वर्ग की तनजा स्वर्ग की ऐश्वर्य गाथा रामायण कालीन संस्कृति से प्रभावित सरगुजा में श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित निवास किया था।

अंबिकापुर पूर्वी सरगुजा जिले का मुख्यालय है, बिलासपुर से सड़क मार्ग द्वारा इसकी दूरी लगभग 240 कि.मी. है। अंबिकापुर छ.ग. के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर है। अंबिकादेवी के नाम पर इसका नाम अंबिकापुर पड़ा। जिले का

भौगोलिक क्षेत्रफल 15722 वर्ग कि.मी. है। जिले में कुल 05 तहसीले, 19 विकासखण्ड, 08 विधानसभा क्षेत्र, 04 नगर, 01 नगरपालिका, 02 नगर पंचायते, 19 जनपद पंचायते एवं 977 ग्राम पंचायते है जिले का कुल वन क्षेत्र 8375 वर्ग कि.मी. है।

जिला जशपुर :–

जिला–जशपुर ईसाईयों का तीर्थ कुनकुरी, रायगढ़ से लगभग 167 कि.मी., पत्थलगांव से 56 कि.मी. तथा जशपुर नगर से 44 कि.मी. की दूरी पर '' कुनकुरी'' का आकर्षण है प्रदेश का विशाल महा गिरिजाघर मिश्रित शिल्प का प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च अंचल का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5838 वर्ग कि. मी. है, जिले में 04 तहसीले, 08 विकासखण्ड, 03 विधान सभा क्षेत्र, 02 नगर, 02 नगर पंचायत, 08 जनपद पंचायते एवं 710 ग्राम पंचायते है। जिले का कुल वन क्षेत्र 2752 वर्ग कि.मी. है।

जिला–जांजगीर–चांपा :–

बिलासपुर चांपा रेल मार्ग पर 45 कि.मी. की दूरी पर जांजगीर है जाजल्लदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने नाम एक नगर बसाया था, जहां मंदिर एवं तालाब भी बनवाये थे, उसका नाम था जाजल्लपुर, वर्तमान में जांजगीर ही उस स्थान के नाम से जाना गया है। चांपा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर बिलासपुर से रेलमार्ग द्वारा 53 कि.मी. तथा सड़क मार्ग द्वारा 28 कि.मी. दूरी पर समुद्र तल से 500 मी. की ऊंचाई पर हसदेव नदी के तट पर बसा यह नगर अपने बांस, कोसा (रसर) तथा कंचन (पोना) से निर्मित वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3853 वर्ग कि.मी. है। जिले में कुल 08 तहसीले, 09 विकासखण्ड, 06 विधानसभा क्षेत्र, 08 नगर, 02 नगरपालिका, 06 नगर पंचायत, 09 जनपद पंचायते एवं 528 ग्राम पंचायते है। यहां कुल 250 वर्ग कि.मी. में वनक्षेत्र है।

जिला–बिलासपुर (अविभाजित) :–

बिलासपुर नगर छत्तीसगढ़ में 22'5 उत्तरी अक्षांश एवं 82'10 पूर्वी देशांतर पर अरपा नदी के तट पर बसा है। इसकी समुद्री तट से ऊंचाई 853 फीट है। प्राचीनकाल में यह क्षेत्र रतनपुर राज्य के अन्तर्गत आता था, रतनपुर में रत्नदेव द्वितीय के समय वर्तमान बिलासपुर के स्थान पर घना जंगल था, जहां केवट जाति के कुछ परिवार थे,

किंवदंती के अनुसार एक बार महाराज रत्नदेव आखेट हेतु इस वन क्षेत्र में आये, शिकार का पीछा करते हुये उनके कुछ सैनिक आगे निकल गये तथा केंवट की बस्ती में पहुंचकर चना बेचने वाली "बिलासा" (बिलसिया) नाम की कन्या से उन्होने दुर्व्यवहार किया, जिस पर आत्मग्लानि से भरी बिलासा ने आत्मदाह कर लिया इस घटना की जानकारी होने पर राजा ने दोषी सैनिकों को कठोर दण्ड दिया तथा प्रायश्चित स्वरूप उस सती के नाम पर उसी स्थान पर बिलासा ग्राम बसाया, वही बिलासा ग्राम कालान्तर में बिलासपुर के नाम से एक नगर के रूप में स्थापित हुआ। बिलासपुर जिले का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 6377 वर्ग कि.मी. है, जिले में कुल 08 तहसीले, 10 विकासखण्ड, 09 विधानसभा क्षेत्र, 12 नगर, 01 नगरनिगम, 01 नगरपालिका, 08 नगर पंचायतें, 10 जनपद पंचायते, एवं 1539 ग्राम पंचायते है। जिले का कुल वन क्षेत्र 3476 वर्ग कि.मी. है।

जनसंख्या

भैना जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों में वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार है :–

जिलेवार जनसंख्या की स्थिति

क्र.	राज्य/जिला	जनसंख्या			दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001–11	स्त्री–पुरूष अनुपात (प्रतिहजार पुरूष स्त्रियों की संख्या)	जनसंख्या धनत्व वर्ग कि. मी. 2001–11
		व्यक्ति	पुरूष	महिला			
राज्य	**छत्तीसगढ़**	**25545198**	**12832895**	**12712303**	**22.6**	**991**	**189**
1	सरगुजा	2359886	1193129	1166757	19.74	978	150
2	जशपुर	851669	424747	426922	14.65	1005	146
3	रायगढ़	1493984	750278	743706	18.02	991	211
4	कोरबा	1206640	612915	593725	19.25	969	183
5	जांजगीर–चांपा	1619707	815717	803990	23.01	986	420
6	बिलासपुर	2663629	1351574	1312055	33.21	971	322

उपरोक्तानुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला–बिलासपुर (अविभाजित) है एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जशपुर है। जनसंख्या वृद्धि दर बिलासपुर में सर्वाधिक एवं जशपुर जिले में सबसे कम है कोरबा जिले में सबसे कम स्त्री पुरूष का अनुपात है प्रति हजार पुरूषों में स्त्रियों की संख्या 969 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जांजगीर–चांपा एवं सबसे कम धनत्व वाला जिला जशपुर है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

भैना जनजाति क्षेत्र के जिलों में अनु.जाति एवं जनजाति जनसंख्या की स्थिति निम्न तालिका अनुसार है :–

क्र.	जिला	अनु.जाति का प्रतिशत	अनु.जनजाति का प्रतिशत
1	रायगढ़	13.97	36.81
2	कोरबा	09.99	43.13
3	जांजगीर–चांपा	22.36	12.22
4	बिलासपुर	19.09	02.49
5	जशपुर	07.16	65.38
6	सरगुजा	04.77	56.72
	छत्तीसगढ़	**12.80**	**30.60**

उपरोक्तानुसार सबसे अधिक (65.38 प्रतिशत) अनु.जनजाति जनसंख्या वाला जिला जशपुर एवं सबसे कम अनु.जनजाति जनसंख्या वाला जिला बिलासपुर है इसी प्रकार सर्वाधिक अनु.जाति जनसंख्या वाला जिला जांजगीर–चांपा एवं सबसे कम अनु.जाति जनसंख्या वाला जिला सरगुजा है।

छ.ग. राज्य में अनु.जाति जनसंख्या का प्रतिशत 12.80 एवं अनु.जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 30.60 है।

क्षेत्र में निवासरत अनु.जनजातियां

भैना जनजाति क्षेत्र के जिलों में निवासरत अनु.जनजातियां निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	अनु.जनजातियां
1	बिलासपुर	गोंड, कंवर, बैगा, भैना, अगरिया, धनवार, नागवंशी, कंडरा, राजगोंड, परधान, पथारी, पारधी, सौंता आदि
2	कोरबा	गोंड, भैना, कंवर, धनवार, माझी, मझवार, पारधी,बहेलिया, कोडाकू, सौंता आदि
3	रायगढ़	गोंड, कंवर, मैना, भारिया, भूमिआ, बिंझवार, धनवार, खरिया, कोडाकू, माझी, मसवार, सौंता, आदि
4	जशपुर	गोंड, कंवर, अगरिया, बिरहुल, बिरहोर, कोरवा, कोडाकू, माझी, मझवार, मुण्डा, नगेशिया, उरांव, धानका, धनगड़ आदि
5	सरगुजा	गोंड, कंवर, अगरिया, भूमियां, पांडो, बिंझवार, बिरहुल, बिरहोर, खैरवार, कोरवा, कोडाकू, माझी, मझवार, मुण्डा, नगेशिया, उरांव , धनका, धनगड़ आदि

अध्याय–2 भौतिक संस्कृति

ग्राम एवं घरो की बनावट :–

भैना जनजातियों का ग्राम अलग से न होकर अन्य जनजातियों/अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों से साथ निवास करते है। कुछ गांवों में भैना जनजाति के लोगो का पारा–टोला होता है। ग्राम की बसाहट लगभग सभी ग्रामों में समान है। ग्राम में लगभग 20–25 घर एक साथ कतार में होते है। घरों के बीच रास्ता होता है जिसकी चौड़ाई लगभग 15–20 फुट होती है। ग्राम लम्बवत, आयताकार और गोलाकार रूप में बसा होता है। कतार नुमा घरो के बीचों बीच सड़क होती है। अर्थात सड़क के दोनो तरफ इनके घर बने होते हैं।

ग्राम में बड़ा चबूतरा बना होता है जहां चबूतरा नहीं होता वहां खुला मैदान होता है जहां ग्राम की बैठक, नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। ग्राम में मंदिर तथा देवी–देवताओं का स्थान भी होता है, कही–कही ग्राम के बाहर तालाब भी देखा गया जहां कुछ लोग स्नान करते है एवं मवेशियों (पशुओं) को पानी पिलाते है। वर्तमान में पंचायती राज्य होने के कारण ग्रामों में प्रायः स्कूल, पंचायत भवन आदि का निर्माण किया गया है।

घरों से खेतों की दूरी प्रायः कम होती है ग्राम के पास ही पहाड़ी नाले, नदी या झरने होते है। ग्राम में आम, पीपल, बड़, नीम, जामुन, नीबू, इमली, कटहल, अमरूद आदि वृद्ध पाये जाते हैं।

भैना जनजाति की ग्राम की बसाहट कही कही पर समूहीकृत एवं कही कही पर बिखरी हुई है।

भैना जनजाति के लोग घर का निर्माण स्वयं करते है। ऐसा कोई निश्चित दिन या समय नहीं होता बल्कि किसी भी दिन ये लोग अपने घर के निर्माण की शुरूवात करते है। कुछ ही लोग विशेष दिन या तिथि का विशेष ध्यान रखते है। ये लोग स्वयं की भूमि या शासकीय भूमि में नारियल, अगरबत्ती, गुड़, तेल का दिया जलाकर लकड़ी का खुंटा गड़ाकर सिंदूर आदि लगाकर आग में गुड़ का हुम देकर पूजा करते है। तत्पश्चात जिस आकार का घर बनाना हो उस आकार का चौड़ा व लंबाई के

अनुरूप नींव खोदते हैं। नींव खोदने के पश्चात मिट्टी में धान का पैरा/भूसा मिलाकर इसे पानी डाल कर अच्छी तरह से तैयार कर नींव में भर देते है। एक–दो दिन सूखने के बाद फिर प्रतिदिन मिट्टी में पानी भूसा/पैरा मिलाकर तैयार रखते है। दूसरे दिन इसकी सहायता से लगभग एक फीट की ऊंची दीवार बनाते है। दिन में प्रतिदिन दीवार सूखता जाता है। दूसरे दिन इसी प्रकार मिट्टी चढ़ाते जाते हैं। दरवाजा के स्थान पर रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। लगभग 7–8 फीट ऊंचाई होने पर दीवार को सूखने दिया जाता है। तत्पश्चात इसके ऊपर लगभग 02 फीट गोलाई का घर के चौड़ाई से थोड़ी अधिक लंबी लकड़ी रखते है। दरवाजा के ऊपर लकड़ी लगाकर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाकर दीवार के रिक्त भाग को भी पूरा कर लिया जाता है। लगभग 4–5 फीट दीवार पुनः बनाते है। दीवार के सबसे ऊपरी भाग को चौकोर न रखकर गोलाकार कर दिया जाता है। जिससे इसके ऊपर लकड़ी की बल्ली या बांस सही रूप से रखा जा सके। मकान के बीच की दीवार सबसे ऊंची है शेश सामने पीछे की दीवार बीच की दीवार से लगभग 2 से 3 फीट नीचे होती है। ताकि पानी के ढलान दिया जा सके। दीवारों पर लकड़ी की बल्ली या बांस लगाया जाता है एवं छत खपरैल या घास से ढक दिया जाता है। तत्पश्चात लकड़ी के दरवाजे कंडी, खम्भा या चौखट आदि बनाकर घर में लगाते है। दरवाजे में सांकल व चौखट में कुंदा लगाते है, जो लोहे का बना होता है। नया घर बनने के बाद देवी–देवताओं के नाम नारियल चढ़ाकर घर की पूजा आदि करते है व निकट संबंधियों को जो गांव में रहते है खाना भी खिलाते है। वर्तमान में कुछ संपन्न लोग पूजा हेतु ब्राह्मण को भी बुलाते है।

मकान में आकार के अनुसार इसमें रहने की व्यवस्था होती है मकान में सामने भाग में परछीनुमा भाग होता है। बीच के कमरे बड़े होते है उसमें ही अनाज रखने की कोठी, देवी–देवता का स्थान, कपड़ा लटकाने हेतु बांस या रस्सी बंधी होती है। मियान के ऊपर बांस या लकड़ी डालकर मचान बना लिया जाता है। यहां अनाज कृषि के औजार आदि भी रखते है। रसोई बनाने के लिये अलग कोई रसोई का कमरा नही होता। घर के पीछे के भाग में परछी में ही कोने में रसोई बनाया जाता है। पशुओं के लिये घर के बगल में लकड़ी से घेरकर "कोठा" बनाया जाता है जहां जानवरों

(पशुओं) रखा जाता है। कोठा में बड़े पशु गाय, बैल, भैंस आदि बांधे जाते है। बकरी आदि को परछी में प्रायः रखते है जिनके घर में बड़े पशु न हों तो वे कोठे में बकरी बांधते है। कोठा के सामने अंदर खुले में ही मिट्टी या पत्थर की या लकड़ी का बड़ा सा डोगा (डोंगी) होता है जिसमें पशुओं को पानी पिलाया जाता है।

घर के पीछे भाग में बाड़ी बनाते है जिसमें हरी साग–सब्जी जैसे भाजी, बैंगन, भिण्डी, टमाटर, आलू आदि लगाते है। मुर्गियों को रखने के लिये घर के बाहर कुकरी (मुर्गी) कुटी बनाते है।

घर की साफ सफाई नियमित की जाती है घर के फर्श को गोबर से लीपा जाता है तथा दीवारों को चूने या छुही मिट्टी से पोता जाता है।

घर की स्वच्छता सफाई व सजावट :–

घर की दीवार में मिट्टी से प्लास्टर कर गोबर व पीली मिट्टी से लीपते हैं। तत्पश्चात इसमें पीली या सफेद मिट्टी से पुताई करते है। त्यौहारों के अवसर जैसे नवाखाई, दीपावली आदि अवसरों में घर के दीवारों की पुताई चूने से या छुही मिट्टी से की जाती है। इसी प्रकार कोई उत्सव, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि के समय भी घर की पुताई करते है। घर की दीवारों में सजावट हेतु विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते है। कई घरों में नीला–लाल आदि रंगों से फूल, तोता, हाथी आदि आकृति बनाया जाता है। प्रातः काल प्रतिदिन उठकर घर की स्त्रियां रसोई घर के चूल्हे से राख बाहर निकालती है। तत्पश्चात रसोई घर, कमरे, परछी, आंगन को झाड़ू लगाती है। गोबर व मिट्टी के घोल से चूल्हे व रसोई तथा परछी कमरे आदि को लीपती है। लीपने का यह कार्य प्रतिदिन न कर 3–4 दिनों में एक बार करते है। आंगन लगभग सप्ताह में एक बार लीपते है। पशुओं को कोठे से बाहर निकालकर गोबर, मूत्र, आदि उठाकर घर के पीछे बाड़ी के किनारे पर डालते हैं तत्पश्चात कोठा में झाड़ू लगाते है। बचे हुये राख, घर का कूडा–करकट आदि को भी बाड़ी के एक कोने में एकत्र कर दिया जाता है। वर्षा के पहले इसे खाद के रूप में अपने खेतों में डालते है।

सजावट व पूजा आदि के लिये देवी–देवताओं की तस्वीरे घर में फेम व कांच में रखकर या कैलेण्डर के रूप में कमरे की दीवारों पर टांगते है। कुछ परिवारों में स्वयं

व परिवार की फोटो, सिनेमा अभिनेता, अभिनेत्री की फोटो कलेण्डर आदि सजावट हेतु लगाया जाता है।

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई :–

भैना जनजाति के लोग सुबह जल्दी उठकर पानी से मुंह तथा आंख धोते है। तत्पश्चात बबूल, नीम, करंज आदि की लकड़ी से दातौन करते है। छोटे बच्चों का मुंह पानी से साफ करते है। वर्तमान समय में 7–8 वर्ष के उम्र से अधिक के बच्चे, युवक, युवतियां बाजार में उपलब्ध मंजन, पेस्ट आदि को उपयोग करने लगे है। जीभ की सफाई दातौन को बीच से फाड़कर उपयोग करते है। युवक–युवतियां जीभ की सफाई बाजार से उपलब्ध स्टील से बनी जीभी से करते है। शौंच हेतु लोग जंगल में या नाले, नदी, तालाबों आदि के किनारे जाते है। वर्तमान में कही–कही घर में शौचालयों का उपयोग भी होने लगा है। शौचालय के लिये शासन से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ ग्रामीण लोगो को दिया जा रहा है। जिसका लाभ कुछ लोगो के द्वारा लिया जाने लगा है। स्नान हेतु लोग नदी, नाले, झरने, झीरा, या कुंआ का उपयोग करते है। नहाने में साबुन उपयोग करने लगे है। बहुत कम लोग ही साबुन का उपयोग नही करते। कपड़े धोने में बाजार से उपलब्ध कपड़े धोने का पाउडर, साबुन आदि का उपयोग होने लगा है।

पुरूष अपनी दाढ़ी मूंछ, बाल आदि स्वयं काटते थे परन्तु अब ग्राम में उपलब्ध नाई की सेवाएं लेने लगे है। लड़कियों व स्त्रियों के बाल कटवाये नही जाते। कभी कभी लड़कियों के सिर में घाव या जू हो जाने पर सिर के बाल कटवाते है। बाल धोने के लिये स्त्रियां एवं पुरूष व बच्चे पूर्व में चिकनी मिट्टी का उपयोग करते थे परन्तु वर्तमान में साबुन से भी सिर धोने लगे है। पुरूष व बच्चे नहाते समय प्रत्येक बार सिर भिगाते है परन्तु स्त्रियां सिर धोते समय ही सिर भिगोती है। शेष नहाते समय बालों को नही भिगोती। बालों में तेल का उपयोग किया जाता है जो बाजार में उपलब्ध है। नाखून काटने के लिये पहले हंसिया, चाकू व दातो का प्रयोग किया जाता था परन्तु अब लोग ब्लेड या नेलकटर से नाखून काटते हैं।

साज श्रृंगार :–

नहाने के पश्चात पुरूष–स्त्रियां व बच्चे अपने शरीर में तेल लगाते है जिसे बाजार से खरीदा जाता है पूर्व में स्त्रियां व बच्चे आंखों में काजल लगाते थे परन्तु वर्तमान में यह बहुत कम ही उपयोग करते है। जिन परिवारों में काला वस्त्र या वस्तु निषेध होती है उस परिवार में काजल का उपयोग नही किया जाता है। वर्तमान में सुहागिन स्त्रियॉ मांग में सिंदूर लगाती है। माथे पर बाजार से खरीदी हुई बिंदी (टिकली) लड़कियां व विवाहित स्त्रियां लगाती है। सुहागिन स्त्रियां कांच की रंगीन चुडियां दोनो कलाईयों में पहनती है। लड़कियां, प्लास्टिक की चुडिया या कंगन पहनती है। तीज त्यौहार के अवसरों पर या मंदिर जाते समय स्त्रियां अपने पैरों में आलता (माहुर) लगाती हैं।

भैना जनजाति में लड़कियों के कान व नाक बचपन में छेद लिये जाते है कान–नाक पूर्व में घर के किसी सदस्य द्वारा ही छेद लिया जाता था परन्तु वर्तमान में सुनार लोग बाजार में या गांव में आकर बाली या मशीन के द्वारा नाक–कान छेदते हैं। कुछ पुरूषों को कान में बाली पहनते भी देखा गया।

आभूषण :–

भैना जनजाति की स्त्रियां गहने पहनने की शौकीन होती है। सोने, चांदी, गिलट, पीतल कांच, प्लास्टिक व रेशम के आभूषण आदि पहनते है जो अंगो के अनुसार नीचे सारणी में दर्शाये जा रहे है :–

क्र.	नाम	निर्मित वस्तु/धातु	उपयोगकर्ता	पहनने का स्थान
1	बिछियां	चांदी/गिलट	स्त्री (विवाहित)	पैर की ऊंगली
2	तोड़ा	चांदी/गिलट	स्त्री	पैर
3	पैरपट्टी	चांदी/गिलट	स्त्री	पैर
4	करधन	चांदी/गिलट	स्त्री	कमर
5	मुंदरी	सोना/चांदी	स्त्री/पुरूष	हाथ की ऊंगली

क्र.	नाम	निर्मित वस्तु/धातु	उपयोगकर्ता	पहनने का स्थान
6	चूंडी/ चूडा	कांच/प्लास्टिक	स्त्री/बच्चे	हाथ की कलाईयों
7	ककनी	चांदी/गिलट	स्त्री	हाथ की कलाईयों
8	सरिया	चांदी/गिलट	स्त्री	गले में
9	हंसली	चांदी/गिलट	स्त्री	गले में
10	हार	सोना/चांदी	स्त्री	गले में
11	चेन	सोना/चांदी	स्त्री	गले में
12	पोत	कांच की मोती व धागा	स्त्री	गले में
13	पायल	चांदी	स्त्री	पैर की कलाईयों
14	टाप	सोना/चांदी	स्त्री या लड़कियां	कान में
15	एरिंग	सोना/चांदी	स्त्री या लड़कियां	कान
16	लौंग	सोना/चांदी	स्त्री या लड़कियां	नाक
17	नथ	सोना/चांदी	स्त्री या लड़कियां	नाक
18	बाली	सोना/चांदी	स्त्री/पुरूष/लड़किया	कान

गोदना :–

भैना जनजाति की महिलायें में शरीर पर गोदना गुदवाने की प्रथा बहुत अधिक है। मान्यता है कि गोदना स्त्रियों का गहना होता है। मृत्यु पश्चात शरीर के सभी आभूषण निकाल दिये जाते है किन्तु "गोदना" शरीर के साथ जाता है। इसे अलग नही किया जाता। इन महिलाओं के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर में गुदना होता है वह मरने के बाद एक बार अपने परिवार से मिलने अवश्य आता है। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों एवं पति के मिलने की चाह में गुदना गुदवाती हैं। गोदना गोदने का कार्य गांव में या बाजार में गोदना गोदने वाली जाति की स्त्रियां करती है। गोदना गुदाने में

दर्द होता है किन्तु स्थाई आभूषण का शौक इन्हे दर्द सहन करने हेतु प्रेरित करता है। आकृतियों में फूल, पक्षी, बिच्छु, मोर आदि गुदवाते है। वर्तमान में पुरूषों में भी गुदना गुदवाने का शौक बढ़ा है वे अपने हाथों के बाजू में हनुमान, शिव, दुर्गा माता आदि की आकृति बनवाते है।

वस्त्र विन्यास व कपड़े :–

भैना जनजाति में वस्त्र निम्न सारणी में दर्शाये गये है :–

भैना जनजाति के वस्त्र विन्यास

क्र.	नाम	उपयोग (पहनने)	उपयोगकर्ता
1	फ्राक	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़कियां
2	शर्ट	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़के व नवयुवक
3	चड्डी	शरीर के नीचे भाग पर	छोटे लड़के लड़कियां नवयुवक–युवतियां व पुरूष
4	हॉप पेंट	शरीर के नीचे भाग पर	छोटे लड़के नवयुवक
5	बनयान	शरीर के ऊपरी भाग में	छोटे लड़के नवयुवक
6	फुलपेंट	शरीर के नीचे भाग में	नवयुवक
7	अंगिया	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़कियां व स्त्रियां
8	ब्लाऊज	शरीर के ऊपरी भाग में	स्त्रियां
9	लुगड़ा	शरीर में लपेटकर पहनने	स्त्रियां
10	साड़ी	शरीर में लपेटकर पहनने	नवयुवतियां
11	स्कर्ट	शरीर के नीचे भाग में	स्कूली छात्राएं
12	धोती	शरीर के नीचे कमर से घुटने तक	पुरूष

क्र.	नाम	उपयोग (पहनने)	उपयोगकर्ता
13	कुर्ता	शरीर के ऊपरी भाग में	पुरूष
14	सलवार	शरीर के नीचे भाग में एड़ी तक	युवतियां
15	कुर्ती	शरीर के ऊपरी भाग में	युवतियां
16	दुपट्टा	शरीर में लपेटकर	युवतियां
17	लुंगी	शरीर के नीचे भाग	नवयुवक/पुरूष
18	लंहगा	शरीर के नीचे भाग	स्त्रियां
19	गमछा	हाथ–मुंह पोछने	नवयुवक/पुरूष/वधु
20	टावेल	हाथ–मुंह नहाने	लड़के/पुरूष

भैना जनजाति के बच्चे, युवा व वृद्ध स्त्री–पुरूष अनेक प्रकार के कपड़े अपने शिक्षा स्तर, व्यवसाय व आर्थिक स्थिति अनुसार पहनते हैं। इसके अतिरिक्त ओढ़ने–बिछाने के कपड़ो में चादर कंबल, गुदड़ी, रजई आदि होते है।

रसोई में उपयोग बर्तन :–

भोजन बनाने के लिये लोहे पीतल, स्टील आदि धातु से निर्मित बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इनके बर्तनों के नाम, निर्मित धातु व उपयोग नीचे दिये गये है :–

भैना जनजाति के बर्तन

क्रमांक	बर्तन का नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	हड़िया (हण्डी)	मिट्टी	पानी भरने
2	गुंड (घघरा)	पीतल	पानी रखने
3	कढ़ाई	एल्युमिनियम	सब्जी बनाने
4	गंजी	स्टील	भात बनाने
5	भगोना	पीतल/एल्युमिनियम	चावल बनाने, पानी रखने

क्रमांक	बर्तन का नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
6	तवा	लोहा	रोटी बनाने
7	करछी	स्टील	परोसने
8	लोटा	स्टील/कांसा	पानी रखने
9	थाली	स्टील	खाना खाने
10	गिलास	स्टील	पानी पीने
11	डेचकी	एल्यूमिनियम/स्टील	पानी रखने/खाना बनाने
12	टोकरी	बांस	सब्जी रखने
13	छनौटा	स्टील तार	छानने
14	चम्मचें	स्टील	खाना परोसने

अन्य उपकरण :–

रसोई घर में भोजन बनाने एक मुंह या दो मुंहा मिट्टी का चुल्हा होता है। मिट्टी एवं भूसा मिलाकर एक फुट या डेढ़, फुट ऊंचा अंग्रेजी के "यू" आकार का होता है। दो मुहां में दो चुल्हे सम्मिलित रूप से होते है। हरी सब्जी रखने के लिये बांस से निर्मित टोकनी होती है। आटा एवं चावल रखने के लिये स्टील का डिब्बा होता है। रोटी बेलने हेतु बेलन चौकी जो लकड़ी से निर्मित होती है रखते है। सब्जी काटने हेतु हँसिया का उपयोग करते है। हल्दी, मिर्च, मसाले आदि पीसने के लिये सील–बट्टी जो पत्थर से बनी होती है रखते है। दाल को गलाने हेतु "दाल घोटनी" लकड़ी की होती है इसके अतिरिक्त झारा, करछुल, फूंकनी, चिमटा आदि सामान भी रसोई घर में रखने को मिलते है।

कृषि, शिकार, मछली पकड़ने आदि औजार व उपकरणः–

कृषि, शिकार व मछली पकड़ने संबंधी औजारों के नाम निर्मित वस्तु एवं उनके कार्य निम्नानुसार दर्शाये गये है :–

कृषि :–

क्र.	नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	हल (नागर)	लकड़ी / लोहा	खेत जोतने
2	बखर	लकड़ी / लोहा	खेत जोतने
3	जुआड़ी	लकड़ी	बैलों को हलबखर में जोतने में
4	बैलगाड़ी	लकड़ी / लोहा	अनाज ढुलाई व यात्रा हेतु
5	कुल्हाडी	लोहा	लकड़ी काटने
6	कुदाली (गैती)	लोहा	भूमि खोदने
7	फावड़ा	लोहा	घास छिलने, मिट्टी उसने
8	बौनी	लकड़ी	हल में लगाकर बीज बोने
9	हसियां	लोहा, लकड़ी	फसल / घास काटने
10	दतारी	लकड़ी	मिट्टी को समान करने
11	सब्बल	लोहे	मिट्टी खोदने / गढ़ढा करने

शिकार :–

क्र.	नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	जाल	नायलोन	मछली पकड़ने
2	चोरिया	बांस	मछली पकड़ने
3	फंदा	नायलोन	पक्षी पकड़ने
4	कमान	बास / रस्सी	शिकार हेतु
5	तोर	लोहा / बांस / पंख	शिकार हेतु
6	गुलेल	लकड़ी / रस्सी	शिकार हेतु
7	फरसा	लोहा / लकड़ी	शिकार व सुरक्षा

घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं :–

1. **सूपा** :– बांस से बना हुआ जिसमें चावल, गेंहू तथा अन्य अनाज साफ करने के लिये उपयोग किया जाता है।
2. **जाता (चक्की)** :– पत्थर से निर्मित दो पाये जिसमें दाल व अनाज दाल पीसा जाता है।
3. **ढेकी** :– लकड़ी का बना हुआ जिसमें धान कूटने के काम आता है यह प्रायः हर घर में उपयोग होता है।
4. **मूसल (सुअल)** :– लकड़ी का बना नीचे लोहा लगा धान कूटने के काम आता है समय समय पर अन्य वस्तुएं भी इसमें कूटी जाती है।
5. **खुमरी** :– बास व पत्तों से बना होता है जिसका उपयोग वर्षा होने पर पुरूष वर्ग करता है।
6. **मोराः**– बांस व पत्तों से निर्मित सूप आकार का वर्षा में इनका उपयोग स्त्रियां करती है।
7. **टोकरीः**– बांस से निर्मित अनाज रखने के काम आती है।
8. **झाड़ू (बहरी)** :– घास, बांस, छींद से बनी जो घर की सफाई हेतु उपयोग होती है।
9. **चलनीः**– लोहे से बना छिद्रयुक्त जिससे अनाज साफ किया जाता है।
10. **कंडीलः**–टीम का बना रोशनी हेतु जलाने के लिये उपयोगी इसमें कांच लगा होता है। वर्तमान में बहुत कम उपयोग इसकी जगह बिजली का उपयोग किया जाने लगा है।
11. **दियाः**– बिना कांच का टीन/मिट्टी का बना या खाली बोतल का उपयोग भी दिये के रूप में करते है। जिसमें मिट्टी का तेल भरा होता है। वर्तमान में जब बिजली गुल हो जाती है तभी इसका उपयोग करते है।

वाद्य यंत्र :–

भैना जनजाति में निम्न वाद्य यंत्र पाये जाते है :–

1. ढोल, 2 मांदर, 3 नगाड़ा, 4 तबला, 5 मंजीरा, 6 झांझ, 7 बंजरी, 8 हारमोनियम आदि।

उक्त वाद्य यंत्र प्रत्येक परिवार में नहीं होता है बल्कि किसी–किसी परिवार व सामाजिक तौर पर रखा जाता है।

परिवहन के साधन :–

पहले यात्रा पैदल व बैलगाड़ी से करते थे। अनाज, लकड़ी आदि बैलगाड़ी से जाते थे। वर्तमान में यात्रा सायकल, मोटर सायकल, बैलगाड़ी (बहुत कम), बस, ट्रक, जीप आदि में बैठकर करते हैं।

भोजन :–

भैना जनजाति में भोजन के रूप में मुख्यतः भात (चावल) का प्रयोग करते है। भात के साथ–साथ टमाटर की चटनी खाना पसंद करते है। चावल के आटा से बना अंगाकर चीला, जिसमें घिसे हुये मूली, बचे हुए चावल आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रमुख भोजन है। गर्मी के दिनों में ये रात्रि में बचे हुये चावल (भात) को पानी में डालकर रख देते है और सुबह इस पानी वाले भात जिसे यहां "बासी" कहा जाता है इसे आचार, नमक, चटनी के साथ बड़े ही चाव से खाते है। इस बासी के साथ इन्हे सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती। खेत जाने वाले लोग प्रायः इसे खाकर खेतों में कार्य के लिये सुबह निकल जाते है दोपहर तक इन्हे भूख नही लगती।

जंगली उत्पादकों में महुआ, आम, चार, तेंदू, आंवला आदि खाते है। वर्तमान में लोग चावल के साथ–साथ गेहूं खरीदकर गेंहू की रोटी भी खाने लगे हैं, सब्जी के रूप में दाल, उड़द दाल, आलू, मौसमी सब्जी, जंगली शाक, मूल आदि का उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त पक्षियों जैसे मुर्गी–मुर्गा, तीतर, बटेर, कबूतर, मांस मछली, छोटे पशुओं में बकरी, हिरण, खरगोश का मांस भी खाते है।

भोजन प्रायः दोपहर व रात्रि में किया जाता है। बच्चों व पुरूषों को खिलाने के पश्चात ही स्त्रियां भोजन करती है। भोजन में मिर्च, नमक का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। सब्जियों में मौसम अनुसार लौकी, कुम्हड़ा, करेला, बैगन, टमाटर, सेम, भिण्डी, चौलाई, गोभी, आदि का उपयोग करते है। त्यौहारों के अवसरों पर जैसे नवाखाई, हरेली, दीवाली, आदि अवसरों पर घरों में मिठाई, अनरसा, खुरमा, खीर–पुड़ी, बड़ा आदि पकवान बनाये जाते है।

मादक वस्तुओं का उपयोग :–

भैना जनजाति में मुख्य रूप से "मंद" जो कि महुआ से निर्मित रस से बनाया जाता है का उपयोग होता है साथ ही "कोसना" जिसे चावल को सड़ाकर बनाया जाता है का भी उपयोग करते है। मंद एवं "कोसना" का उपयोग स्वयं तो करते है इसका विक्रय भी करते है।

वृद्ध लोग गांजा, तेंदू पत्ते से बनी बीड़ी का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तम्बाकू चूने के साथ–साथ पान खाना भी पसंद करते है कुछ लोग गुडाखू का उपयोग भी करते है। पूर्व में इन सभी वस्तुओं का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था, परन्तु वर्तमान समय में इनका उपयोग कम होने लगा है। कुछ स्थानों पर मादक वस्तुओं का उपयोग अनेक रस्मों रिवाजों में जरूरी होता है।

अध्याय–3 आर्थिक जीवन

सम्पत्ति :–

भैना जनजाति में दो प्रकार की संपत्ति चल एवं अचल संपत्ति की अवधारणा है। अचल संपत्ति के अन्तर्गत भूमि, मकान, वृक्ष आदि आते हैं। जबकि चल संपत्ति के अन्तर्गत पशुधन, नगद रूपये पैसा, कपड़ा, घरेलू उपयोगी वस्तुएं, गहने आदि वस्तुएं आती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संपत्ति में अपना ज्ञान, कला, जादू–टोना, तंत्र–मंत्र आदि को मानते है। जिसे बेचा नहीं जा सकता है, परन्तु इसके द्वारा धन व प्रतिष्ठा अर्जित किया जा सकता है। इसका बंटवारा भाईयों में नहीं किया जा सकता। चल व अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी पिता के पुत्रों को मिलता है। लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। यदि पुत्र न हो तो पिता की संपत्ति लड़कियों में बराबर बांट दी जाती है। यदि किसी लड़की व उसके पति को घर जमाई रखा जाता है तो उसे संपत्ति मिलती है। निःसंतान व्यक्ति अपने बड़े भाई व छोटे भाई के पुत्र को दत्तक पुत्र बनाकर रखता है और संपत्ति उसे देता है। संपत्ति का बटंवारा ग्राम व जाति समाज के व्यक्तियों के समक्ष होता है इसे पंच कहा जाता है यदि माता–पिता जीवित हों तो उनके लिये अलग से जमीन का हिस्सा निकाला जाता है, यदि किसी भाई बहन का विवाह न हुआ हो तो विवाह हेतु भी अलग से जमीन पशु अनाज निकालकर शेष भाग भाईयों के बीच बांट दिया जाता है। माता–पिता यदि कार्य करने योग्य हो तो लोग अलग रहते है या अविवाहित पुत्र–पुत्रियों के साथ रहते है। यदि सभी संतानों का विवाह हो गया हो तो अपने इच्छानुसार अपने हिस्से की जमीन के साथ किसी भी लड़के के साथ रह सकते है।

माता–पिता की मृत्यु पश्चात जमीन बची होने पर उसे सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है। लड़कियों को जमीन आदि में कोई हिस्सा नहीं किया जाता है। जमीन के बंटवारे के समय बड़े पुत्र को सड़क के सामने की जमीन एवं छोटे पुत्रों को सड़क से दूर वाली जमीन का हिस्सा दिया जाता है। इसी प्रकार मकान के हिस्सा में भी बड़े पुत्र को मकान का बड़ा कमरा (भाग) एवं छोटे पुत्रों को छोटा कमरा (भाग) दिया जाता है। कुछ परिवारों में यह भी पाया गया है कि बड़े पुत्र को जमीन का बंटवारा करते समय कुछ भाग अधिक दिया जाता है।

आर्थिक संरचना :–

भैना जनजाति की आर्थिक संरचना निम्नांकित कार्यो पर आधारित है :–

1. कृषि
2. कृषि मजदूरी
3. वनोपज संग्रहण
4. पशुपालन
5. शिकार
6. मछली पकड़ना
7. जंगल मजदूरी – अन्य मजदूरी एवं स्थानान्तरण मजदूरी
8. शासकीय/अशासकीय नौकरी

कृषि कार्य :–

भैना जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है इनके खेतों में धान, उड़द, मक्का, कोदो, गेंहू, मूंगफली, सूरजमुखी, मूंग, सेम आदि साग–सब्जी की उपज होती है।

धान (चावल) :–

धान की खेती मुख्यतः समतल जमीन में की जाती है। जून–जुलाई में इसकी बुआई होती है। धान की खेती दो प्रकार से की जाती है प्रथम जमीन में हल चलाकर इसे पाटा–दतारी से समतल किया जाता है एवं इसमें धान का छिड़काव किया जाता है। बारिश होने पर जब धान की बाढ़ थोड़ी बढ़ जाती है तब इसकी गुडाई–निदाई की जाती है 4–5 माह बाद धान की फसल कटने योग्य हो जाती है। दूसरे प्रकार में धान को खेतों में कुछ सीमित स्थान पर धान का छिड़काव किया जाता है धान का छिड़काव थोड़ा घना होता है तत्पश्चात इसे हल या बखर से मिला दिया जाता है इसे धरा कहा जाता है बरसात होने पर जब पौधा 20–25 दिनों का हो जाता है तब पुनः इसे खोदकर रोपते है रोपने के पूर्व जमीन को हल से जोतते है कीचड़ को समतल करने के पश्चात इसे कुछ दूरी के अन्तराल में इसे रोपा जाता है। इस पद्धति से धान की मात्रा अधिक होती है ऐसा माना जाता है। समय–समय पर निर्धारित मात्रा अनुसार खाद की मात्रा डाली जाती है जिससे धान की फसल अधिक मात्रा में ली जा सके।

04–05 माह अर्थात अक्टूबर–नवंबर माह में फसल तैयार हो जाती है। फसल पकने पर इसे स्वयं परिवार की सहायता या मजदूरी लगाकर काटकर अपने खेत के खलियान में लाया जाता है। मिजाई कर इसे बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर की सहायता से घर लाया जाता है आवश्यकता अनुसार धान से चावल बनाकर परिवार के बीच में पकाकर खाया जाता है।

मक्का :–

मक्का की खेती मुख्यतः ढलान वाली पहाड़ी जमीन में किया जाता है। जेठ–आसाढ़ माह में जमीन पर गोबर की खाद फैलाकर जमीन में दो–बार हल चलाया जाता है तत्पश्चात इसमें समतल करने पाटा–बखर चलाते हैं। बीज छिड़ककर बोते है फिर मिलाने के लिये पुनः हल चलाया जाता है। मक्के की फसल बढने पर एक या डेढ़ माह के पश्चात इसकी निदाई की जाती है। कुछ लोग दो या ढाई माह में पुनः निंदाई करते है क्वार में फसल लगभग पक कर तैयार हो जाती है। धूप में सुखाकर इसमें दाने निकाल लेते है। इसे पीसकर रोटी बनाकर खाया जाता है।

मूग–उड़दः–

उड़दः–मूंग–उड़द की खेती के लिये जेठ–आसाढ़ में जमीन की दो–बार हल से जुताई की जाती है समतल करने इसके ऊपर पाटा–बखर चलाकर बीज बोया जाता है क्वार में फसल पकने पर इसे काटकर घर ले आते है। सूखने के बाद लकड़ी से पीटकर दाने निकालते है उसे सूपे से साफ कर दाल बनाकर खाते हैं।

तुअरः–

तुअर की खेती ज्वार आदि के साथ–साथ की जाती है। बोने की पद्धति ज्वार के समान होती है। गरमी में जमीन में गोबर की खाद डालकर फैलाया जाता है। जेठ–आसाढ़ में दो बार पाटा–बखर चलाया जाता है। बीज छिड़कर पुनः बीज ढकने हेतु हल से कम गहरी जुताई की जाती है। वर्षा में पानी की बौछार के साथ–साथ पौधे उगकर बढ़ने लगते है बाद में एक माह बाद खेतों की निदाई कर घास पतवार बाहर निकाल देते है। कार्तिक अगहन में तुआर में फूल आ आता है व माघ पूस में पककर फसल तैयार होने पर काटकर घर ले आते है। लकड़ी से पीटकर दाने अलग कर साफ कर लेते है।

गेहूः–

जमीन की जुताई क्वार–कार्तिक माह में 2–3 बार कर बखर चलाकर गेंहू का बीज बाते हैं। पानी की उपलब्धता अनुसार 3–4 बार सिंचाई की जाती है। फसल पकने पर काट लिया जाता है। इसकी मिजाई बैलों के द्वारा की जाती है। फिर इसे हवा में उड़ाकर साफ कर लिया जाता है। गेंहू के आटे से रोटी बनाकर खाया जाता है।

सब्जीः–

भैना जनजाति के लोग वर्षा ऋतु में मौसमी, सब्जियां जैसे, लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर, भिण्डी, सेम, बरबटी, करेला, मिर्च आदि सब्जी घर के पीछे व बाड़ी में लगाते है। कुछ घरों में मुनगा का पेड़ भी होता है। सीताफल, अमरूद, नीबू, आदि फलों के वृक्ष भी घर में लगाते है।

फसलों की बीमारियां :–

फसलों की बीमारी में धान में माहों, मक्का में इल्ली, माहों, जुवार में माहों, तना छेदक, दीमक, कोदो–कुटकी में दीमक, गेंहू में गेरूआ, उड़द, मूंग तुवर में इल्ली आदि रोग पाये जाते है। रोगोपचार हेतु इन जनजाति में कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम मात्रा में नही के बराबर किया जाता है। शासन द्वारा प्राप्त कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कुछ किसान लोग अब करने लगे है। फसलों की बीमारियों से रक्षा हेतु ये लोग देवी–देवताओं की पूजा पाठ, मान्यता, तंत्र–मंत्र का सहारा लेते है।

कृषि मजदूरी :–

भैना जनजाति में जिन परिवारों के पास खेती की जमीन बहुत कम होती है या जो भूमिहीन होते है वे लोग गांव में या दूसरे गांव में कृषि मजदूरी करते है। कृषि मजदूरी वर्षभर या माह के अन्तराल में की जाती है, जिसके बदले में अनाज या नकद रूपये प्राप्त होते हैं। मजदूरी करने वालों को नौकर भी कहा जाता है। दैनिक कृषि मजदूरी में स्त्री तथा पुरूष दोनों मजदूरी करने जाते है। कृषि मजदूरी के अन्तर्गत ग्राम में या अन्य ग्राम में जिनके पास खेती अधिक होती है उनके खेतों में जमीन साफ करना, मेढ़ में मिट्टी भरना, हल चलाना, धान रोपना, निदाई, गुड़ाई करना, खाद

डालना, फसल की कटाई, मिंजाई करना आदि कार्य किया जाता है। बदले में उन्हे दिन में एक वक्त का 50 रूपयें एवं दिनभर कार्य का 100 रूपये दिया जाता है। अतिरिक्त मजदूरी उसके कार्य पर निर्भर रहती है, यदि कार्य भारी मेहनत वाला होता है तो मजदूरी के अतिरिक्त उन्हे कुछ रूपयें दिये जाते है। कभी–कभी खेत में कार्य करने का ठेका दिया जाता है जिसे करने के लिये समय निर्धारित किया जाता है जिसके बदले एक मुश्त राशि उन्हे दी जाती है।

वनोपज संग्रहण :–

अन्य जनजातियों की तरह कंवर जनजाति के लोग भी वनोपज संग्रह कर बाजार में बेचते है। दिसंबर माह से फरवरी तक आंवला, हर्रा, संग्रह कर वन विभाग को बेचते है। तेंदूपत्ता संग्रह का कार्य अप्रैल, मई माह में करते है। इसे शासकीय तेंदू पत्ता संग्रहण केन्द्रों में बेचा जाता है। मार्च अप्रैल माह में महुआ बीनने का कार्य, आम तोड़ने व एकत्र करने कार्य कर स्थानीय बाजार में बेचते है। जून में महुआ की गुल्ली जिसका तेल निकालकर उपयोग भी करते है एकत्र किया जाकर स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त साल, चार–चिरौजी, जामुन, कोसम, लाख, करेंज, बीज, बहेड़ा आदि भी एकत्र कर सप्ताहिक बाजार में बेचते हैं। शहद का छत्ता जंगलों से मिलने पर शहद भी निकालते है, जिसे स्वयं उपयोग करते हैं एवं बेचते भी है।

पशुपालन :–

भैना जनजाति के लोग गाय, बैल भैंस–भैंसा, बकरी–बकरा, आदि जानवर पालते है। पशुओं को रखने का स्थान कोठा कहलाता है जहां पशुओं को रस्सी द्वारा लकड़ी के खूंटे से बांधा जाता है पानी पिलाने के लिये डोंगी होती है यह पत्थर या लकड़ी की बनी होती है। पशुओं की नस्ल देशी होने के कारण दूध का उत्पादान कम होता है। पशुओं को खिलाने के के घास, कूशा, खली आदि दिया जाता है वर्षा से ठंड तक हरी घास काटकर खिलाते है। पशुओं को जंगल में चराने के लिये भी ले जाते है।

बकरी को बेर, पीपल, बुलर आदि की पत्ती खिलाते है। गाय एवं भैंस का पालन दूध बेचने एवं बछड़े हेतु किया जाता है। बैल का पालन कृषि कार्य एवं बकरा बकरी का पालन खाने एवं बेचने हेतु किया जाता है।

पशुपालन के साथ–साथ कंवर जनजाति के लोग मुर्गीपालन भी करते है। मुर्गी–मुर्गा स्वयं ही दाना चुगते हैं कभी–कभी अनाजों की कनकी आदि दिया जाता है। घरों में देशी नस्ल के ही मुर्गी–मुर्गा पालते है। मुर्गी–मुर्गा के बड़े होने पर इन्हे खरीदने घर पर ही अन्य लोग आ जाते है। अधिक होने पर इन्हे निकट के बाजार में बेचा जाता है देवी–देवताओं की पूजा व जादू–टोना करने में बलि देने के लिये भी मुर्गी–पालन किया जाता है।

वर्तमान समय में मुर्गी पालन बहुत कम देखा गया है। पूर्व में कंवर जनजाति के प्रत्येक परिवार मुर्गी पालन करते थे परन्तु वर्तमान में बहुत कम परिवार ही इन्हे पालते है।

शिकार :–

भैना जनजाति के लोग अन्य जनजाति के लोगों के साथ मिलकर, जंगली सुअर, चीतल, खरगोश, बारहसिंगा, कोटरी आदि का शिकार करते थे परन्तु वर्तमान में शासन द्वारा प्रतिबंध होने के कारण शिकार करना बंद हो गया है। जंगलों में गिलहरी, चूहा, पक्षियों में तीतर, बटेर, पड़की आदि का शिकार कर खाया जाता है।

मछली पकड़ना :–

नदी–नालों में वर्षा ऋतु में जब पानी बहने लगता है और नदी नालों की मछलियां ऊपर चढ़जाती है तो पानी के बहाव को थोड़ा रोककर नदी नालों में बांस से निर्मित "कुमनी" लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जाल से भी नदी में मछली पकड़ते है। छोटे छोटे गड़ढ़ो से पानी बाहर फेंक कर व नदी नालों के गड्ढ़ों व दरारों में हाथों से भी मछली पकड़ते है। मछली पकड़ने का कार्य पुरूष व महिला दोनो करते है। क्वार में जब मछलियां अधिक पकड़ लेते है तो इन्हे आग जलाकर थोड़ा भून कर सूर्य की घूप में सुखाते है तथा किसी वस्तु में भरकर रखते है। ग्रीष्म ऋतु में इसे खाते है।

जंगल मजदूरी, अन्य मजदूरी व स्थानान्तरण मजदूरी :–

वन विभाग द्वारा व अन्य विभागों द्वारा जंगल में वृक्ष रोपण, खुदाई, सड़क निर्माण कार्य, स्टापडेम निर्माण, लकड़ी की कटाई आदि कार्यो के लिये मजदूरी पर इन्हें बुलाया जाता है। इन्हे साप्ताहिक मजदूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त घर

बनाने, बढ़ाई कार्य करने ईंट पत्थर ढोने, आदि के लिए इन्हें दूसरे काम में मजदूरी करने जाना होता है।

वार्षिक कार्य विवरण :–

भैना जनजाति का माह अनुसार कार्यो का विवरण निम्नलिखित है :–

वार्षिक कार्य

क्र.	माह	कृषि	वानिकी	अन्य
1	जनवरी	धान मिसाई का कार्य	लकड़ी एकत्र करना	मजदूरी
2	फरवरी	धान मिसाई का कार्य	जंगली कंदमूल एकत्र करना	मजदूरी
3	मार्च	धान की सफाई	महुआ संग्रहण	मजदूरी
4	अप्रैल	–	चार–चिरौंजी संग्रह	मजदूरी
5	मई	खेत मरम्मत कार्य, तैयार करना	तेदूपत्ता संग्रहण	खपरा निर्माण (कपेलू)
6	जून	खेतों में गोबर खाद डालना	साल बीज एकत्र करना	मजदूरी
7	जुलाई	धान बोआई, रोपा लगाना	कुसुम बीज संग्रहण	घर मरम्मत
8	अगस्त	धान की निंदाई	मशरूम एकत्र करना	मजदूरी एवं परहा (रोपा) लगाना
9	सितम्बर	धान की निंदाई	–	मजदूरी व नवाखानी की तैयारी

क्र.	माह	कृषि	वानिकी	अन्य
10	अक्टूबर	धान पौधों की देखभाल	माहुल पत्ता संग्रह	मजदूरी
11	नवंबर	धान की कटाई	माहुल पत्ता संग्रह	मजदूरी
12	दिसंबर	धान की मिसाई	लकड़ी एकत्र करना	मजदूरी

दिनचर्या :–

पुरूष : –

पुरूष सुबह 5 या 6 बजे उठकर बैलों को कोठे से बाहर आंगन या घर के पीछे बांधता है। दूध देने वाली गाय को भी बाहर निकाल कर बांधता है। उसे घास–भूसा आदि खाने को व पानी देता है। बैलों को भूसा आदि खिलाता है। बैलों को खेतों में हल चलाने ले जाता है दोपहर साढ़े ग्यारह या 12 बजे घर वापस बैलों को लेकर आता है। नहाने–धोने के पश्चात खाना खाकर तीन बजे तक आराम करते है। पुनः तीन बजे खेतों में जुताई हेतु बैलों को लेकर जाते है तथा संध्या 5 या 6 बजे जुताई कर घर वापस आते है। वर्षा ऋतु को प्रातः 5–6 बजे उठकर जानवरों को घास पानी आदि देकर दातुन शौच आदि से निवृत्त होकर बासी खाने के बाद खेत में काम पर चले जाते है। दोपहर का खाना खेत पर ही खाते है। फसल कटाई व मिजाई के समय सुबह 05 बजे उठते है तथा 08 बजे तक कार्य करते रहते है।

शाम को काम से लौटने के पश्चात गांव में गुड़ी में एकत्रित होते है, आपसी चर्चा, परिचर्चा, दिनभर के कार्य, आपसी परेशानी, खेती बाड़ी आदि के बारे में चर्चा कर 8 बजे खाना खाकर पड़ोसी व मित्रों के घर साथ बैठकर बाते करते है। लगभग 9 साढ़े नौ बजे तक सो जाते है।

स्त्री : –

स्त्रियां सुबह 5 बजे उठकर मुंह धोकर घर की सफाई करती है। रसोई घर के चूल्हे से राख बाहर निकालकर आंगन घर आदि में झाड़ू लगाती है। बर्तन साफ कर पानी भरती है। आग जलाकर पूरे परिवार के लिये चाय नाश्ता बनाती है। तत्पश्चात खाना बनाने बैठ जाती है। खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर स्वयं एवं पति की खाना

लेकर खेत जाती है एवं काम करने लगती है। दोपहर में पति के साथ आकर पुनः खाना खाकर घर का बर्तन आदि साफ करती है। साढ़े तीन या चार बजे पुनः पानी लेकर खेत जाती है संध्या लौटने पर रात्रि का भोजन बनाती व बच्चों तथा पति को खिलाकर स्वयं खाती है। घर के अन्य कार्य समाप्त कर सो जाती है।

लड़के लड़कियां : –

7–8 वर्ष के उम्र में लड़के जानवरों को घास देना, पानी पिलाना, बाहर निकालना बांधना आदि कार्य करने लगते है। छोटे भाई बहन को संभालने लगते है। 12–13 वर्ष की उम्र में पिता से खेती का कार्य सीखना प्रारंभ कर देते है। 15–16 वर्ष की उम्र में हल चलाना, गोड़ी जोतना, आदि सीख जाते है। कटाई, निंदाई, मिजाई आदि का कार्य भी सीख जाते है।

लड़कियॉ 5–6 वर्ष की उग्र में बर्तन मांजना, धोना, झाड़ू लगाना, पानी देना आदि सीख जाती है। छोटे भाई–बहनों को संभालती है गाय–बैल को चारा आदि देती है। 8–9 वर्ष की होने पर छोटे–छोटे बर्तनों में पानी लाना सीखती है। रोटी सब्जी दाल आदि बनाने का कार्य सीखना प्रारंभ कर देती है। 10–11 वर्ष में स्वयं खाना बना लेती है। 12–13 वर्ष की उम्र में मां के साथ खेती का कार्य, जंगली उपज संग्रहण, तेदूपत्ता तोड़ना आदि का कार्य सीखती है। 15 वर्ष की उम्र तक प्रायः सभी कार्य सीख जाती है।

लड़के–लड़कियां भी प्रातः 6 बजे जागकर माता–पिता के समान कार्य करते है किन्तु सायंकाल या दोपहर में लड़के दोस्तों के साथ व लड़कियां सहेलियों के साथ खेलने गपशप करने चली जाती है वर्तमान में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है बच्चे अध्यापन करने स्कूल जाते है।

वृद्धावस्था में दिनचर्या : –

वृद्धावस्था में शारीरिक कार्यो की अपेक्षा बुद्धि का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर अधिकांशतः लड़के को व बहुओं को मार्गदर्शन, निर्णय आदि देते रहते है। 60–65 वर्ष के उम्र होने पर लड़कों के बच्चों को संभालना, घर की रखवाली मेहमानों का स्वागत, घरेलु व ग्राम संबंधी निर्णय देना, सलाह देना

आदि कार्य करते है। वृद्धाएं खाना, बनाना, घर की रखवाली करना बच्चों को संभालना आदि कार्य करते है।

श्रम विभाजन : –

भैना जनजाति में स्त्री–पुरूषों में कार्यो का श्रम विभाजन निम्नलिखित है :–

भैना पुरूष व स्त्रियों में श्रम विभाजन

क्रमांक	कार्य	पुरूष	स्त्री
1	**घर का कार्य**	नहीं	हां
	क. रसोई बनाना	नहीं	हां
	ख. पानी भरना	नहीं	हां
	ग. घर की सफाई/लीपना	नहीं	हां
	घ. बच्चों को नहलाना, खिलाना	नहीं	हां
2	**पशुपालन**		
	क. गाय बैल को चारा देना, बांधना	हां	हां
	ख. गाय बैल को नहलाना	हां	नही
	ग. दूध गरम करना, छाछ दही बनाना	नहीं	हां
3	**घर निर्माण व मरम्मत**		
	क. दीवार बनाना, मिट्टी लाना, छपाई	हां	हां
	ख. छप्पर बनाना, खपरैल बनाना	हा	नहीं
4	**खेती कार्य**		
	क. हल, बखर, पाटा चलाना	हां	नहीं
	ख. बीज व खाद छिड़कना	हा	नहीं
	ग. निदाई, कटाई, घर लाना	हां	हां

क्रमांक	कार्य	पुरूष	स्त्री
	घ. मिंजाई, साफ करना	हा	हा
	ड. गाड़ी चलाना	हां	नहीं
	च. घास काटना	हा	हा
5	**अन्य कार्य**	**पुरूष**	**स्त्री**
	क. लकड़ी काटना	हां	नहीं
	ख. मजदूरी करना	हा	हां
	ग. कुंआ खोदना	हां	हा
	घ. जंगली उपज संग्रह	हा	हां
	ड. शिकार पर जाना	हां	नही
	च. मछली पकड़ना	हा	हां

बाजार व्यवस्था :–

भैना जनजाति क्षेत्रों में हर बड़े गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है। प्रत्येक ग्रामीण अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इस हाट बाजारों से खरीदते है। दैनिक वस्तुओं में साबुन, तेल, सोडा, तम्बाकू, शक्कर, मसाला, बर्तन, साग–सब्जी, कपड़े आदि प्राप्त करते है। जिनके पास रूपयें पैसों की कमी होती है वे अपनी उपज जैसे धान वनोपज जैसे–महुआ, तेदुपत्ता आदि का विनिमय कर वस्तुएं प्राप्त करते है। जो वस्तुएं इन्हे साप्ताहिक बाजारों से प्राप्त नही होती उसे ग्राम से लगे शहर में जाकर खरीदते है। ग्रीष्म ऋतु में अनाज खरीदने हेतु सप्ताहिक बाजार में जाते है। जंगली उपज जैसे आंवला, चिरौंजी, गोंद, लाख आदि को साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों के पास बेचते है हर्रा, तेंदूपत्ता को वन विभाग के संग्रहण केन्द्रों में जाकर बेचते है। महुआ व गुल्ली को आवश्यक मात्रा में रखकर शेष मात्रा को भी स्थानीय बाजारों में बेचते है।

भैना जनजाति की वर्ष 2014–15 में बिलासपुर संभाग में कुल 120 परिवारों का किया गया है जो नीचे प्रस्तुत किय गये सारणियों में स्पष्ट किया जा रहा है :–

तालिका – 01

सर्वेक्षित परिवारों में लिंग अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण 2014

क्र.	विवरण	कुल संख्या	प्रति शत	प्रति परिवार संख्या
1	पुरूष	265	55.91	
2	स्त्री	209	44.09	
	योग	**474**	**100 .00**	
कुल सर्वेक्षित परिवार – **120**				

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में स्त्रियों की संख्या के अपेक्षा पुरूषों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। पुरूषों का प्रतिशत 55.91 एवं स्त्रियों का प्रतिशत 44. 09 है। सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार व्यक्तियों की संख्या 03–04 के आसपास है।

तालिका – 02 शैक्षणिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	198	74.72	114	54.55	312	65.82
2	अशिक्षित	67	25.28	95	45.45	162	34.18
	योग	**265**	**100.00**	**209**	**100.00**	**474**	**100.00**

तालिका अनुसार कुल सर्वेक्षित जनसंख्या का 65.82 प्रतिशत शिक्षित एवं 34. 18 प्रतिशत अशिक्षित है। कुल पुरूषों में 74.72 प्रतिशत शिक्षित व 25.28 प्रतिशत अशिक्षित है इसी प्रकार कुल स्त्रियों में शिक्षित एवं अशिक्षितों की संख्या क्रमशः 54.55 एवं 45.45 प्रतिशत है। भैना जनजाति का शिक्षण का प्रतिशत छ.ग. में अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक है।

तालिका – 03 शैक्षणिक स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	59	29.80	44	38.60	103	33.01
2	माध्यमिक	56	28.28	45	39.47	101	32.37
3	हाईस्कूल (10वी)	52	26.26	17	14.91	69	22.12
4	हायर सेकेण्डरी (12वी)	25	12.63	8	07.02	33	10.58
5	स्नातक	5	02.53	–	–	5	01.60
6	स्नातकोत्तर	1	00.51	–	–	1	00.32
7	अन्य	–	–	–	–	–	–
	योग	**198**	**100.00**	**114**	**100.00**	**312**	**100.00**

तालिका अनुसार शिक्षित लोगों में 33.01 प्रतिशत लोग प्राथमिक स्तर तक एवं 32.37 प्रतिशत लोग माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये है जो कि लगभग बराबर है। शिक्षित पुरूषों में सर्वाधिक 29.80 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के 28.28 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के एवं 26.26 प्रतिशत हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हुए हुए है। इसी प्रकार कुल शिक्षित स्त्रियों में 38.60 प्रतिशत प्राथमिक स्तर एवं 39.47 प्रतिशत माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हुई हैं।

तालिका – 04 वैवाहिक स्थिति जनसंख्या का वर्गीकरण

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	152	57.36	129	61.72	281	59.28
2	अविवाहित	113	42.64	80	38.28	193	40.72
	योग	**265**	**100.00**	**209**	**100.00**	**474**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार – **120**							

उक्त तालिका अनुसार भैना जनजाति परिवारों में विवाहितो का प्रतिशत 59.28 एवं अविवाहित का प्रतिशत 40.72 है। विवाहित पुरूषों की संख्या का प्रतिशत विवाहित स्त्रियों के प्रतिशत से कम है। कुल पुरूष संख्या में 57.36 प्रतिशत विवाहित है जबकि कुल स्त्रियों की संख्या में 61.72 प्रतिशत महिलाएं विवाहित है।

तालिका – 05 विवाहितों की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या			प्रतिशत		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1.	कम उम्र (नाबालिग) में विवाह	35	37	72	23.03	28.68	25.62
2	बालिग होने पर विवाह	117	92	209	76.97	71.32	74.38
	योग	**152**	**129**	**281**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार –**120**							

सर्वेक्षित भैना जनजाति परिवारों में कुल 152 विवाहित पुरूषों में से 35 पुरूषों (23.02 प्रतिशत) का विवाह कम उम्र (नाबालिग) में हुआ है वही 117 पुरूष (76.98 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनका विवाह बालिक होने पर हुआ है।

इसी प्रकार विवाहित कुल 129 स्त्रियों में से 37 स्त्रियों (28.68 प्रतिशत) का विवाह कम उम्र में हुआ है तथा 92 (71.32 प्रतिशत) स्त्रियों का विवाह सही उम्र अर्थात् उनके बालिग होने पर हुआ है।

तालिका–06 सर्वेक्षित परिवारों में वैवाहिक दूरी की स्थिति

दूरी (कि.मी. में)	विवाहित			प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
00 – 10	42	33	75	27.63	25.58	26.69
11 – 20	39	35	74	25.66	27.13	26.33
21 – 30	30	22	52	19.74	17.05	18.51
31 – 40	10	6	16	06.58	04.65	05.69
41 – 50	5	5	10	03.29	03.88	03.56
51 से अधिक	26	28	54	17.11	21.71	19.22
योग	**152**	**129**	**281**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भैना जनजाति में सबसे अधिक संख्या में (26.69 एवं 26.33 प्रतिशत) लोगो का विवाह 00–20 से 11–20 कि.मी.की दूरी पर हुआ है। इसके पश्चात 21–30 कि.मी. की दूरी पर 18.51 प्रतिशत एवं 31–40 कि.मी. की दूरी पर 05.69 प्रतिशत लोगो का विवाह हुआ है। 41–50 कि.मी. की दूरी पर 03. 56 प्रतिशत लोगो का विवाह हुआ है। 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर विवाह करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 19.22 है।

तालिका – 07 परिवार में सम्पत्ति के प्रकार

क्र.	सम्पत्ति के प्रकार	कुल सम्पत्ति 120 परिवार की (रूपयों में)	प्रतिशत	प्रति परिवार औसत सम्पत्ति (रूपयों में)
1	पशुधन	1876000.00	45.39	15633.00
2	मुर्गा–मुर्गी	28600.00	00.69	238.00
3	आभूषण	162000.00	03.92	1350.00
4	अन्य	2066600.00	50.00	17222.00
योग		**4133200.00**	**100.00**	**34443.00**

तालिका के अनुसार भैना जनजाति के लोग अन्य प्रकार के सम्पत्ति 50.00 प्रतिशत के कीमत के रूप रखते है। तत्पश्चात पशुधन सम्पत्ति के रूप में (45.39 प्रतिशत) है। आभूषण के रूप में सम्पत्ति (3.92 प्रतिशत) है। बहुत कम सम्पत्ति के रूप में मुर्गा–मुर्गी (00.69 प्रतिशत) पालते है।

तालिका–08 घर की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	89	74.17
2	पक्का	13	10.83
3	अर्धपक्का	18	15.00
योग		**120**	**100 .00**

तालिका के अनुसार 74.17 प्रतिशत मकान कच्चे है। पक्के मकानों की तुलना में अर्धपक्का मकानों की संख्या अधिक हैं। पक्के मकानों का प्रतिशत 10.83 है जबकि अर्धपक्का मकानों का प्रतिशत 15 है।

तालिका – 09 कृषि भूमि

क्रं.	भूमि (एकड़ में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिहीन	22	18.33
2	0.01 – 1.0	46	38.33
3	1.01 – 2.0	25	20.83
4	2.01 – 3.0	18	15.00
5	3.01 – 4.0	05	04.17
6	4.01 – 5.0	04	03.33
7	5.01 – 6.0	–	–
8	6.01 – 7.0	–	–
9	7.01 – 8.0	–	–
10	8.01 – 9.0	–	–
11	9.01 – 10.0	–	–
12	10.01 से अधिक	–	–
योग		**120**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में से 18.33 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। सर्वाधिक 38.33 प्रतिशत परिवारों में 0.01 से 1.0 एकड़ के बीच भूमि है। 1.01 से 2.0 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों की संख्या 20.83 प्रतिशत है। जबकि 2.01 से 3.0 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत है। 3.01 से 4.0 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों की संख्या 4.17 प्रतिशत है जबकि 4.01 से 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों की संख्या 3.33 प्रतिशत है। 5.01 से 10.0 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों की संख्या नगन्य है।

तालिका – 10 परिवार में पशुधन

क्र.	पशु	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	गाय	106	25.30
2	बैल	86	20.53
3	भैंस–भैसा	24	05.73
4	मुर्गी–मुर्गा	143	34.13
5	बकरी–बकरा	60	14.32
6	सुअर	–	–
7	अन्य	–	–
योग		**419**	**100.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल पशुओं में अधिकांश संख्या 143 (34.136 प्रतिशत) मुर्गी–मुर्गा की है तत्पश्चात गाय की संख्या (25.30 प्रतिशत) है भैंस–भैसा पालने वाले परिवारों की संख्या सबसे कम (05.73 प्रतिशत) है।

तालिका – 11
पशुधन की संख्या अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	पशुओं की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	पशु नही	44	36.67
2	01	3	02.50
3	02	16	13.33
4	03	12	10.00

क्रं.	पशुओं की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
5	04	12	10.00
6	05	6	05.00
7	06	3	02.50
8	07	6	05.00
9	08	2	01.67
10	09	5	04.17
11	10	4	03.33
12	10 से अधिक	7	05.83
योग		**120**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 36.67 प्रतिशत परिवार पशुपालन नही करते है। अधिकांश परिवारों (13.33 प्रतिशत) में 02 पशु हैं परिवारों में 10 से अधिक पशु पालने वाले परिवारों की संख्या 05.83 प्रतिशत है।

तालिका – 12 परिवारों में मुर्गियों की संख्या

क्रं.	मुर्गियों की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	नहीं	85	70.83
2	1	2	01.67
3	2	6	05.00
4	3	10	08.33

क्रं.	मुर्गियों की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
5	4	3	02.50
6	5	5	04.17
7	6	6	05.00
8	7	1	00.83
9	8	1	00.83
10	9	—	—
11	10	1	00.83
12	10 से अधिक	—	—
योग		**120**	**100 .00**

उपरोक्त तालिका अनुसार अधिकांश 70.83 प्रतिशत परिवारों के पास मुर्गा–मुर्गी नहीं है। मुर्गी पालने वाले सर्वाधिक 10 परिवारों (08.33 प्रतिशत) में 03 मुर्गियां हैं। 10 मुर्गियां पालने वाले 00.83 प्रतिशत परिवार हैं।

तालिका – 13 वार्षिक आय का स्त्रोत (120 परिवार)

क्रं.	स्त्रोत	आय	
		रूपयें	प्रतिशत
1	कृषि	2685840.00	41.69
2	कृषि मजदूरी	1950500.00	30.27
3	पशुधन	386550.00	06.00
4	वनोपज	230230.00	03.57
5	शासकीय/अशा. नौकरी	899600.00	13.96

क्रं.	स्त्रोत	आय	
		रूपयें	प्रतिशत
6	शिकार/मत्स्यखेट	28000.00	00.43
	अन्य	262000.00	04.07
	योग	**6442720.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल वार्षिक आय में से 41.69 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होती है जो कि आय का मुख्य साधन है। कृषि मजदूरी, जंगल मजदूरी, रोकी मजदूरी से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत 30.27 है शासकीय/अशासकीय नौकरी वाले स्त्रोत मे से 13.96 प्रतिशत भाग नौकरी से प्राप्त होता है। ज्ञात हो कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में से 13.96 प्रतिशत परिवार नौकरी पेशा वाले है। पशुधन एवं वनोपज संग्रहण से होने वाली आय का प्रतिशत क्रमश 06.00 एवं 03.57 प्रतिशत है। प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 53689.33 रूपये (नौकरी पेशा परिवार सहित) है यदि नौकरी पेशा परिवार अलग कर दिया जाये तो प्रति परिवार औसत आय 46192.66 रूपये होती है।

तालिका – 14 वार्षिक आय अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	आय समूह	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5000	–	–
2	5001 से 10000	1	00.83
3	10001 – 20000	12	10.00
4	20001 – 30000	22	18.33
5	30001 – 40000	20	16.67
6	40001 – 50000	22	18.33
7	50001 – 60000	9	07.50
8	60001 – 70000	14	11.67
9	70001 – 80000	2	01.67
10	80001 – 90000	4	03.33

क्रं.	आय समूह	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
11	90001 – 100000	4	03.33
12	100001 – 110000	1	00.83
13	110001 – 120000	1	00.83
14	120001 – 130000	2	01.67
15	130001 – 140000	2	01.67
16	140001 – 150001	–	–
17	150001 से अधिक	4	03.33
योग		**120**	**100.00**

उक्त तालिका अनुसार अधिकांश परिवारों (18.33 प्रतिशत) की वार्षिक आय रूपये 20001–30000 एवं 40001–50000 के बीच है। तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित 120 परिवारों में किसी भी परिवार की वार्षिक आय 0 से 5000 आय समूह के बीच नही है, केवल 01 परिवार (00.83 प्रतिशत) ऐसा है जिसकी वार्षिक आय रूपये 5001 से 10000 आय समूह के बीच है, शेष सभी परिवारों की वार्षिक आय 10000 रूपयें से अधिक है।

तालिका – 15 वार्षिक खर्च का मद (120 परिवार)

क.	मद	वार्षिक खर्च	
		रूपये	प्रतिशत
1	भोजन	1832000.00	41.37
2	मकान	345000.00	07.79
3	कपड़े	477260.00	10.78
4	शिक्षा	279500.00	06.31
5	जन्म	139200.00	03.14
6	विवाह	375200.00	08.47
7	मृत्यु	143400.00	03.24

8	धार्मिक कार्य	153000.00	03.46
9	आभूषण	162000.00	03.66
10	चिकित्सा	283900.00	06.41
11	मद्यपान	115700.00	02.61
12	अन्य आकस्मिक खर्च	122100.00	02.76
योग		**4428260.00**	**100.00**

तालिका अनुसार कुल वार्षिक खर्च का अधिकांश भाग (41.37 प्रतिशत) भोजन के मद में व्यय होता है तत्पश्चात (10.78 प्रतिशत) कपड़े आदि पर व्यय होता है। विवाह में (08.47 प्रतिशत) व्यय होता है। मकान पर (07.79 प्रतिशत) व्यय होता है। शिक्षा तथा चिकित्सा में क्रमश (06.31 एवं 6.41 प्रतिशत) व्यय होता है। इससे स्पष्ट है कि भैना जनजाति में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है एवं स्वास्थ्य के प्रति भी सजगता बढ़ी है, शेष सभी मदों में व्यय का प्रतिशत कम है।

तालिका–16 वार्षिक खर्च अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	व्यय खर्च (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5000	–	–
2	5001 से 10000	1	00.83
3	10001 – 20000	23	19.17
4	20001 – 30000	34	28.33
5	30001 – 40000	23	19.17
6	40001 – 50000	18	15.00
7	50001 – 60000	9	07.50
8	60001 – 70000	6	05.00

9	70001 – 80000	3	02.50
10	80001 – 90000	–	–
11	90001 – 100000	–	–
12	100001 – 110000	–	–
13	110001 – 120000	2	01.67
14	120001 – 130000	–	–
15	130001 – 140000	–	–
16	140001 – 150001	–	–
17	150001 से अधिक	1	00.83
योग		**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार अधिकांश परिवार (28.33 प्रतिशत) 20001–30000 रूपयें वार्षिक खर्च के अन्तर्गत आते है। 10001–20000 के बीच एवं 30001–40000 के बीच खर्च करने वाले परिवारों की संख्या क्रमश' 19.17 एवं 19.17 प्रतिशत है। 40001–50000 तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 15.00 प्रतिशत है 50001–60000 तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या (7.50 प्रतिशत) है। न्यूनतम 1–1 संख्या वाले परिवार (00.83 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनका वार्षिक व्यय क्रमशः 5001 से 10000 के बीच एवं 150001 रूपयें से अधिक है।

तालिका – 17 जाति के परिवारों में कर्ज की स्थिति

क.	कर्ज (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कर्ज नहीं	116	96.67
2	0 से 10000	2	01.67
3	10001 – 20000	–	–

4	20001 – 30000	–	–
5	30001 – 40000	1	00.83
6	40001 – 50000	1	00.83
7	50001 – 60000	–	–
8	60001 – 70000	–	–
9	70001 – 80000	–	–
10	80001 – 90000	–	–
11	90001 – 100000	–	–
12	100001 – 110000	–	–
13	110001 – 120000	–	–
14	120001 – 130000	–	–
15	130001 – 140000	–	–
16	140001 – 150001	–	–
17	150001 से अधिक	–	–
योग		**120**	**100.00**

तालिका अनुसार सर्वेक्षित 120 परिवारों से 96.67 प्रतिशत परिवारों के पास कोई कर्ज नही है। मात्र 3.33 प्रतिशत परिवारों ने कर्ज लिया है जिसमें 01.67 प्रतिशत परिवारों ने 10000 से कम रूपयें तक कर्ज में लिया है। 30001–40000 से 40001–50000 तक रूपये कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या 00.83 प्रतिशत है।

अध्याय 4 सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना एक व्यक्ति व दूसरे व्यक्ति के साथ स्थाई सामाजिक संबंधो का समूह होता है। उसके उपरांत व्यक्तियों की विभिन्नता तथा सामाजिक कार्य के अनुरूप वर्ग विभाजन का भी समावेश होता है। सामाजिक समूह जैसे जाति, उपजाति, गोत्र आदि सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई है। भैना जनजातियों के सामाजिक संरचना समझने के लिए इनके जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी, परिवार तथा अन्तर्जातीय संबंधो का उल्लेख आवश्यक है।

जाति :–

प्राचीन समय से भारतीय समाज विभिन्न जातियों में विभाजित है, आदिवासी में गोंड़, उरांव, बैगा, बिंझवार आदि विभिन्न जनजातियां है इनमें भैना जनजाति भी एक आदिवासी जाति है अपनी जाति के सदस्यों के प्रति लगाव, प्रेम की भावना व ममत्व हेतु तुरन्त रहने की भावना होती है। भैना भी एक आदिवासी जाति है। ये जाति अपने को ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश्य की जातियों से नीचे किन्तु शुद्र वर्ण की जातियों से उपर रखते है। गोड़, कंवर, बिंझवार आदि को अपने पास रहने वाली आदिवासी जातियों को अपने बराबर मानती है। अतः ब्राम्हण क्षत्रिय मिलने पर आदर करती है।

उपजाति :–

1. भानू
2. सिदार
3. रजवाड़ा

गोत्र :–

भैना जनजाति अनेक गोत्रो में है। एक गोत्र के लोग आपस में भाई–भाई होते है अर्थात उनके पूर्वज एक ही था भैना जनजाति के लोग एक ही उपजाति हो तो विवाह हो सकती है, परन्तु सगोत्र विवाह नही हो सकता।

भैना जनजाति के गोत्रो के नाम जानवर, वृक्ष के नाम से रखा गया जो निम्न प्रकार है :–

(1) ठाकुर (2) बाघ (3) नाग (4) जटायू (5) बंदर (6) हाथी (7) चितवा (8) बंजारी (9) बेलानार (10) सोनवानी (11) करसायल (12) नागेश (13) भैसा (14) नगवंश (15) अमबिहा (16) सेधबाघ (17) कोसरिया (18) बघवा (19) हनुमान (20) कोक (21) वनर्दे (22) जटाशंकर (23) सोन वृक्ष (24) बंजारी

गोत्र चिन्ह :–

भैना जनजाति के उपजातियों के गोत्रो के गोत्र चिन्ह भी होते है जो निम्न है :–

(1) धनुश (2) सूर्यदेव (3) तीर (4) हाथी (5) बाघ (6) श्वेतबाघ (8) सीधा (9) करसाय

नातेदारी :–

भैना जनजाति में नातेदारी की दो प्राणियों में बांटा जा सकता है :–

(1) खून संबंधी

(2) विवाह संबंधी

भैना जनजाति में नातेदारी को समझने के लिए नीचे तालिका में नातेदारी का शब्द सम्बोधन का शब्द व उल्लेख का शब्द दिया जा रहा है।

क्र.	संबंध	नातेदारी शब्द	संबोधन शब्द
1	पिता	बाप	ददा
2	माता	मां	दाई
3	बड़ाभाई	बड़े भाई	भैया
4	छोटा भाई	छोटे भाई	नाम से
5	बड़ी बहन	बड़े बहिनी	दीदी
6	छोटी बहन	छोटे बहिनी	नाम से
7	पिता के बड़े भाई	बड़े बाप	बड़े बबा
8	पिता के छोटे भाई	ककका	ककका

9	पिता के बड़े भाई की पत्नी	बड़े दाई	बड़े दाई
10	पिता के छोटे भाई की पत्नी	काकी	काकी
11	पिता की छोटी/बड़ी बहन	फूफू दीदी	फूफू दीदी
12	पिता के छोटी/बड़ी बहन का पति	फूफा	फूफा
13	पिता के पिता	बाबा	बबा
14	पिता के पिता की पत्नी	डोकरी दाई	डोकरी दाई
15	मां का भाई	ममा	ममा
16	मां के भाई की पत्नी	मामी	मामी
17	मां की बडी बहन	बड़े दाई	बड़े दाई
18	मां की छोटी बहन	मौसी	मौसी
19	मां की बडी बहन का पति	बड़े बबा	बड़े बबा
20	मां की छोटी बहन का पति	मौसा	मौसा
21	बड़ा भाई की पत्नी	भौजी	भौजी
22	छोटे भाई की पत्नी	भाई बहु	भाई बहु
23	बडी बहन का पति	भाटों	भाटों
24	छोटी बहन का पति	बहिन दामाद	बहिन दामाद
25	बडा/छोटा भाई का पुत्र	भतीजा	भतीजा
26	बडा/छोटा भाई का पुत्री	भतिजी	भतिजी
27	बडा/छोटा भाई के पुत्र की पत्नी	भतीजा बहु	भतिजा बहु

28	बडा/छोटा भाई के पुत्री का पति	भतीजी दामाद	भतिजी दामाद
29	बड़ी/छोटी बहन का पुत्र	भांजा	भाचा
30	बड़ी/छोटी बहन का पुत्री	भांजी	भाची
31	बड़ी/छोटी बहन के पुत्री का पति	भांजी दामाद	भांजी दामाद
32	बड़ी/छोटी बहन का पुत्र की पत्नि	भांजा बहु	भाचा बहु
33	बड़ी/छोटी बहन के पति का पिता	दीदी के ससुर	दीदी का ससुर
34	बड़ी/छोटी बहन के पति की माता	दीदी के सास	दीदी के सास
35	भाई के पत्नी/बहन के पति	समधी	समधी
36	भाई के पत्नी/बहन के पति का बहन	समधीन	समधीन
37	पत्नी	घरवाली	घरवाली
38	पति	घरवाला	घरवाला
39	पति के पिता	ससुर	ससुर
40	पति के माता	सास	सास
41	पत्नी के पिता	ससुर	ससुर
42	पत्नी के माता	सास	सास
43	पति/पत्नी के पिता का भाई	कका ससुर	कका ससुर

44	पति/पत्नी के पिता के भाई की पत्नी	काकी सास	काकी सास
45	पति/पत्नी के पिता के पिता	बुढ़ा ससुर	बुढ़ा ससुर
46	पति/पत्नी के पिता के माता	बुढ़ी सास	बुढ़ी सास
47	पत्नी का बड़ा भाई	डेड़ स ाला	डेड़ साला
48	पत्नी की बड़ी बहन	डेड़ सास	डेड़ सास
49	पत्नी के छोटा भाई	साला	साला
50	पत्नी के भाई की पत्नी	साली	साली
51	पत्नी के बहन का पति	साढू भाई	साढू
52	पत्नी के बहन का पुत्र	भतीजा	भतीता
53	पत्नी के बहन की पुत्री	भतीजी	भतीजी
54	पत्नी के भाई का पुत्र	भतीजा	भतीजा
55	पत्नी के भाई की पुत्री	भतीजी	भतीजी
56	पति का बड़ा भाई	कुरा ससुर	कुरा ससुर
57	पति का छोटा भाई	देवर	देवर
58	पति का बड़ी बहन	डेढ़ सास	डेढ़ सास
59	पति की छोटी बहन	ननद	ननद
60	पति के बडे/छोटे भाई की पत्नी	जेठानी/ देरानी	जेठानी/ देरानी
61	पति के बड़ी/छोटी बहन का पिता	नन्दोई भाई	नन्दोई भाई
62	पति के बड़ा भाई /छोटा भाई का पुत्र	जेठ बेटा/देवर बेटा	जेठ बेटा/देवर बेटा

63	पति के बड़ी/छोटी बहन का पुत्र	भांजा	भाचा
64	पति के बड़ी/छोटी बहन का पुत्री	भांजी	भाची
65	पुत्र	बेटा	बेटा
66	पुत्री	बेटी	बेटी
67	पुत्र की पत्नी	बहु	बहु
68	पुत्री का पति	दमाद	दमाद
69	पुत्र के पत्नी का पिता	समधी	समधी
70	पुत्री के पत्नी की माता	समधीन	समधीन
71	पुत्री के पत्नी का पिता	समधी	समधी
72	पुत्री के पति की माता	समधीन	समधीन
73	पुत्र का पुत्र	नाती	नाती
74	पुत्री का पुत्र	बेटी नाती	बेटी नाती
75	पुत्र की पुत्री	नतनीन	नतनीन
76	पुत्री की पुत्री	बेटी नतनीन	बेटी नतनीन
77	माता के माता	आजी दाई	आजी दाई
78	माता के पिता	आजा बबा	आजा बबा
79	पुत्र के पुत्र की पत्नी	नाती बहु	नाती बहु
80	पुत्र की पुत्री का पति	नाती दमाद	नाती दमाद
81	पुत्र के पुत्र का पुत्र	पंथी	पंथी
82	पुत्र की पुत्री की पुत्री	पंथीन	पंथीन

परिहास :–

भैना जनजाति के कुछ रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक किया जाता है इस प्रकार के संबंध में एक दूसरे से अधिक नजदीक आने की कोशिश होती है जैसे– जीजा–साली, साला–जीजा की छोटी या बड़ी बहन, देवर–भाभी, ननद–भौजाई, जीजा के भाई के भाई बहन, दादा/दादी–नाती/नातिन, नाना/नानी–नाती /नातिक, समधी–समधीन आदि।

परिहास संबंध :–

भैना जनजाति में कुछ रिश्तेदार एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते है। भैना में भाई बहु अपने जेठ, भांजा बहु अपने मामा ससुर के सामने नही जा सकती, बात नही करती या किसी के माध्यम से बात करती है। इनके सामने सिर खुला नही रख सकती, स्पर्श नही करते, इस प्रकार पुरूष अपने पत्नी के बड़ी बहन को स्पर्श नही कर सकते, बात कर सकते है।

माध्यमिक संबंध :–

भैना जनजाति में भी अन्य जातियों की तरह रिश्तेदारों से सीधे बाते न करके किसी के नाम के द्वारा पुकारा जाता है जैसे नव वधु अपने पति को बुलाने के लिए कहती है नोनी के भईया, बच्चे हो जाने पर श्यामू के बाबू इस प्रकार बच्चे के नाम के आड़ लेकर बुलाती है पति क नाम पत्नी नही लेती किन्तु आवश्यकता होने पर किसी सरकारी काम लेते किसी व्यक्ति के द्वारा कहलवाती है।

अन्य संबोधन :–

इसी प्रकार पति के बड़े भाई को बड़ाभाई पति के बड़ी बहन को दीदी, छोटी बहन को नोनी तथा देवर को बाबू कहते है। जेठ के पुत्र–पुत्री को भी बाबू, नोनी कहकर ही बुलाते है। किसी अवस्था में बड़े व रिश्ते में बडे जैसे सास–ससुर का भी नाम नही लिया जाता।

परिवार :–

भैना जनजाति में परिवार पितृ सतात्मक पितृ वंशीय एवं पितृ निवास स्थानीय होता है। अधिकांश परिवार केन्द्रीय या एकाकी पाया जाता है। किन्तु संयुक्त परिवार

भैना में काफी दिखाई दिया। पिता –परिवार का मुखिया होता है संयुक्त परिवार में सभी सदस्य बड़े–बूढ़ों का आदर करते है तथा उनके आदेशानुसार कार्य करते है। विवाह हो जाने व विवाह के पश्चात एक दो संतान हो जाने पर सभी भाई अलग–अलग रहने लगते है और साथ ही संपत्ति को बांट लेते है।

सर्वेक्षित भैना जनजाति परिवारों में परिवार का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार दिखाई दिया जो तालिका में स्पश्ट दिया जा रहा है।

तालिका – 18

क्रमांक	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी या केन्द्रीय	93	77.50
2	संयुक्त	27	22.50
	योग	**120**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पश्ट है कि 77.50 प्रतिशत परिवार एकांकी व 22.50 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार के रूप में अर्थात एकाकी परिवारों की संख्या अधिक है।

तालिका – 19 सदस्य संख्या अनुसार परिवार

क्रं.	परिवार की सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01	1	00.83
2	02	13	10.83
3	03	32	26.67
4	04	33	27.50
5	05	26	21.67
6	06	12	10.00
7	07	3	02.50
8	08	–	–

क्रं.	परिवार की सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
9	09	–	–
10	10	–	–
11	10 से अधिक	–	–
योग		**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार बिलासपुर संभाग में निवासरत 120 भैना जनजाति परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है स्पश्ट है कि सर्वेक्षित कुल परिवारों में 04 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक 27.50 प्रतिशत है इसके पश्चात 03 सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत 26.67 एवं 05 सदस्य संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत 21.67 है। 02 सदस्य संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत 10.83 है। सबसे कम 01 सदस्य संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत 00.83 है। 8 एवं 8 से अधिक सदस्य संख्या वाला कोई परिवार नहीं मिला।

सदस्यो के बीच संबंध :–

भैना जनजाति में परिवार के सदस्यो के बीच संबंध निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है।

1. माता–पिता :– माता पिता बच्चो का पालन पोषण करना, खेती मजदूरी, जंगली उपज संग्रह, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि आर्थिक कार्यो से संबंधित प्रशिक्षण व शिक्षण दिलाना अपना कर्तव्य समझते है। बच्चो का विवाह करना अपना धर्म समझते है। पुत्री का कन्यादान (विवाह) करना गंगा स्नान जगन्नाथ धाम की यात्रा के बराबर पुण्य का कार्य मानते है। अपनी सीमित आर्थिक स्थिति में खुश रहते हुए भी बच्चो का पालन पोषण बल पूर्वक करते है। बच्चो की खुशी के लिए अधिक से अधिक मेहनत मजदूरी करते है। बच्चे माता–पिता को आदर देते है। बचपन की अपेक्षा जवान होने पर प्रेम व आदर की भावना बढ़ती है।

2. पति–पत्नी :– पति पत्नी का संबंध आपस में मुधर व प्रेमपूर्ण होता है पति परिवार के भरण–पोशण हेतु अर्थोपार्जन करता है। खेतो, जंगलो आदि में परिश्रम करता है

पत्नी घर की देखभाल, भोजन बनाना, बच्चो की देखभाल के अतिरिक्त पति के साथ कार्यो में हिस्सा लेती है। पति को भोजन कराकर ही पत्नी भोजन करती है। कभी–कभी इनमें झगड़ा भी होता है पत्नी के लिए पति वस्त्र–श्रृंगार सामग्री व सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रयास करता है। वैसे आम तौर पर उनके बीच प्रेम भाव रहता है।

3. माता–पुत्र :– माता–पुत्र का संबंध ममता भरी रहता है। छोटा पुत्र घर पर माता से वात्सल्य अधिक करता है बड़े होने पर पुत्र माता का बहुत आदर करता है माता से पूछकर काम करता है। माता के बिना उसका कार्य अधूरा रहता है। पिता से थोड़ा डरता है, किन्तु मन की बात या अपनी आवश्यकताएं माता को पहले बताता है विवाह होने के बाद माता पुत्र का प्रेम स्नहेपूर्ण हो जाता है मां–पुत्र व पुत्र वधु को आवश्यक घरेलु खेती व अन्य कार्यो में सलाह देती है उनके बच्चों को संभालती है।

4. पिता–पुत्र :– पिता पुत्र का संबंध स्नेह पूर्ण होता है। बड़ा होने पर पिता पुत्र को सभी आर्थिक कार्य सिखाते है पुत्र भी बड़े होकर पिता को विशेष आदर करते है, और पिता के साथ सभी कार्य में हाथ बटाते है और सभी कार्य के लिए पिता से पूछ कर करता है, जब पिता वृद्ध हो जाता है तब घर की सभी जिम्मेदारी पुत्र को दे देता है व उस पर आश्रित रहता है।

5. पिता–पुत्री :– पिता पुत्री का संबंध अधिक वात्सल्य पूर्ण होता है पिता यह जानता है कि पुत्री बड़ी होकर एक दिन ससुराल चली जायेगी। अतः पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कम डाटता है। पुत्री का कन्यादान पुत्री को कुछ देना पुण्य कार्य मानते है पुत्री की शादी कराना गंगा नहाने से कम नही मानते। पुत्र के पालन पोषण के बीच उसकी भावना होती है कि वृद्धावस्था में पुत्र उसकी देखभाल करेगा किन्तु पुत्री को पालन पोषण को बहुत पुण्य कार्य मानते है। पुत्री भी पिता की बहुत इज्जत करती है ससुराल में पिता के आने का रास्ता अन्य की अपेक्षा अधिक रखती है।

6. माता–पुत्री :– माता पुत्री का संबंध भी बहुत वात्सल्य पूर्ण होता है माता पुत्री को बड़ी होने पर सभी कार्य सिखाती है काम न करने पर डाटती है कभी–कभी मारती भी है उसके कपड़े, श्रृंगार, सफाई आदि कि चिंता माता को सबसे अधिक होती है पुत्री

माता एक सहेली की तरह होती है जो भी बातें हो माता को सबसे पहले कहती है। बड़ी होने पर विवाहोपरांत माता व पुत्री का प्रेम और भी स्नहेपूर्ण हो जाता है।

7. भाई–भाई :– भाई भाई का संबंध आपस में प्रेम पूर्ण होता है बचपन में दोनो प्रेम भी करते है। आपस में खेलते है और आपस में लड़ते भी है किन्तु बड़े होने पर बड़े भाई का आदर छोटा भाई करता है तथा छोटे भाई से बड़ा भाई काफी स्नेह रखता है। कुछ लोग जमीन जायदाद के बटवारे के कारण झगड़ा भी करते है।

8. बहन–बहन :– बहन बहन का संबंध आपस में प्रेमपूर्ण होता है बड़ी छोटी बहन को कार्य सिखाती है बचपन में दोनो लड़ते है किन्तु बड़े होने पर अत्यंत प्रेम व स्नेहमय संबंध होता है।

9. भाई–बहन :– भाई बहन का संबंध भी आपस में स्नेह पूर्ण होता है बचपन में दोनो साथ खेलते है किन्तु बडे होने पर अलग–अलग मित्रों के साथ खेलते है। बहन–भाई के परिवार व समृद्धि की कामना करती है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर राखी भेजनी है। भाई तीजा त्यौहार, में बहन को लेने जाता है नयी साड़ी आदि देता है। भाईयों के झगड़े को बहन मिटाने का प्रयास करती है व उन्हे समझाती भी है।

10. सास–बहु :– सास बहु का संबंध कुछ परिवारों में अच्छा होता है कुछ परिवारों में अच्छा नहीं होता है प्रारंभ में सास की बात बहु मानती है किन्तु बाद में आज्ञा का उल्लंघन करने लगती है कही कही पर सास भी बहु के हर काम में गलती निकालती है। सास भी बहू और बेटी की बीच फर्क करने लगती है।

अन्तर्जातीय संबंध :–

भैना जाति ग्राम के अन्य जाति जैसे गोंड़, कंवर, सावरा, उरांव आदि जाति ब्राम्हण, क्षत्रीय, अघरिया, रावत, गाडा, धोबी, नाई, तेली केंवट आदि जातियों के साथ निवास करती है। इनमें आपस में पारिवारिक संबंध की तरह मजबूत ग्रामीण संबंध पाया जाता है। सभी आपस में एक दूसरे जाति के सदस्यों को उक्त अनुसार कका, चाचा, भैया, भतीजा, बबा आदि संबोधक से संबोधित करते है इनके अनुसार गांव वाले अन्य जाति के पड़ोसी संकट, बीमारी, मृत्यु, विवाह के अवसर में जल्दी आते है। दुसरे गांव में रहने वाले रिश्तेदार बाद में आते है अतः एक तरह से ग्रामवासी सुख–दुख में काम आते है।

स्त्रियों की स्थिति :–

भैना जाति में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों की अपेक्षा नीचे मानी जाती है। अर्थोपार्जन में पुरूष के मुख्य भूमिका होती है। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह पति की आज्ञा का पालन करें उसकी इच्छानुसार कार्य करे, समान आदि खरीदने पुरूष जाते है पति का नाम बोलचाल में नही लेती है। पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। पुरूष अपनी पत्नी को पीट सकता है किन्तु यदि पत्नी पति को पीटे तो यह बहुत बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता है। जाति व गांव वालों को दण्ड की रकम व भोज देना पड़ता है। मार्ग में चलते समय भी स्त्रियां पति के पीछे मोठरा (कपड़ो की गठरी) लेकर चलती है। धार्मिक कार्य देवी–देवताओं की पूजा, सत्य नारायण की कथा आदि में पति–पत्नी साथ बैठते है।

अध्याय 5 जीवन चक्र

विभिन्न भारतीय जातियों एवं जनजातियों की भांति भैना जनजाति के जीवन चक्र में विभिन्न संस्कार पाये जाते है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

जन्म :–

जन्म संस्कार जानने से पूर्व स्त्री के विषय में जानकारी आवश्यक है। रजारत्राव को भैना "माहवारी" कहते है। माहवारी वाली स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इस काल में पानी भरना, खाना बनाना, देवी देवताओं के पास व मंदिर जाना, धान की कोठी को छूना, धान कूटना अनाज पीसना, खलिहान में जाना आदि अछूत माना जाता है। इस समय वह घर के बाहर के कार्य जैसे–झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कृषि के अन्य कार्य जंगली उपज संग्रह, लकड़ी लाना आदि कार्य करती है। इस समय पति के साथ रहना मना रहता है। यदि वे ऐसा करती है तो देव–देवता नाराज हो जाते है नही तो दोनो को बीमारी हो सकती है। पांचवे दिन स्त्रियां अपना सिर मिट्टी या साबुन से धोकर स्नान करती है उसके बाद उसको शुद्ध माना जाता है।

गर्भाधान एवं गर्भकाल :–

भैना में संतान प्राप्त होना भगवान की देन मानते है यदि किसी स्त्री के विवाह के 4–5 वर्ष बाद तक संतान नही होती है तो व्रत पूजा आदि करती है। देवी–देवताओं को मनौती करने बैगा या किसी महराज पंडित, पुजारी की सलाह ली जाती है। जब स्त्री का मासिक धर्म आना बंद हो जाये तो उसको गर्भ अवस्था में है मान लिया जाता है। जब दूसरे माह खट्टे वस्तु के खाने की इच्छा होती है, उल्टी आने लगती है तो सगर्भा यह जानकारी हो जाती है गर्भ निरोध के कोई परम्परागत तरीके इनमें प्रचलित नही है। गर्भपात को वैध हो या अवैध गर्भपात नही कराया जाता। गर्भपात को भूत–प्रेत जादु टोना या देवी–देवता के नाराज होने से हुआ है मानते है। गर्भवती स्त्री सभी कार्य करती है किन्तु पेड़ो पर चढ़ना, अधिक वजन उठाना आदि वर्जित कर दिया जाता है। गर्भावस्था में भोजन में कोठ परिवर्तन नही करते किन्तु गरम वस्तु खाने–पीने के लिए मना किया जाता है। प्रथम गर्भावस्था से छठे या सातवे महीना

गर्भवती स्त्री को उनके मायके से "सधौरी" खिलाने के लिए उसके मां–बाप या भाई–भाभी आते है। सधौरी में गुड मिली हुई रोटी, अरसा, सोलरी (पूडी) खीर आदि तथा एक लुगड़ा (साड़ी) एवं पोलका (ब्लाऊज) तथा कभी–कभी दामाद के लिए पेंट शर्ट लाते है। सधौरी में देवी–देवताओं को रोटी तसमई आदि चढ़ाकर गर्भवती को खिलाया जाता है फिर परिवार के अन्य सदस्यों को भी गर्भवती के मायके से आया रोटी व तसमई देते है। गर्भवती को ग्रहण के समय पर से बाहर नही निकलने दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण को प्रसव से गर्भस्थ शिशु में अपंगता आ जाता है।

प्रसव :–

भैना जनजाति में प्रसव अपने घर ही होता है। मकान के एक कमरे जहां देवी–देवताओं न हो या एक कोने में परसोत पीड़ा (प्रसव पीड़ा) प्रारंभ होने पर ले जाया जाता है। तथा तत्काल ही परिवार व रिश्तेदार की बड़ी बूढ़ी औरत को व गांव की "सुइन" (दाई) जो किसी भी जात की प्रसव कराने की जानकारी होती है। उसको बुलाया जाता है "सुइन" के देख रेख में ही जमीन पर प्रसव कराया जाता है। तब अपने प्रसव में कठिनाई होने पर परिवार के मुखिया से कहा जाता है। तब अपने देवी–देवताओं का पूर्वजों को (सुमरन) करे या मनोती करे। यदि इससे भी काम नहीं बना तो बैगा को बुलाया जाता है जो देवी–देवताओं की मनौती व जादू–टोना भूत–प्रेत का मंत्र पढ़कर बंधन करता हैं। प्रसव होने में विलंब होने से स्थानीय प्राईवेट चिकित्सालय को या नर्स को अब बुलाते है किन्तु कठिनाई नहीं होने पर नहीं बुलाया जाता। प्रसव के उपरांत सुईन ब्लेड से बच्चें का नेरूआ (नाल) को काटती है व बिजरा (बीजा) वृक्ष का रस लगाती है। पहले नाल (नेरूआ) जंगली घांस की पतली कमची से काटते थे। नाल काटने के बाद 'सुईन' बच्चे को तथा उसकी मां को कुनकुने पानी (हल्के गर्म) में कपड़ा भिंगाकर अगोछती (पोछती) है बच्चे को जन्म के स्थान पर लगभग 1 फीट खोदकर नाल को गड़ा दी जाती है, जड़, बदाम, जड़ी, सोठ, गुहरिया, गुड, तुलसी के पत्ते व हिरवा डालकर तथा उसमें लोहे का टुकडा डालकर उबाला हुआ पानी देती है। 2 दिन बाद एक समय मूंग दाल या अरहर का दाल देते है। इसी

समय पर घी, सोठ का पीपरा, अजवाईन, काली मिर्च, नारियल, मेवा, गुड़ आदि से बना लड्डू दिया जाता है, जिसे "सोठ ढुढही" कहा जाता है। 5 दिन तक परिवार को अछूत माना जाता है। इस समय परिवार के सदस्य देवी, देवताओं की पूजा, यात्रा आदि में नही जाते है।

जन्म के छठे दिन "छट्ठी" नाम संस्कार किया जाता है। इस दिन घर की दीवालों व फर्श व लिपाई करते है। घर के कपड़ों को परिवार या धोबी द्वारा धुलवाया जाता है। मां एवं बच्चे को गर्म पानी से बाड़ी में नहलाया जाता है। बच्चे व मां को देवी–देवताओं को प्रणाम कराया जाता है। इसी दिन बच्चे को लेकर सूर्य नारायण का दर्शन कराया जाता है। इसी दिन बच्चे के कमर में रेशम की करधन (डोरी) सफेद चूड़ी दोनों हाथों में पहनाया जाता है। कुछ लोग ताबीज आदि भी पहनाते है। घर में आटे से चौक पूर कर दीपक जलाकर बच्चे को धान से भरे हुये सूपे के पास सुलाते है तथा लोहे में रखा पानी छुआ कर पृथ्वी धान आदि को प्रणाम कराया जाता है। इसी दिन घर के बड़े बूढे बच्चे का नाम रखते है। वर्तमान में ब्राम्हण को पूछ कर भी नाम रखा जाता है। इसी दिन बच्चे को कपड़ा भी पहनाया जाता है।

छ्टठी के दिन रिश्तेदारों व गांव के लोगो को आमंत्रित करते है नाई इस दिन घर के सभी पुरूषों व बच्चों के बाल बनाता है। आमंत्रित लोगो को चाय–बीड़ी दिया जाता है दोपहर को सभी सगा संबंधियों को खाने में बुलाते है। इस दिन प्रसूता को पुराना चावल, अरहर, मूंग की दाल खाने को दिया जाता है। छट्ठी के दिन सुईनदाई को कुछ रूपये और कपड़ा आदि उपहार स्वरूप दिया जाता है। इस अवसर पर कपड़े धोने, धोबन की काम का कुछ रूपये कपड़ा दिये जाते है।

बरही :–

बच्चे के जन्म 12 दिन सुईन आकर प्रसूता को (बरही) नहलाती है इस दिन भी उसे सीरवा दिया जाता है। प्रसूता को 21 वें दिन एकाइसा नहलाया जाता है तब उसे शुद्ध मानते है।

बच्चा धीरे–धीरे बड़ा होने लगता है। 5–6 माह कोई अच्छा दिन खीर बनाकर एक कटोरी में लेकर बच्चे को खीर चढ़ाया जाता है। इसे मुंह जुठारना कहते है।

अन्न प्रासन संस्कार का सरल रूप कहा जाता है इस दिन बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाया जाता है व घर तथा गांव में रहने वाले रिश्तेदारों को खीर खिलायी जाती है। इसके बाद बच्चे को चावल–दाल बिस्कुट आदि थोड़ी–थोड़ी मात्रा में खिलाना प्रारंभ करते है। बच्चे के 4 माह होने के बाद बच्चे के मां कार्य हेतु खेत जंगल आदि जाने लगती है। बच्चे को उसके दादा–दादी बड़े भाई संभालते है। 7–8 वर्ष होने पर लड़कियां मां के साथ घर कार्य सीखना प्रारंभ कर देती है। लड़के जानवरों को पानी पिलाना, घास, चारा देना, बैल धोना आदि करने लगते है। 7–8 वर्ष तक लड़के–लड़कियां इकट्ठा खेलता है। धीरे–धीरे दोनो माता पिता से कार्य सीखने लगते है। भैना लड़कियां 12–13 वर्ष के उम्र में गृह कार्य व कृषि के कार्य में दक्ष हो जाती है। लड़का 12–13 वर्ष के उम्र में हल चलाना आदि सीखने लगता है। 14–15 वर्ष के उम्र में कृषि मजदूरी जंगली उपज संग्रह मछली पकडने आदि में कुशल हो जाता है। इसके बाद परिवार के जिम्मेदारी में भी भाग लेने लगते है।

विवाह :–

भैना में सामाजिक संगठन से स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करने में वैवाहिक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भैना जनजाति में सगोत्र विवाह अर्थात एक गोत्र में विवाह नही होता। एक गोत्र के लड़के–लड़कियों को आपस में भाई–बहन माना जाता है। भैना जनजाति में उपजाति एक होने एवं गोत्र अलग होने पर विवाह कर लिया जाता है।

वर–वधु के चयन में मामा के लड़के–लड़की तथा बुआ के लड़के–लड़की को प्राथमिकता नही दिया जाता है परन्तु यदि लड़का नौकरी या घर परिवार संपन्न हो लड़की के योग्य हो तो प्राथमिकता दी जा सकती है। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि इसके गोत्र एक न हो।

भैना जनजाति में पहले विवाह के समय वर–वधु की उम्र बहुत कम होती थी तब भी विवाह कर दिया जाता था। आज भी कही–कही पर यह प्रथा प्रचलित है। वर्तमान परिवेश में शिक्षित होने के कारण युवा होने पर ही अर्थात लड़के की उम्र 21 एवं लड़कियों की उम्र 18 होने पर ही विवाह किया जाता है। सामान्यतः 18 वर्ष 25 वर्ष

बीच लड़की–लड़के का विवाह संपन्न करा दिया जाता है।

भैना जनजाति में विवाह संस्कार ग्राम के बैगा व ठाकुर द्वारा सम्पन्न कराया जाता है ब्राम्हण (पंडित) पुजारी की सेवाएं नही ली जाती है। विवाह की अन्य रस्मे समाज के लोगो द्वारा ही किये जाते है। विवाह की कुछ रस्मे मामा–मामी, बुआ–जीजा आदि के द्वारा संपन्न कराये जाते है।

भैना जनजाति के विवाह समारोह में अपनी ही जाति के ग्राम में निवासरत तथा अन्य आस–पास के ग्रामों में निवासरत लोग सम्मिलित होते है। बाहर से आमंत्रित सगे संबंधी लोग भी विवाह समारोह भोज आदि में सम्मिलित होते है। अपनी जाति से उच्च जाति के लोग जैसे – रावत, तेली, कुर्मी आदि तथा आदिवासी समाज जैसे–गोंड, बिझवार, उराव, कंवर आदि जाति के लोग भी विवाह/भोज में सम्मिलित होते है।

कृषि काम खत्म होने के बाद पूस, माघ में विवाह योग्य लड़को के लिए उनके पिता अपने लड़का हेतु वधु ढूँढना प्रारंभ करता है। रिश्तेदारों, मित्रो जानपहचान वालो के द्वारा उसे ज्ञात होता है कि अमुक गांव में अमुक भैना की विवाह योग्य लड़की है तब गांव से एक और आदमी लेकर लड़की के घर जाता है। उसके पिता से लड़की के विशय में पूछता है तथा अपने लड़के के विषय में बात करता है। यदि लड़का का पिता विवाह तय करने हेतु तैयार हो जाता है तो उसे लड़का देखने हेतु बुलाया जाता है। लड़का व घर देखकर लड़की का पिता सहमति देता है फिर शुभ भरना (वधुधन) की रकम धान, दाल व नगदी के रूप में तय करने के बाद वर का पिता धान, दाल व नगदी किसी रिश्तेदारों के हाथ लड़की के पिता के घर पहुचाता है। विवाह हेतु वर वधु की राय नही ली जाती, वर्तमान में कुछ शिक्षित लड़के–लड़की देखने के लिए अब साथ में जाने लगे है।

फलदान :–

पूर्व में निश्चित किया गया दिन वर के पिता अपने साथ गांव व रिश्तेदार को 5–6 व्यक्ति को लेकर तथा अपने साथ कांच की चूड़िया, साड़ी, ब्लाऊज, नारियल, गुड़, तेल, उड़द की दाल, हल्दी, सुपाड़ी, बीडी आदि वधु के पिता के घर आते है।

सायंकाल वधु के घर के आंगन में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। उसके ऊपर एक कांसे के लोहे में पानी भरकर उसके ऊपर नांद में या दोनो में धान भरकर जलता हुआ मिट्टी की दीया रखा जाता है। इसे कलश कहते है वर पक्ष से लाया गया समान लेकर वर के पिता तथा वहां से आने वाले लोग एक तरफ बैठते है। दूसरे तरफ वधु पक्ष के पिता व गांव के अन्य रिश्तेदार बैठते है। इनकी उपस्थिति में वर के पिता व वधु के पिता कलश की पूजा करते है व वर तथा वधू कर दोनो आशीर्वाद लेते है। वर पक्ष से लाया गया समान कन्या की फूफू दीदी या बड़ी बहन या भाभी अंदर ले जाकर कन्या को पहनाकर कन्य साथ लेकर बाहर निकालती है, फिर सुवासिन पहले कलश को फिर, आये हुए वर पक्ष के लोगो व वधू पक्ष के बुजुर्गो का पैर छूकर प्रणाम करती है। कन्या सुवासिन के पीछे उसका अनुकरण करते हुए प्रणाम करती है, फिर आये हुए लोगो को नारियल गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। रात्रि में वर पक्ष से आये लोगो का नेवता (न्यौता) करते है, जिससे दाल–भात, बड़ा, सोहरी (पुड़ी) खिलाया जाता है। रात्रि में महुए की शराब भी पीते है।

विवाह की रस्में :–

विवाह भैना जाति में चार दिन तक चलता है। प्रथम दिवस रात्रि में लगभग 7–8 बजे भोजन आदि कर वर वधू के घर में पृथक–पृथक गांव के लोग व रिश्तेदार "चूलमाटी" जाते है गांव के बाहर किसी निश्चित स्थान पर सुवासिन वर व वधू की फूफू दीदी या बड़ी बहन नया "पर्स" बास की बनी गोलाकार व चौड़ा उथला बर्तन में पानी, गुलाल, हूम (दशांग धूप) गुड़, हल्दी पानी डालकर पिसी हुई हल्दी व आटे का घोल लेकर साथ जाती है स्त्रियां इस अवसर पर गीत गाते हुए चलती है। निश्चित स्थान पर पहुंच कर "सुवासिन" पानी छिड़ककर दीपक जला हल्दी गुलाल आटे का घोल छिड़क कर छेने में आग में धूप व गुड़ डालती है। "हुमजग" तथा जमीन को प्रणाम कर साथ में लायी हुई "सब्बल" से 7 बार जमीन को खोदती है, बाद में सुवासिन के पति "सुवासा" मिट्टी खोदता है जिसे पर्रा में उठाकर सुवासिन घर लाती है तथा एक किनारे में रखती है, रात्रि वापस आने के बाद हल्दी व तेल पीसकर वर वधु को अपने घरों में सुवासिन कारा तेल व हल्दी पैर से शुरू कर सिर तक वर को

बैठाकर चढ़ाते है सुवासिन के बाद वर के बहन, भौजाई, काकी, मामी आदि 4 लोग तेल चढ़ाते है फिर सूखने पर सुवासिन उसे कपड़े से रगड़कर झाड़ देती है।

दूसरे दिन मड़वा गाड़ा जाता है मड़वा हेतु बांस की चार लडकी दो दो के साथ मिलकर जमीन में गड़ाया जाता है। फिर उसके चारों ओर लकड़ी गडाकर ऊपर बांस आदि डूमर (मूलर महुआ की डाल व पत्ते से मड़वा को छाया जाता है।) इन दिनों बांस के बीचो–बीच चार के दो लकड़ी जिसमें नक्काशी गढ़ी रहती है जिसे ''मंगरोहन'' कहा जाता है गड़ाया जाता है मंगरोहन बनाने का कार्य सवासा करता है, फिर नीचे जमीन को मिट्टी के चबुतरे में छिपा दिया जाता है। इसके चावल को हल्दी लाल व नीला रंग कर चारों विभिन्न आकृति के चौक के रूप में बना दिया जाता है, फिर मंडप की पूजा वहां कलश स्थापित कर सुवासिन, सुवासा व वर–वधु की मां करती है, फिर सुवासिन पहले वर काड़ धनुष पकड़ाकर मगरोहन को हल्दी चढ़ाकर वर को हल्दी चढ़ाते है। इस प्रकार तीन दिन तक ऐसा करते है मंडप के दिन वर तथा वधू के परिजन सगे संबंधी कुछ पैसे आदि भेंट करने के रूप में देते है। उसी दिन दोपहर सुवासिन गुलाल हल्दी गुड़ आदि लेकर गांव के बैगा के घर जाकर उनके देव पाहुर तेल लेकर पूजा करती है इसे ''देवतला'' कहा जाता है तीनो दिन ही वर के माता पिता उसका वर का मामा लुगरा व धोती देता है इसे चिकट कहा जाता है इसी दिन ''मायन'' (मातृका पूजन) भी होता है जिससे देवी देवताओं की पूजा की जाती है।

वर को कुनकुने (हल्के गर्म) पानी से नहलाकर उसे नया कपड़ा पैंट–शर्ट पहनाकर सिर में पगड़ी बांधी जाती है दूल्हा का पूरा वस्त्र ज्यादातर सफेद रहता है। पगड़ी के ऊपर खजूर (झींद) के पत्ते से बना ''मौर'' बांधा जाता है दूल्हे का श्रृंगार वर और बांधने का कार्य सुवासा करता है उसे वर के माता पिता ''नेग'' (कुछ रूपये) देते है। इसके बाद वर को मड़वा में खड़े कराकर सुवासिन वर की मां अन्य रिश्तेदार वर के चारो ओर कलश लेकर परिक्रमा कर दीपक के लौ से गरम कर वर के माथे व मौर में ले जाकर रखती है इसे मौर सौंपना कहते है।

मौर सौपने के बाद वर के साथ बाजा आदि लेकर बाराती वधु के घर जाने के लिए निकल पड़ते है यदि गांव के पास रहा तो उसी दिन व गांव से दूर रहा तो एक

दिन पहले निकलकर बारात वधु के गांव पहुंचती है बारात में 50 से लेकर 150 व्यक्ति भी वधु के पिता के हैसियत के अनुसार रहते है बारात ट्रेक्टर, बस से या फिर कोई और व्यवस्था करते है। वर चार चक्का से या फिर बस से जाते है।

वधु के गांव में बारात पहुंचकर गांव से बाहर किसी वृक्ष की छाया या किसी की परछी पर रूकती है तथा बाजे के आवाज से वधु के घरवालों को जानकारी हो जाती है कि बारात आ गई अतः पानी आदि लेकर वधु के रिश्तेदार आते है पानी आदि पिलाया जाता है, लड़की वाले बारात की अगवानी (स्वागत) हेतु आते है उस समय अखाड़ा, लाठी, तब्बल आदि का खेल खेला जाता है फिर वर व वधु के पिता आपस में समधी भेंट करते (गले मिलते) है। बाकी रिश्तेदार भी एक दूसरे से गले मिलते है फिर बारात वधु के घर जाती है वहां सुवासिन दरवाजे पर पर्रा की ओर करके दुल्हन को रखती है दुल्हा ''लाई'' (धान की कील) मड़वा पर छिड़क कर लाठी से मड़वा को छूता है। चला जाता है अब बारातियों को एक निश्चित स्थाप पर ठहराया जाता है जो जनवासा कहलाता है। इससे ठहराते है, जनवासे में प्रवेश के पूर्व वधु पक्ष की ओर से नाई व रावत पानी लेकर प्रत्येक बरातियों का पैर धोते है, बाद में पैर धुलाई की (नेग) वर पक्ष से रावत व नाई को दिया जाता है। वधु की छोटी बहन या रिश्ते की छोटी बहन को साथ में लेकर सुवारिन (वधु पक्ष की) व स्त्रियां गाना गाती हुई जनवास आती है महा वर के पास पानी रखकर मजाक के तौर पर वर की साली उसे दातौन कराती है फिर वर पक्ष की ओर से लड़की कुछ पैसा वर के साली को देता है फिर वर पक्ष की ओर से लड़की के लिए मौर, साड़ी, बिछिया, चुड़ी, पोलका आदि भेजा जाता है जिसे वधु को पहुचाया जाता है। बरात जनवासे में विश्राम करती है फिर वधु पक्ष की ओर से तैयार हो जाने के बाद भांवर के लिए बुलाते है दुल्हा को तैयार कर बराती दुल्हन के घर का हाथ पकड़ कर मंडप तक ले जाती है तथा मंडप में बैठा देती है, फिर वधु को लाकर दोनो की पूजा कराते है फिर दुल्हा के अल्गी (गमछा) में पीला चावल हल्दी व सुपाड़ी रखकर दुल्हन के आंचल में बांध देते है, इसे गठबंधन कहते है। इसमें दुल्हन आगे रहती है। दुल्हा पीछे बाद में पूर्व की ओर मुख कर दुल्हन को बैठाया जाता है तथा दुल्हा–सिन्दुर जो ''सिघोरालिया'' में रखा रहता हैं। पांचो उंगली डूबाकर पहले पांच

बार भूमि में साक्षी के रूप में लगाता है तत्पश्चात् पांच बार दुल्हन के मांग पर लगाता है फिर दुल्हा को दुल्हन के दाहिने बाजू में बैठाया जाता है बाद में कन्या के माता–पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार थाली, लोहा, गिलास, बहलोही, गुण्डी आदि दहेज टीकते है। स्थिति के अनुसार गाय–बैल अनाज भी देते है कही–कही जमीन भी दिया जाता है तत्पश्चात वधु के भाई–भाभी, काका–काकी, मामा–मामी, फूफू–दीदी व फूफा तथा अन्य रिश्तेदार पीले चावल वर–वधु के माथे मे टीका लगाकर बर्तन व नगद पैसे आदि देते है। इसे टिकावन कहते है बाद में गठबंधन का अल्गी वधु के पास छोड़कर वर जनवासे चला जाता है वधु पक्ष की ओर से बाराती को खाना खिलाया जाता है जिसमें दाल भात सब्जी (विशेष रूप से कढ़ी या बरी) बरा सोहारी आदि दिया जाता है खाने के बाद नव दंपती को सुवासिन बाहर मंडप में निकालती है बाहर वधु का पूरा सामान रखकर निकालते है सुवासिन व वधु के माता वधु को ''मौर सौपती'' है तथा कुछ अन्य स्त्रियां मौर सौपती है लड़के का पिता सुवासिन को ''नेग''देते है तत्पश्चात वधु के भाईयों के द्वारा वधु को गुड़ पानी पिलाया जाता है तथा वधु सबसे मिलकर रोने लगती है रिश्तेदार उसे कुछ पैसा आदि देते है तत्पश्चात वधु की छोटी बहन व सहेलिया को कुछ नेग देता है जिसे गड़छोड़वनी नेग कहा जाता है तत्पश्चात वर–वधु को कार या गाड़ा–गाड़ी में बैठाते है लड़की के माता पिता बारातियों से मिलाते है तथा बारात दुल्हन को लेकर वर के घर की ओर चल पड़ती है वधु के साथ उसकी छोटी बहन दादी मां डोकरी दाई जो भी साथ में वर के घर आती है उसे लोकड़हिन कहते है। बारात घर पर आने पर वर की मां व वर की सुवासिन निकल कर दरवाजे पर पानी गोलाकार रूप से डालती है उसे पानी ओछारना कहते है तत्पश्चात वधु वर का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाती है, कुछ आराम कर नाश्ता करने के बाद दोपहर पश्चात घर में पुनः भावर पड़ता है वर आगे रहता है वधु पीछे फिर दोनो को बिठाकर घर के घर में सिर्फ टिकावन के तौर पर नगद रूपये दाईज टिकते है तत्पश्चात बारातियों को खाना खिलाकर अपने–अपने घर जाने दिया जाता है दूसने दिन दुल्हा व दुल्हिन को एक कपड़ा छत की तरह पकड़कर चलते है छाया में तालाब ले जाया जाता जै वहा दूल्हा दुल्हन को स्नान

कराते है फिर सुवासिन उसमें मिट्टी की कलश छोटे–छोटे घड़े पानी में कमर जितनी गहराई में डाल देने के बाद निकालने को कहती है जो करंसी पहले निकालता है उसको जीत मानी जाती है फिर वधु उस करंसी में पानी लेकर आगे–आगे चलती है पीछे दुल्हा धनुष बाण लेकर चलता है, सुवासा घास का हिरण लेकर चलता है।

पठौनी :–

विवाह के पश्चात जब वधु की युवा वस्था आ जाती है 18–19 की हो जाती है तब गौना किया जाता है। विवाह के पश्चात यदि वधु 14–15 वर्ष की हो तो उसे हर वर्ष दशहरा के समय मेवा खाई या नवाखायी के समय उसे वर का पिता 2–3 दिन के लिए अपने घर लाता है फिर उसे लुगड़ा आदि देकर पहुॅचा आता है वधु के युवा वस्था होने पर वर का पिता वधु के पिता के पास पठौनी मांगने आता है। वधु का पिता पठौनी के लिए यदि लड़की की अवस्था या कुछ समस्या बताता है और वर का पिता सहमत हो जाता है तो पठौनी दूसरे वर्ष के लिए तय हो जाता है या फिर पठौनी देना हो तो दिन तय किया जाता है निश्चित तिथि को वर का पिता 10–15 व्यक्तियों को पठौनी बारात के रूप में लेकर आता है वधु पक्ष वाले उनका स्वागत करते है आपस में भेंट जोहार (गले मिलना) होता है इन्हे जनवासा में ठहराया जाता है बाद में बीड़ी तम्बाखू आदि दिया जाता है भोजन कराया जाता है तत्पश्चात वधु की मां उसी दिन या दूसरे दिन प्रातः घर के आंगन में सुवासिन से चौक पुराकर उसमें झांपी को रखती है, झांपी में चावल रोटी, अरसा, बरा, सोहारी, तेल, कंघी, दर्पण, साबुन, फीता आदि रखा जाता है साथ ही साथ लुगड़ा, पोलका आदि भी झांपी में रखती है तत्पश्चात वर व वधु को खड़ा कर वर के कंधे में एक पेंट, शर्ट धोती व वधु के कंधे में एक लुगड़ा डाली जाती है। रिश्तेदार व गांव वाले अपने इच्छानुसार ''लुगड़ा पोलका'' पैसा आदि वधु को देते है वधु सबसे मिलकर बिछड़ने के दुख के कारण रोती है मां आदि अन्य औरते भी रोती है सबसे मिलने के बाद सुवासिन वधु को गांव के बाहर तक वधु के साथ जाती है वर भी साथ रहता है वधु के माता–पिता, भाई–बहन, भाभी, गांव के बुजर्ग पुरूष बाहर तक साथ आते है फिर गांव के बाहर वधु के भाई वधु को गुड़–पानी पिलाता है। यदि वर जिस साधन में ले जाना चाहे उसी में वधु बैठते है मां फिर पैदल ही चल पड़ती है।

जब पठौनी बारात वधु को लेकर दुल्हा के गांव आ जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है दरवाजे पर पानी डाला जाता है वधु वर की आरती उतार घर में प्रवेश कराते है झांपी से लुगड़ा कपड़ा धोती पैसा आदि निकालकर लोगो को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते है गांव वालों को रात्रि खाना पठौनी का खिलाया जाता है रात्रि में दुल्हा–दुल्हन मिलते है तत्पश्चात उनका पारिवारिक जीवन प्रारंभ हो जाता है यदि दुल्हन के युवावस्था में विवाह होता तो पठौनी उसी वर्ष 18–19 दिन के बाद भी दे दिया जाता है।

भैना में विवाह का प्रकार

भैना में निम्नलिखित प्रकार के विवाह देखे जाते है :–

1. लमसेना या घरसिया – जब वधु के पिता पुत्र न हो या फिर शुभ भरना देने में असमर्थ हो तो कुछ समय तक जमाई बनकर वधु के पिता के घर रहता है।

2. राजी खुशी विवाह – वर वधु के माता–पिता द्वारा समाज के नियमों को स्वीकार कर किया गया विवाह।

3. पेडू विवाह – जब कोई अविवाहित लड़की जबरजस्ती प्रेमी के घर घुस जाती है पेडू विवाह कहते है यह घुस पेहू विवाह का स्वरूप है।

4. उदरिया विवाह – जब वर वधु के माता पिता सहमत न हो या विवाह हेतु खर्च करने के लिए हाथ में रकम न हो प्रेमी–प्रेमिका भागकर दूसरे गांव चले जाते है बाद में आने पर सामाजिक कुछ अर्थदण्ड देकर पति पत्नी के रूप रहने लगते है। यह सहपलान विवाह कहते है।

5. गुरावट विवाह – जब एक वर की बहन दूसरे वर की पत्नी व दुसरे की बहन पहले की पत्नी बनता है ऐसा विवाह गुरावट कहलाता है यह अदला–बदली या बनियम विवाह का रूप है।

विवाह विच्छेदः–

पति पत्नी में झगड़ा होने पति के निकम्मा होने पत्नी के दुश्चरित्र होने जादू मंत्र वाली टोनही होने या वधु को तकलीफ देने आदि कारणों से जाति पंचायत के समक्ष विवाह विच्छेद किया जाता है।

पुनः विवाह :–

पति की मृत्यु होने पर देवर अपनी विधवा भाभी को पत्नी बनाकर रख लेता है यह विधि चूड़ी पहनाना कहलाता है देवर के अभाव में व्यक्ति जो विधुर हो या विवाह विच्छेद हो चुका हो विधवा या विवाह विच्छेद वाली महिला को चूड़ी पहनाता है। इसमें गांव के बुजुर्गो के समक्ष नया साड़ी, ब्लाऊज व चूड़ी उस पुरूष की ओर से महिला को दिया जाता है तथा समाज वालों को भोज दिया जाता है यदि विवाह बाद एवं पठौनी से पहले किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाये तो उसे ''बरेंडी'' कहते है। किसी विवाहित को कोई भगा ले जाता है या फिर मायके में पति छोड़ बैठी स्त्री को कोई पुरूष चूड़ी पहनाता है तो उसे सामाजिक भोज के अतिरिक्त पहले पति को बिहाती या शुभ भरना के रकम का हर्जाना या विवाह खर्च का हर्जाना देना पड़ता है। बिहाती या बहा लेने वाला रकम पंचायत करती है उक्त का कुछ भाग पंचायत को कुछ आदि को दिया जाता है।

दाम्पत्य जीवन :–

विवाह के कुछ वर्ष पश्चात जब एक दो बच्चे हो जाते है छोटे भाई बहनो का विवाह हो जाता है तो कुछ दिनों बाद भाईयों में बटंवारा हो जाता है सब अपने अपने हिस्से की जमीन में मेहनत करते है। अर्थोपार्जन हेतु जंगल मजदूरी, जंगली उपज संग्रह, कृषि आदि करते है तथा अपने बच्चों की परवरिश व विवाह करते है समय–समय पर भाईयों माता–पिता से मिलते रहते है। इस तरह धीरे–धीरे वृद्धावस्था प्रारंभ होने लगती है।

वृद्धावस्था :–

जब किसी भैना के सभी लड़का–लड़कियों का विवाह हो जाए एवं पुत्र पुत्रियों की भी संतान हो जाये अर्थात जब भैना दादा बन जाता है जो अपने आप में वृद्धावस्था में मानता है जिन्हे ''सियान'' कहते है। निःसंतान दंपत्ति की 50 वर्ष बाद वृद्धावस्था में गिनती होने लगती है इनका कार्य मेहमानों की देखरेख करना, खेती के कार्यो की सलाह अपने बच्चो को देना, कौन सी फसल किस खेत में बोना है, खेतो का निरीक्षण करना, सामाजिक व गांव की बैठको में जाना रस्सी बनाना, बढ़ईगिरी करना आदि कार्य करते है। सयानी स्त्रियां बहुओ को सलाह देती है जब बहु खेत गई तो उसके

बच्चों को संभालती है। वृद्धा अवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि हो जाती है।

मृत्यु :–

मृत्यु के संबंध में इनका विश्वास है कि जब तक ''जीव'' आत्मा शरीर में रहता है तब तक आदमी जिन्दा होता है जब ''जीव'' शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसे मृत्यु हो गया कहते है, भगवान उस जीव को अपने पास बुला लेता है। तब उस प्राणी की मृत्यु होती है। आकस्मिक दुर्घटना हत्या या आत्महत्या द्वारा हुए मृत्यु को अल्पकाल (अकाल) मृत्यु कहते है। इस प्रकार की मृत्यु में इनका विश्वास है कि इनका जीव भूत–प्रेत बनकर भटकता रहता है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा व पीड़ा जनक रोग से ग्रसित है तो कहा जाता है कि उसके कर्मो का फल भुगत कर मर रहा है, यदि व्यक्ति रोगी होता है तो बैगा आदि बुलाकर उपचार कराता है देवी–देवताओं में बलि भी देते है यदि वह बच जाता है तो इनका विश्वास बैगा कर अधिक दृढ़ हो जाता कि किन्तु यदि मर जाता है तो कहा जाता है कि भगवान ने इसे उतने ही दिनों के लिए भेजा था।

जब किसी व्यक्ति का मृत्यु क्षण निकट आ जाता है तो जमीन को गोबर से लीपकर उस व्यक्ति को जमीन पर सुलाया जाता है इस संबंध में इनका कहना है कि जन्म व मृत्यु धरती माता की गोद में होना चाहिए मृत्यु के समय परिवार वाले व रिश्तेदार उसके मुंह में गंगाजल, तुलसी मृतक के हाथ में छुआते है इसे घतेरणी कहा जाता है, बाद में बछिया भांजे या बेटी को दे दिया जाता है। मुंह में गंगाजल आदि पवित्र वस्तु डालने के सबंध में यह विश्वास किया जाता है कि मृतक की आत्मा को इससे शांति मिलेगी सभी पाप कट जायेगे।

मृत्यु के बाद मृतक के शरीर को रिश्तेदार व ग्रामवासी मिलकर नहलाते है फिर हल्दी व तेल का मिश्रण लगाते है। नया कपड़ा पहनाया जाता है फिर उसे बांस की बनी हुई खंहनी (अर्थी) या उल्टा खटिया में सुलाया जाता है फिर इनका सफेद कपड़ा ओढ़ाकर मुआ की रस्सी से अर्थी के साथ बांध देते है जिसमें ले जाते समय शव गिर न पड़े। चारों ओर किनारे में केले के पत्ते बांधे जाते है फिर धान व कुछ 1, 2 रूपये के सिक्के को मिलाकर एक व्यक्ति रखकर आगे चलता है तथा चार निकट संबंधी पुत्र, भतीजा, नाती, भाई व अन्य रिश्तेदार चार लोग अर्थी को कन्धे पर उठाकर

रामनाम सत्य है सबकी यही गत है कहते हुए श्मसान की ओर ले जाते है, साथ में धान व पैसा घर से बाहर निकालते समय जमीन में छिड़का जाता है स्त्रियां रोती हुई घर के दरवाजे तक आती है फिर वापस चली जाती है गांव से बाहर निकलने पर एक जगह अर्थी कुछ देर उतार कर चारों व्यक्ति आपस में घूमकर अपना स्थान बदलते है। मृतको को प्रायः दफनाया जाता है इसलिए 3–4 व्यक्ति पहले ही श्मसान जाकर लगभग 2 हाथ गहरा गढ़ढ़ा खोदकर रखते है, तत्पश्चात अर्थी के पहुंचने पर उसे उतार कर पहले जमीन में 1, 2 रूपयें सिक्का डालकर शव को गहने आदि निकाल लेते है फिर उसे गढ़ढे में उतार कर नमक एक मुठ्ठी धान, तिल व पैसा उसके शरीर में डाल सभी व्यक्ति थोड़ी–थोड़ी मिट्टी डाल, दूर से ही प्रणाम करते जाते है। तत्पश्चात गढ़ढे को मिट्टी से दबा–दबा कर पूरा भरते है, बीच में कांटा बोरझरी डालते है ताकि उद बिलाव आदि जंगली जन्तु शव को खोदकर खा न सके फिर मिट्टी जमीन से 1 फुट ऊपर तक डालकर उसमें पानी डालकर ऊपर गोबर से लीप दिया जाता है। उसके ऊपर धान, उड़द, पैसा आदि छिड़क कर रख देते है। शव का सिर उत्तर की ओर रखा जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी व प्रतिष्ठित बुजुर्ग हो जिनकी अस्थि महानदी या गंगा जी ले जाकर जलाया जाता है। गांव में मृत्यु का पता चलते ही लोग लकड़ी व छेना (कंडा) एकत्र करते है।

बाद में इसे बैलगाड़ी या ट्रेक्टर में श्मशान पहुंचा दिया जाता है शव के श्मशान पहुंचने पर एक दो व्यक्ति चिता रखते है, चिता उत्तर, दक्षिण रखा जाता है फिर उसमें अनाज व पैसा आदि डालकर ऊपर पुनः कंडे व लकड़ी रखकर दाग देते है। कुछ व्यक्ति इसमें घास के छोटे–छोटे पूले बनाकर रख देते है जिसमें आग जल्द फैल सके। बड़ा पुत्र आग लेकर चिता के चारो ओर परिक्रमा कर सिर के तरफ से चिता में आग लगा देता है। कुछ समयोपरान्त बांस की लकड़ी से चिता की लकड़ी को एकत्र करते है व शव के सिर के तरफ से चिता में आग लगा देते है। चिता में पूरी तरह अग्नि फैल जाने पर लोग नदी या तालाब में स्नान हेतु जाते है। स्त्रियां स्नान करती है फिर नदी या तालाब किनारे में छोटा सा गढ्ढ़ा बना दातौन व दूबी गड़ा कर आसपास चावल छिड़क कर सभी औरते 5–5 ''पसर'' (अंजनी) पानी उस पर मृतक के नाम सें डालती है। पुरूष भी स्नान आदि कर उसी स्नान पर जहां स्त्रियां पानी दी थी वही

पानी देते है फिर सब एक कतार में घर आते है घर का प्रमुख आगे रहता है फिर शेष लोग एक–एक कतार में सब पुरूष मृतक के घर के पास आकर थोड़ा चावल दाल व नमक मिर्ची लेकर मृतक के घर पहुचते है। मृतक के घर 3 दिन तक भोजन नही बनता गांव में रहने वाले सगा संबंधी रिश्तेदार आदि परिवार वालों व बाहर से आये मेहमानों को बुलाकर खिलाते है।

मृत्यु के तीसरे दिन तीज नहावन रखा जाता है इस दिन यदि मृतक को जलाया गया हो तो अस्थि को टुहना (एक मटका) में एकत्र करते है, फिर स्त्री व पुरूष गांव के अन्य स्त्री पुरूषों के साथ अलग–अलग समूह के रूप में कतारों में घर से निकल, स्नान हेतु तालाब व नदी जाते है, वहां स्नान कर पानी देकर वापस घर आते है शाम को केला के पत्ते में दाल, भात गांव के बाहर मृतक के नाम से प्रतिदिन दसकरम तक रखते है। इसी दिन अस्थि को एक जगह रखकर उस पर दीपक जलाते है, फिर गंगा या महानदी जाने वाले इसे लेकर गंगा चला जाता है वह अस्थि विसर्जित कर श्राद्ध करा वापस लौटता है।

मृत्यु के दसवे दिन दशकरम कहलाता है इस दिन परिवार के व्यक्तियों के कपड़ा धोबी से धुलवाते है नदी के किनारे परिवार रिश्तेदार व गोत्र के लोगो के बाल, दाढ़ी, मूंछ आदि नाई उतार देता है।

स्त्रियां मृतक की विधवा स्त्री के गहने–चूडियां आदि इस दिन उतार देती है पूरे घर की लिपाई–पूताई भी किया जाता है स्थान पर पानी देकर लौटने के बाद रात्रि में गांव वालों को भोजन कराया जाता है कही–कही इसे धिनबाद या तेरही कहते है छोटे बच्चों का तेरहवी 3 दिन में ही कर देते है, इस दिन से परिवार शुद्ध हुआ माना जाता है।

प्रथम पितृ पक्ष (पितर) कृष्णपक्ष में जिस तिथि को मृत्यु हुआ है इसी तिथि में उसे पानी देकर उसके नाम पर बरा, भजिया बनाकर व उस दिन उसकी प्रिय सब्जी बनाकर उसके नाम से निकाल कर बाहर ''छानी'' पर रख देते है। इसे पितर मिलौना कहते है। इसके बाद पितृ पक्ष में प्रत्येक वर्ष उनके नाम से पितर मनाया जाता है, पानी दिया जाता है।

अध्याय 6 राजनैतिक संगठन

अन्य जनजातियों की तरह भैना जनजाति में भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने हेतु राजनैतिक संगठन पाया जाता है।

संगठन का स्वरूप :–

भैना समाज की जाति पंचायत में निम्न राजनैतिक संगठन कार्यशील है।

1. जाति पंचायत

अ. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

2. गांव पंचायत

3. आधुनिक ग्राम पंचायत

1. जाति पंचायत :–

(अ) ग्राम स्तरीय जाति पंचायत :–

प्रत्येक ग्राम में भैना जनजाति की अलग अलग ग्राम स्तरीय जाति पंचायते होती है। ग्राम में समाज के लोग अपनी जाति का मुखिया बनाते है, जिसे वर्तमान में अध्यक्ष कहा जाता है, ग्राम के मुखिया को "पटेल" कहा जाता है। इनका साथ ग्राम के "गौटिया" भी देते थे, गोंटिया अर्थात ग्राम में आर्थिक स्थिति में सम्पन्न व्यक्ति होते है जिनके पास जमीन अधिक होती है। जाति पंचायत में गांव के बीच बैठकर जनजाति परम्परा के आधार पर "गुड़ी" (सभा) का आयोजन किया जाता है गांव में भैना समाज की बैठक के आयोजन को "गुड़ी" कहा जाता है। जाति पंचायत में ग्राम के मुखिया (पटेल) का निर्णय जाति के सभी व्यक्तियों को मान्य होता है। इनका कार्य निम्न है :–

1. शादी–विवाह से संबंधित कार्यो को संपादित करना।
2. सगोत्र विवाह को रोकना।
3. जाति की परम्परागत पूजा हेतू लोगो को इकट्ठा करना।
4. मृत्यु संस्कार आदि मे सहयोग करना।
5. मुंण्डन संस्कार में भाग लेना।
6. पूजा पाठ हेतु चन्दा इकट्ठा करना।

7. समाज के लोगो के बीच अनैतिक संबंध रोकना व नियंत्रण करना।

8. जातिगत झगड़ो को निपटाना।

9. जाति से संबंधित नियम बनाना।

(ब) जिला स्तरीय जाति पंचायत :–

वर्तमान में यह संगठन उच्च स्तर के कार्यो को करने बनाया गया है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि चुने जाते है। इनका कार्य जाति के उत्थान एवं विकास करना, शिक्षा संबंधी कार्य आदि होते है प्रतिवर्श भैना समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें भैना समाज जनजाति के सभी लोग हिस्सा लेते है। इनमें निम्न मुद्दों का निबटारा किया जाता है :–

1. सामाजिक विवादो को सुलझाना।

2. समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए योजना बनाना।

3. जिला के स्तर को उच्च बनाने हेतु योजना।

उपरोक्त के अतिरिक्त समाज के अन्य मुद्दे होते है, जिनमें विवाद की स्थिति पैदा हो वहां अध्यक्ष या अन्य समाज के प्रमुखों के हस्तक्षेप से उसका समाधान किया जाता है, जो कि समाज के सभी लोगो को मान्य होता है। जिला स्तरीय सम्मेलनों कें सामूहिक विवाह का भी आयोजन होता है जिसमें विवाह योग्य लड़के–लड़कियां भाग लेती है और सामूहिक विवाह सम्पन्न किया जाता है।

2. ग्राम पंचायत :–

ग्राम पंचायत में भैना जनजाति के साथ रहने वाली अन्य जातियां जैसे–रावत, साहू, तेली जाति के लोग भी इनके सदस्य होते है। इस पंचायत का प्रमुख मुकद्दम होता है गांव में विभिन्न मामलो में निपटारा के लिए 5–6 व्यक्ति को बैठक में पंच बनाते है। मुकद्म का पद स्थायी होता है।

यह पंचायत निम्नलिखित कार्य संपन्न करती है :–

1. गांव में अलग–अलग जातियों के बीच होने वाले झगड़ो का निबटारा करना।

2. गांव के विकास के लिये कार्यो का आयोजन करना।

3. गांव के देवी–देवताओं हेतु चंदा एकत्र कर पूजा आदि की विधिवत व्यवस्था करना।
4. विवाह विच्छेद के मामलो को निबटारा करना।
5. अलग–अलग जाति व एक ही जाति के सदस्य जो उस गांव में निवासरत् है के अनैतिक संबंधो के झगड़े व अन्य प्रकार के झगड़ो को निपटाना।
6. भाई–बहन, सास–बहु, सास–दामाद, बाप–बेटी के अनैतिक संबंधो के मामलो पर अपराधियों को दण्ड देना।
7. भाईयो के बीच संपत्ति के बंटवारा करने हेतु जाना।
8. भूमि संबंधी सामान्य विवादों को निबटारा आदि करना।

3. आधुनिक ग्राम पंचायत :–

आधुनिक ग्राम पंचायत में चुनाव वोट (मत) डालकर किया जाता है। भैना जनजाति के लोग भी पंच, सरपंच व उप–सरपंच आदि पदो पर रहते है। वर्तमान में चुनाव पार्टी के आधार पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पाटियों के नाम से लड़ा जाता है। इस पद हेतु शिक्षण, चरित्र कार्य करने की शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, ईमानदारी आदि गुण देखे जाते है। वर्तमान पंचायती राज की कार्य पद्धति से प्रायः सभी परीचित है। अतः इसके संबंध में अधिक विस्तृत न हो इस लिए अलग से नही किया जा रहा है। वर्तमान में भैना जनजाति के लोग पंच से लेकर विधायक स्तर तक चुनाव जीतकर अपनी सेवाएं देते रहे है।

अध्याय 7 धार्मिक जीवन

देवी–देवता :–

भैना जनजाति के लोग भी छततीसगढ़ की अन्य जनजातियों की भांति धर्म व जादू पर अधिक विश्वास रखते है। हिन्दू धर्म के साथ जातियों द्वारा जिन देवी–देवताओं की पूजा पाठ की जाती है इनके द्वारा भी उनकी पूजा पाठ की जाती है। भैना जनजाति के आराध्य देवी देवता– ठाकुर देव, दूल्हादेव, सम्लेश्वरी देवी, सारंगढहीन देवी, डिहारेन दादी, डोकरा आदि है।

ठाकुर देव :–

ठाकुर देव भैना जनजाति के मुख्य देवता है। यह गांव की रक्षा करते है। गांव में फैली बीमारी, पशुओं में फैली बीमारी से बचने के लिये प्रत्येक वर्ष हरेली, नवाखाई तथा अकती को इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में नारियल, गुड़ का धूप, शराब, व बकरा या मुर्गा की बलि देते है। मुर्गे की बलि प्रति वर्ष दी जाती है।

दूल्हादेव :–

दूल्हादेव गांव के एक किनारे पर स्थित चबूतरा जैसी रचना में स्थित होते है, इनकी पूजा नवाखाई, अकती (अक्षय तृतीया), हरियाली, श्रावण अमावस्या आदि में की जाती है। इनकी पूजा में नारियल, गूड़ का होम, बकरे की बलि आदि दी जाती है। वर्ष में कई बार नारियल चढ़ाया जाता है। इन्हे भूरे रंग के बकरे की बली दी जाती है जिसे ''खैरा बकड़ा'' कहते है।

सम्लेश्वरी देवी :–

नवरात्री में पंचमी के दिन ही सम्लेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। माता को नये धान के चावल से बने खीर का भोग लगाया जाता है साथ में नारियल भी फोड़ते है। महुआ के रस जिसे ''तड़पन'' कहा जाता है माता को चढ़ाया जाता है। खीर के प्रसाद के साथ–साथ परिवार के लोग महुआ के रस जिसे ''तड़पन'' कहा जाता है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते है। ''तड़पन'' शराब का छोटा रूप होता है।

सारंगढ़हीन देवी :–

घर में पुत्र के विवाह के समय इनकी पूजा की जाती है। शादी के प्रथम दिन, तेल चढ़ने के दिन, जिस दिन बहु घर में प्रवेश करती है और घर के देवता का दर्शन कराया जाता है। जैसे ही बहु घर के देवता के आशीर्वाद के लिए देवता के चौखट पर कदम रखती है उसी समय बकरे की बली भी दी जाती है, ऐसी मान्यता है कि बली से माता प्रसन्न होगीं और आने वाली बहु को आशीर्वाद प्रदान करेंगी, भूरे रंग के बकरे की बली दी जाती है जिसे ''खैर बकड़ा'' कहा जाता है। ''खैरा बकड़ा'' की व्यवस्था नही हो पाने की स्थिति मे या फिर हैसियत के हिसाब से मुर्गी की भी बली माता को दी जाती है।

पनघट :–

पानी भरने के स्थान जैसे नदी, नाले, झील आदि जहां से पानी गांव वाले पहले लाते थे पनघट कहलाता है। इसकी पूजा बीमारी से बचने व वर्ष भर पानी उपलब्ध होता रहे इस कामना से की जाती है। दीपावली में रात्रि के समय इसकी पूजा की जाती है जहां नारियल, मुर्गा आदि चढ़ाया जाता है।

माता :–

ग्राम के बाहर किनारे में नीम वृक्ष के नीचे ''माता चबूतरा'' में माता का स्थान होता है। जहां कुछ पत्थर गोलाकार आकृति में रखा होता है जिस पर सिंदूर लगाया हुआ होता है साथ में लोहे के त्रिशूल जैसी रचना गड़ी होती है। माता की पूजा ''शीतला'' (चेचक) से रक्षा हेतु किया जाता है। प्रतिवर्श चैत्र एवं दीपावली को इसकी पूजा की जाती है नारियल अगरबत्ती आदि चढ़ाया जाता है।

चण्डीमाई :–

इनका स्थान गांव में ही होता है दीपावली व चैत में इनकी पूजा मनुश्यों को उल्टी, दस्त, हैजा आदि से बचाने के लिए किया जाता है। इन्हे फूल–पान, नारियल, काली मुर्गी की बली दी जाती है।

बाघ देव :–

इनका स्थान जंगल में होता है इनकी पूजा करने के बाद, बाघ गांव में नहीं

आता एवं पालतू पशुओं को उठाकर नहीं ले जाता ऐसी मान्यता है इन्हे नारियल व छीटेदार मुर्गी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक गोत्र के अलग–अलग देवी देवता होते है। प्रत्येक घर में देवी–देवता के लिए घर के भीतर ''गूड़ी'' बनाते है। घर के एक कोने में पूजा घर बनाते है। जहां देवी–देवता को रखा जाता है और प्रतिदिन इनकी पूजा की जाती है। देवी को घर के अंदर तथा देवता को उससे थोड़ा दूर रखकर पूजा पाठ किया जाता है। अगरबत्ती, सौफ, सुपाड़ी, होम, नारियल बलि में मुर्गा आदि के द्वारा अनेक प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है। इस सारी वस्तुओं का चढ़ावा पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। जो कि पूवर्जो की परम्परा है आज भी विद्यमान है, उन नियमों का पालन आज भी भैना जनजाति के लोग करते है। ग्राम के देवता के लिए गांव के बाहर, ''देवरास'' होता है, ज्यादातर पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। गांव में किसी पहाड़, वनवृक्ष, चबूतरा आदि को आदिवासी लोग मानते है। समजातिय जीवन प्रकृति के अति निकट है। विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं को, आश्चर्य, भय, श्रद्धा की दृश्टि से पूजा की जाती है, उनके प्रति विश्वास करते है, क्योंकि परिवार की सुख–समृद्धि और संकट के समय उसकी रक्षा करें। पूजा पाठ घर की शांति के लिए घर के बुजुर्गो द्वारा किया जाता है। भैना समाज में पुजारी को ''बैगा'' कहा जाता है।

उपरोक्त के अलावा भैना जनजाति के लोग, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव–पार्वती, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी जी, महाकाली आदि देवी–देवताओं की पूजा भी करते है। प्राकृतिक वस्तुए जैसे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी, पवन, पहाड़, नदी, वन वृक्ष आदि की पूजा भी करते है, जो कि इनका प्रकृति पूजा करने का स्वरूप है।

त्यौहार, व्रत, उत्सव :–

भैना जनजाति में अनेक त्यौहार, व्रत, उत्सव मनाये जाते है जो निम्नलिखित है :–

1. हरेली :–

हरेली मुख्य रूप से किसानों का पर्व है यह त्यौहार श्रावण मास के अमावस्थ्या को मनाया जाता है इस दिन कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे–हल, कुदाली,

गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, हसियां आदि को धोकर आंगन में रखते है, फिर भोजन बनाने के बाद उपकरणों की पूजा करते है तथा नारियल फोड़ा जाता है। रोटी का टुकड़ा प्रत्येक उपकरणों के पास रखा जाता है। चावल और गुड़ से बना रोटी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।

2. अकती (अक्षय तृतीया) :–

यह त्यौहार वैशाख शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता हैं। यह कृषि कार्य प्रारंभ करने हेतु मनाया जाता है। ठाकुर देव के पास सुबह गोबर से लीपकर 8–9 बजे तक प्रत्येक किसान दोनों में धान लेकर जाते है वहां सारे धान को बैगा एक साथ मिला देते है। ठाकुर देव की पूजा कर नारियल आदि चढ़ाकर, मन्नत मांगी जाती है कि फसल अच्छी हो। गांव सुख सम्पति से रहे। उसके बाद धान की खेती जिस प्रकार की जाती है वह सारी प्रक्रिया वहां पर राक खेल के रूप में किया जाता है। जैसे पानी थोड़ा छिड़क कर लोहे के हल से जमीन जोतने जैसा किया जाता है जबकि जमीन जोता नही जाता है। बीज छिड़कते है इसके बाद पानी गिरा कर निदाई की जाती है उसके बाद धान की कटाई करते है तत्पश्चात धान की मिसाई करके देवता में चढ़ा कर धान घर ले जाते है। बाद में सभी किसानों को दोने में धान भरकर वापस लौटाया जाता है। जिसे किसान लाकर सायंकाल अपने–अपने खेत में एक कोने में छिड़ककर थोड़ा खुदाई कर बीज को मिट्टी से ढ़कते है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है अतः कुछ लोग विवाह भी इसी दिन करते है।

3. रक्षाबंधन :–

श्रावण पूर्णिमा को प्रातः बहन नहा–धोकर तैयार हो जाती है। भाई के नहा लेने पर बहन भाई को बैठाकर उसके माथे पर गुलाल का टीका लगाती है, चावल का अक्षत, छिड़ककर भाई की कलाई पर राखी बांधती है। मिठाई खिलाने के बाद आरती की थाल से भाई की आरती उतारती है और भाई के लंबे उम्र की कामना करती है भाई उपहार स्वरूप बहन को कपड़े या रूपये देता है।

4. पोरा (पोला) :–

भादो अमावस्या के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है इस दिन कुम्हार के घर से मिट्टी का नंदिया बैल, व पोरा जाता खरीदा जाता है। स्नान आदि कर के घर के

देवता की पूजा कर नादियां व पोरा जाता की पूजा कर प्रार्थना किया जाता है कि उन्हे सुखी रखे। तत्पश्चात रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराते है।

5. गणेश चौथ :–

भादो शुक्ल चतुर्थी को गांव में सामूहिक रूप से अथवा कई व्यक्ति अपने घर पर ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते है। पूरे 11 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है। सुबह शाम आरती के बाद लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाता है। कई घरों में 3 दिन, कही 5 दिन कही 7 दिन और कही 11 दिन मूर्ति को रख कर पूजा की जाती है। उसके बाद उनकी प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है।

6. बिदरी :–

भादो शुक्ल पक्ष में ही ठाकुर देव के स्थान पर बिदरी बनाते है, जिससे कामना किया जाता है कि खेतो में फसल अच्छी हो। रात्रि में ठाकुर देव की पूजा कर मुर्गा या बकरा की बलि दी जाती है, उसी दिन धान के खेतों की भी पूजा की जाती है जिसे गर्भ पूजा कहा जाता है। देवी–देवताओं को नारियल आदि चढ़ाया जाता है।

7. पितर :–

कुंवार कृष्ण पक्ष में प्रतिपक्ष से अमावस्या तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। जिस तिथि को घर के बुजुर्गो की मृत्यु हुई थी उसी तिथि को उन्हे ब्राम्हण द्वारा किये गये कुश स्नान के पश्चात् पानी देते है। चावल व उड़द के दाल को नदी तालाब के किनारे रखा जाता है। घर के आंगन को गोबर से लीपकर किनारे में चावल के आटे का "चौक" बनाते है तथा उसमें फूल डालते है, बाद में दाल, भात, बड़ा बनाकर पितर को भोग लगाते है तथा पत्तल में कुछ भोजन रखकर आंगन या छप्पर में रख देते है, फिर सभी लोग भोजन करते है। अमावश्या के दिन पितृ विसर्जन इसी प्रकार मनाया जाता है।

8. नवरात्रि :–

कुंवार शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात कहलाता है। बालू को एकत्रित करके उससे जवारा बोते है। जवारा में प्रथम दिन देवी देवता को सुमिरन कर बैगा के

मार्गदर्शन में कलश स्थापित कर अखण्ड जोत एक मिट्टी के बड़े दिये जिसे "नाडी" कहा जाता है तेल भरकर जलाते है। फिर बनाये गए बालू के चबूतरे में जौ–गेहू, धान, उड़द, मूंग आदि बोया जाता है फिर पानी से सींचा जाता है। प्रथम दिन से ही गांव के लोग जिन्हे "सेवुक" कहते है ढ़ोल बजाकर माता दुर्गा के विनय गीत गाते है, जिसके घर में ज्वारा बोया जाता है वहां कोई न कोई व्रत करता है। वह जमीन में सोता है, और एक ही समय भोजन करता है। पंचमी में माता की सेवा अधिक देर तक चलती है। अष्टमी के दिन कन्या भोजन कराया जाता है और मान्यता अनुसार बकरे की बलि भी दी जाती है। नवमी के दिन ज्वारा को दूध और पानी से सींचने के बाद पूजा पाठ आरती होने के बाद कलश, ज्वारा आदि को नदी–तालाब में विसर्जन किया जाता है।

9. दशहरा :–

क्वार शुक्ल दशमी को राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी सायंकाल रामलीला मण्डली जाती है और रावण दहन होता है, वर्तमान में जगह–जगह इस अवसर पर रावण की आकृति का बड़े आकार का पुतला बनाया जाता है जिसे सामूहिक रूप से दहन किया जाता है तथा सोनपत्ती आपस में बांटते है।

10. दीवाली :–

दीवाली के कई हफ्ते पहले से घर की लिपाई–पुताई पूरी कर ली जाती है। दीवाली के सात दिन पहले "गौरा चौरा" के पास रात्रि में हूम देकर भैना स्त्रियां रात्रि में दीपक जलाकर गौरा गीत गाती है। "सुआ" (तोते) की आकृति बनाकर सुआ गीत के साथ गोलाकार आकृति में नाचते हुए घर–घर जाकर चावल व पैसा एकत्र करती है, दीवाली के दिन सुबह "चौरा माटी" गांव के बाहर से लाकर सांप–गौरा व गौरी (शिव–पार्वती) की आकृति बनाते है। यह कार्य गांव के प्रमुख के द्वारा किया जाता है। सायंकाल मिट्टी व आटे का दीपक जलाकर घर के दरवाजे, धान की कोठी आदि जगह दीपक जलाते है। रात्रि में लगभग 8 बजे तक लक्ष्मी पूजन किया जाता है। जिसमें पैसे को दूध से स्नान कराकर चावल, फूल, दूब चढ़ाकर आरती कर नारियल फोड़कर प्रसाद बांटते है। खाना आदि खाने के बाद 10 बजे लगभग गौरा–गौरी को निकाला जाता है, अविवाहित लड़की गौरी को और विवाहित लड़का गौरा को सिर पर

उठाये रहता है, बाजा के साथ गौरा–गौरी का गीत गाते हुए घर–घर स्त्रियां गौरा–गौरी का दर्शन कराती है। यह कार्यक्रम रातभर चलता है। बच्चे फटाके फोड़ते है। सुबह 5 बजे गौरा–गौरी को "गौरा चौरा" ले जाते है। सुबह 9–10 बजे तक गौरा–गौरी का विसर्जन किया जाता है।

11. नवाखाई :–

नवरात्र की पंचमी के दिन नवाखाई मनाते है। इस दिन घर के देवता को नये धान के चावल का बना खीर का प्रसाद और नया चावल का गुड़ के साथ बना चीला का भोग लगाया जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में परिवार के लोग खाते है।

12. होली :–

होली त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। बसंत पंचमी को गांव के लड़के–पटेल व बैगा मिलकर होली जलाने के स्थान पर "हूम" देकर मंत्र पढ़कर झाड़ू खोदकर गड़ा देते है। फिर उस दिन से रोज थोड़ी–थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करते जाते है। होली की रात्रि में लगभग 8 से 10 बजे के बीच लड़के, लड़कियां, गांव का बैगा, पटेल व कुछ प्रमुख लोग होली जलाने वाले स्थान पर जमा होते है और अपने साथ नारियल गुलाल, जल इत्यादि लेकर आते है। पूजा करने के बाद होलिका में अग्नि जलाने के बाद अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते है। नारियल फोड़ते है और घर चले जाते है। अगले दिन रंग गुलाल, एक दूसरे को लगाते है और होली खेलते है।

व्रत :–

भैना जनजाति में निम्नलिखित व्रत किये जाते है।

1. एकादशी :–

प्रत्येक हिन्दी महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि को अनेक महिला व पुरूष व्रत रखते है तथा पूजा करते है। शाम को फलाहार करते है।

2. श्रावण सोमवार :–

अविवाहित लड़कियां श्रावण मास में सोमवार का व्रत करती है। शिवजी की पूजा जल व बेलपत्र चढ़ाकर किया जाता है और शाम में फलाहार करती है। यह व्रत

अच्छे वर की कामना हेतु किया जाता है।

3. महाशिवरात्रि :–

इस दिन अविवाहित लड़कियां या संतान प्राप्ति के इच्छुक वर वधुएं उपवास करती है, व शिवजी की पूजा करने के बाद रात्रि में फलाहार करती है।

4. जन्माष्टमी :–

भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घर के बड़े व बड़े लड़के–लड़कियां उपवास रखते है। झूले में बाल गोपाल को झूला–झूलाया जाता है रात्रि में पकवान, खीर आदि चढ़ाने के बाद पूजा उपरांत फलाहार किया जाता है।

5. तीजा :–

तीजा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भाई अपने विवाहित बहनों को घर बुलाकर लाता है, रात्रि में विवाहित महिलाएं गीत भजन गाती है और अपने–अपने पति के लम्बे आयु के लिए माता पार्वती की पूजा कर प्रार्थना करती है। पूरे दिनभर उपवास करने के बाद अगले दिन व्रत तोड़ती है।

लगभग सारे व्रत, त्यौहार और उपवास अन्य जातियों द्वारा भी मनाये जाते है।

भूत–प्रेत, टोना, मंत्र संबंधी विश्वास :–

भैना जनजाति में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है वह भूत प्रेत बनकर भटकते है। अकाल मृत्यु होना जैसे–दुर्घटना, ऊंचाई से गिर जाना, हत्या, आत्महत्या, आग से जल जाना, जंगली जानवरों के आक्रमण से, सांप के कांटने से या अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाये और उनकी आयु पूरी नही हुई रहती है तो शेश बची हुई आयु भूतप्रेत बनकर भटकते है, उनकी आयु पूरी होने पर ही उनके कर्मो के अनुसार मनुष्य या अन्य प्राणी के रूप में जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है वह व्यक्ति प्रेत बनता है, परन्तु जो व्यक्ति दुष्ट, बुरा काम करने अर्थात आयु पूरा होने के बाद भी हो तो वह भूत बनता है। भूत की अपेक्षा प्रेत अधिक शक्तिशाली होते है। यह अधिक सताने वाला और परेशान करने वाले होते है। दुराचारी, कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नही हुई रहती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वह मरने के बाद "शैतान" बन जाता है

और मरने के बाद भी लोगो को परेशान करता है। उसी प्रकार विवाहित स्त्री जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वह मरने पर "प्रेतनी" बन जाती है, यदि किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाये तो उसे गांव दूर अलग जगह दफनाया जाता है, भैना लोगो का यह मानना है कि मरने के बाद वह "चुड़ैल" बन जाती है।

प्रायः भूत–प्रेत, शैतान, चुडैल, प्रेतनी इन सभी का निवास स्थान बहुत दिनों से खाली पड़ा घर, शमशान, नीम का पेड़, इमली का पेड़, पीपल, सुखा कुंआ, खण्डहर आदि माना जाता है, कोई भी आत्मा किसी को बिना वजह परेशान नही करती। अनजाने मे भूत–प्रेत वाले स्थान में खेल–कूद, बदमाशी या अनावश्यक कार्य, छाया के हल्के होने पर ये आत्माएं उन्हे पकड़ लेते है और उन्हे परेशान करने लगते है। कई बार मरने के पहले की दुश्मनी को मरने के बाद भूत–प्रेत बनने बे बाद परेशान करके निकाली जाती है। कभी–कभी कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है जो लोगो की मदद भी करते है, जिन व्यक्तियों को भी यह बुरी आत्मा पकड़ लेती है उनके शरीर मे घुसकर यह सारे बुरे काम करवाती है। गाली–गलौच, चिल्लाना, दूसरे के आवाज में बात करना आदि करती है। वे आत्माएं कई गुना शक्तिशाली होती है।

टोना, जादू एवं मंत्र :–

भैना समाज में आज भी अंधविश्वास व्याप्त है, भैना लोग यह मानते है कि टोना में शक्ति का निवास है और वे उनके प्रति विश्वास करते है, महिलाओं की अपेक्षा पुरूष जादू–टोना में ज्यादा विश्वास करते है, मामुली सी तबियत खराब होने पर भी ओझा–गुनिया के पास जाते है और झाड़–फूक कराने में विश्वास रखते है। बकरे, मुर्गी की बलि चढ़ाते है, किसी मनुष्य को भूत–प्रेत लगने, रोग (बीमारी) लगाने, जान से मारने के लिए की जाने वाले मंत्र के प्रयोग को होना कहा जाता है। आत्मा से परेशान देवी–देवताओं को मंत्र द्वारा मनाने की कोशिश की जाती है ताकि वह व्यक्ति अपनी परेशानी से मुक्ति पा सके। इन सब टोना, मंत्र आदि के लिए बैगा के पास जाते है जो कि झाड–फूक आदि भी करता है किसी को जब भूत–प्रेत या आत्मा पकड़ लेता है और उसे परेशान करने लगता है देवी–देवता के नाराज होने पर बैगा पूजा बलि आदि देकर उन्हे परेशानी से मुक्ति दिलाता है। बैगा मात्र दारू, गांजा, बलि, पैसा जो

वह परिवार देना चाहे वह ही लेता है। बैगा पैसा नही मांगता है। भूत–प्रेत आदि का प्रकोप मिटाने के लिए बैगा झाड–फूक करता है। मंत्र पढ़कर वह ताबिज भी पहनने के लिए देता है, जिससे भूत–प्रेत नजर आदि नही लगती है। ऐसी मान्यता है।

मृत्यु व पुनर्जन्म संबंधी विश्वास :–

भैना जनजाति में पुनर्जन्म संबंधी विश्वास पाया जाता है। इनका मानना है कि इस जन्म में मृत्यु के बाद मनुश्य अपने पुण्य–पाप कार्य के फल के अनुसार, जानवर, कीड़े, पतंगा, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेते है। अकाल मृत्यु होने वाले व्यक्ति भूत–प्रेत, मसान, प्रेतनी, चुड़ैल आदि बनते है। कई बार मनुश्य अपने बच्चों के रूप में पुनः उसी घर या सगे संबंधी के घर जन्म लेते है।

शकुन–अपशकुन :–

कोई भी शुभ कार्य व यात्रा के समय शुभ व अशुभ का विचार किया जाता है। भरा हुआ घड़ा, दूध पिलाती गाय, बच्चे के लिए स्त्री, ब्राम्हण का मिलना, आदि मिले तो शुभ एवं खाली पड़ा घड़ा, बिल्ली का रास्ता काटना, लोमड़ी सियार का होना, विधवा स्त्री, बांझ स्त्री, काना व्यक्ति का मिलना आदि को अशुभ माना जाता है। शुभ लक्षण के कार्य पूर्ण जल्दी होते है एवं अशुभ लक्षण के कार्य सिद्ध नही पाते ऐसा इनका मानना है।

स्वप्न संबंधी मान्यता :–

भैना जनजाति स्वप्न से वास्तविकता का पूर्ण लक्षण मानते है। कोई घटना का संकेत ईश्वर स्वप्न के द्वारा देता है ऐसा मानना है। गाय,ब्राम्हण, खेत, शव आदि देखना शुभ तथा भूतप्रेत, भैंस,बिल्ली, मृत्यु को प्राप्त आदि अशुभ मानते हैं। यदि पूर्वजों को घर के बच्चों के रूप में आना हो तो वे भी स्वप्न देकर आते है। देवी–देवताओं की मनौती पूरी न होने पर वे भी स्वप्न में कहते है ऐसा मानना है।

अध्याय 8 लोक परम्पराएं

भैना जनजाति के द्वारा लोकनृत्य, लोकगीत, संगीत, कहावतें आदि गाये जाते है। बच्चे मनोरंजन हेतु अनेक प्रकार के खेल भी खेलते है।

बोली :–

भैना जनजाति के लोग ग्राम में तथा अन्य जातियों से वनगंवा छत्तीसगढ़ी बोली में बातचीत करते है। लोगों से छत्तीसगढ़ी भाषा में ही बात करते है। भैना समाज में अधिकांश लोग हिंदी समझ लेते है, घर के बड़े–बुजुर्ग हिन्दी भाषा को समझते है किन्तु बोल नहीं पाते है। कुछ पढ़े–लिखे लोग ही हिंदी बोल पाते है।

लोकगीतः–

भैना जनजाति का लोकगीत छत्तीसगढ़ी में होते है। इनके लोग गीत जैसे, दीवाली के दिन गाया जाने वाले गौरा गीत, होली में गाया जाने वाला ददरिया जो युवा लड़के व लड़की एक दूसरे के प्रश्न उत्तर के रूप में गाते है, इसके अतिरिक्त कर्मा गीत, बार गीत, सुवा गीत, झंडा गीत, भोजली आदि गीत प्रमुख है।

लोकनृत्यः–

भैना जनजाति के लोग बिंझवार, गोंड़ आदि जनजातियों के साथ मिलकर करमा नाचते है। होली के अवसर पर डंडा नृत्य करते है। इसे सिर्फ पुरूष ही करते है। दीपावली के समय महिलाएं सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करती है। इसके अलावा भैना लोगों में गौरा नृत्य, गेड़ी नृत्य, रथ नाचा आदि प्रचलित है।

संगीतः–

भैना जनजाति में नृत्य एवं भजन आदि के समय मांडर, झांझ, मंजिरा, ढोलक आदि संगीत के प्रमुख साधन है।

लोक कथाएंः–

भैना जनजाति में अनेक लोक कथाएं प्रचलित है जिसे रात्रि में बैठकर या सायंकाल या वर्षा के दिन निदाई करते हुये, रोपा लगाते हुए अथवा दादा–दादी अपने नाती–पोतो को घर रखवाली करते हुए सुनाते है।

भैना जनजाति में अनेक लोक कहावते प्रचलित है कृषि से संबंधित लोकोत्यिां इस प्रकार है।

(1) **" गेहूं बोवे चना दरावे**
धान गाहे, मक्का निरावे
ऊख कसोये और पानी दिलाये "

इसका अर्थ यह है कि गेहूं के खेत बार–बार जोतने से चना को खोदने से, धान को बार–बार पानी देने से मक्का को निराने से, ऊख बोने व पानी दिलाने से लाभ होता है।

(2) **"तेरह कार्तिक**
तीन आषाढ़
जो चूका सो गया बासार

इसका अर्थ खेत को कार्तिक में और आषाढ़ में तीन बार जोतना सही है। नही तो बाजार में खरीदना पड़ता है।

उसी प्रकार बड़े बुजुर्ग लोग कुछ लोक कहानियां भी सुनाते है सो कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति या दादा–दादी से सुनकर हस्तान्तरित होती रहती है।

पहेलियां:–

भैना जनजाति में एक व्यक्ति अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नवयुवक अपनी प्रेमिकाओं, एवं नवयुवतियों अपने प्रेमी के बुद्धि परीक्षा हेतु समय व्यतीत करने के उद्देश्य से कई पहेलियां पूछते है। जिसमें उस वस्तु के बारे में संक्षेप में बताते है किन्तु दिशा निर्देश दूसरे वस्तु या सदृश्यता के आधार पर होता है।

खेलकूद व मनोरंजन के साधन:–

भैना जनजाति में बच्चे मनोरंजन के लिए गिल्ली डंडा, पत्थर के टुकड़े पिठ्ठुल, कबड्डी, पच्चीसा, गोबरिया, जुर, भौरां, गाड़ी, लड़कियां, नदी पहाड़, कीतकीत, रस्सी लगाकर झूला झूलना आदि पसंद करते है, इसके साथ ही रामायण प्रवचन, नवधा, नाटक देखना, गांव के मेले आदि प्रमुख मनोरंजन के साधन है।

अध्याय 9 परिवर्तन

कोई भी समाज चाहे वह आदिम हो या आधुनिक, ग्रामीण हो या शहरी, कृषक समाज हो या औद्योगिक समाज इनमें परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है। किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती हो तो किसी समाज में अत्यंत धीमी। समाज में किसी भी सांस्कृति पक्ष में परिवर्तन करने से संस्कृति के अन्य पक्ष भी उससे प्रभावित होते है। जनजातियों के निवास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन केन्द्र शासन व कई स्वयं सेवी संस्थाये आदि कार्य कर रही है। इनके प्रयासो से आर्थिक शैक्षणिक विकास हुआ है जो अन्य पक्ष जैसे सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक लोक परम्पराओं को भी प्रभावित किया है।

भैना जनजाति में परिवर्तन निम्नलिखित है :–

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन :–

1 पहले भैना जनजाति का घर मिट्टी का बना होता था जिसके छप्पर घास–फूस आदि से बना होता था, परन्तु अब बहुत से लोग अपना घर, ईट, सीमेंट छड़ रेत आदि से पक्का मकान बनाने लगे है तथा देशी खपरैल, टाईल्स के बनाते है। पहले गावों में बिजली नही होती थी लोग लालटेन, दीया बाती, चिमनी का उपयोग करते थे। अब प्रत्येक गांव में बिजली लग गई है। गांवों में बच्चों की शिक्षा हेतु पाठशाला भवन भी अधिकांश गावों में बन गये है।

2. घरेलु उपयोगी वस्तुओं में पहले अधिकांश बर्तन मिट्टी के होते थे, परन्तु वर्तमान समय में एल्यूमिनियम, स्टील, पीतल, कांसे व चीनी–मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगे है। पहले ढेकी मूसल आदि से अनाज कूटते थे एवं कुटेला से अनाज पीसा जाता था परन्तु अब गावों में आटा चक्की, खाना बनाने के लिए गोबर गैस, एच.पी.गैस, ईंडेन गैंस आदि का उपयोग करने लगे है। पहले घरों में खाट होती थी जो रस्सी से बुनी होती थी, अब कई घरों में सूती व प्लास्टिक के निवाड़ों से बना पलंग देखने को मिलता है। कुछ स्थानों में लकड़ी से निर्मित सोफा पलंग भी देखने को मिलता है। पहले बैठने व पढ़ने के लिए घरों में कुर्सी टेबल नहीं होता था परन्तु आज लोहे या प्लास्टिक की कुर्सी

टेबल के साथ–साथ लकड़ी के सोफा–सेट का भी उपयोग होने लगा है।

3. पहले लोग शरीर की साफ–सफाई पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। रोज स्नान नहीं करते थे, किन्तु अब शिक्षा के प्रसार के कारण प्रायः स्नान करने लगे है। तथा नहाने के लिए साबुन का उपयोग होने लगा है। कपड़े धोने के लिए साबुन, डिटर्जेन्ट पावडर व धोने का सोडा आदि का उपयोग होने लगा है। स्त्रियां अपने बालों को धोने के लिए शेम्पू का भी उपयोग करने लगी है।
4. भैना जनजातियों के लोगों के स्त्री–पुरूषों के वस्त्र विन्यास में भी परिवर्तन आया है। पहले स्त्रियां, लुगड़ा, अंखिया, छीर आदि पहनती थी। अब साड़ी, ब्लाउज, लहंगा आदि पहनती है। पुरूष धोती कमीज, बंडी पहनते थे। अब कुर्ता, पायजामा, पेन्ट शर्ट, जींस आदि पहनते है। पहले लड़किया छीर, फ्राक पहनती थी अब कई लड़किया स्कर्ट, कमीज,सलवार सूट, जींस टाप आदि पहनती है।
5. स्त्रियों के गहनों के बनावट में भी परिवर्तन आया है। पहले स्त्रियां पैर में तोड़ा,पैरी आदि पहनती थी अब पैरों में पैर–पट्टी भी पहनते है। पैरों के अंगुली में बिछिया, कान, नाक में सोने की बनी नथरिंग टाप आदि पहनते है। गले में मंगल सूत्र पहनती है।
6. गुदने की डिजाइन में भी काफी परिवर्तन आया है। अब वर्तमान परिवेश में आकर्षक डिजाइन बनाने लगे है। नवयुवक युवतियां अब विभिन्न प्रकार के टेटू अपने शरीर पर बनाने लगे है।
7. अब भैना जनजाति के परिवारों मे घड़ी, रेडियो, टी.वी., सायकल, मोटर सायकल, कम्प्यूटर आदि का उपयोग होने लगा है।
8. वर्तमान में भैना जनजाति के भोजन संबंधी आदतों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पहले अधिकांश लोग, मांस–मछली का अधिक उपयोग करते थे। शिकार प्रतिबंधित होने से मांस की मात्रा कुछ कम हुई है। अधिकांश लोग मांस–मछली खाना छोड़ दिए है।

2. आर्थिक जीवन में परिवर्तन :–

1. भैना जाति की आर्थिक जीवन का आधार अर्थोपार्जन का संकलन व शिकार करना था, किन्तु वर्तमान में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, मजदूरी व वनोपज संग्रह कर बेचना है। शासन के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण शिकार नही करते।
2. भैना जनजाति के लोग स्थाई कृषि करते है, स्थाई कृषि मुख्यतः मोटे धान, पतले धान, मक्का, उड़द, सरसो, जगनी, गेंहू आदि बोते है। कुंआ, तालाब, नहर, मोटर पंप, ये भी सिंचाई के साधन है।
3. भैना जनजाति के लोग पहले खेतो में उर्वरक का उपयोग नही करते थे परन्तु वर्तमान में गोबर की खाद व शासन द्वारा प्राप्त डी.ए.पी., यूरिया आदि अनेक खाद भी खेतों में डालते है, जिसके कारण खेतो में उत्पादन की मात्रा भी पहले की अपेक्षा बढ़ी है।
4. वनोपज मौहा, तेदूपत्ता, हर्रा, बहेरा, सरई आदि को पहले स्थानीय व्यापारियों के पास कम दामों में बचते थे परन्तु अब वन विभाग व सहकारी संस्थाओं द्वारा वनोपज की खरीदी की जाती है, जिससे उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा सुधरी है।
5. वर्तमान में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा योजना, कुंआ खोदना, ग्राम सड़क योजना नरेगा आदि में इन्हें अच्छी मजदूरी प्राप्त हो जाती है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

3. सामाजिक स्थिति में परिवर्तन :–

1. पहले अंतर्जातीय संबंधों के अंतर्गत छुआछूत, ऊंच–नीच का भेदभाव बहुत था, वर्तमान में छुआछूत पहले की अपेक्षा कम हुआ है।
2. जजमानी प्रथा में कमी आई है, धोबी, लोहार, नाई, कुम्हार, कोटवार को पहले काम के बदले वर्ष में अनाज दिया जाता था परन्तु अब अनाज के अतिरिक्त नकद रूपये, पैसे देने लगे है।
3. पहले संयुक्त परिवार को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी परन्तु अब केन्द्रीय

या विभक्त परिवार होती है।

4. राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन :–

पहले जाति पंचायत का प्रभार अधिक था परन्तु अब धीरे–धीरे जाति पंचायत का प्रभाव कम होता जा रहा है। कई शिकायतों के निबटारे के लिए अब अदालत व पुलिस के पास जाने लगे है। ग्राम पंचायतों के चुनाव अब विभिन्न राजनैतिक पार्टियों जैसे–कांग्रेस, भाजपा दल आदि के नाम पर होते है।

5. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन :–

भैना जनजातियों में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है स्त्रियों में भी पहले की अपेक्षा शिक्षा का प्रतिशत काफी बढ़ा है। कई शासकीय विभागों में इन जनजातियों के स्त्री–पुरूष उच्च पदों पर है।

6. जीवन चक्र में परिवर्तन :–

1. पहले बच्चे लंगोट, कुर्ता आदि पहनते थे परन्तु अब पेंट, शर्ट, फ्राक, स्कर्ट, कमीज, सलवार आदि पहनते है।
2. पहले विवाह की उम्र बहुत कम थी 10–12 के लड़के–लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था परन्तु अब लड़कियों का विवाह 18 वर्ष एवं लड़को का विवाह 21 वर्ष की उम्र में होने लगा है।
3. दूल्हा–दुल्हन के वस्त्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है दूल्हा अब धोती–कुर्ता के साथ पेन्टशर्ट कोट आदि तथा दुल्हन साड़ी, ब्लाऊज, चुनरी आदि पहनती है। बारात पहले पैदल या बैलगाड़ी में ले जाते थे परन्तु अब जीप, बस आदि में ले जाते है।
4. पहले स्त्रियों का प्रसव स्थानीय "सुईन दाई" की सहायता से कराते थे परन्तु अब अस्पताल में नर्स की देखभाल में प्रसव कराया जाने लगा है शासन द्वारा जननी योजना भी चलाई जा रही है। प्रत्येक गांव में शासन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो की स्थापना की गई है, जिससे गर्भवती महिला को पौश्टिक आहार प्रदान किया जाता है। बच्चो के नाम में भी काफी परिवर्तन आया है।

7. धर्म एवं जादू के क्षेत्र में परिवर्तन :–

1. पहले लोग भूत–प्रेत, टोना–जादू में अधिक विश्वास करते थे। परन्तु शिक्षा के प्रसार से इस संबंध में मान्यताएं नई पीढ़ी में कम हो रही है। पहले बीमार व्यक्ति का ईलाज झाड़–फूक तंत्र–मंत्र से कराया जाता था, परन्तु अब चिकित्सक का सहयोग लिया जाता है।
2. कई परिवार देवी–देवताओं की पूजा में बकरा मुर्गी के बलि के बदले में नारियल अगरबत्ती आदि चढ़ाते है।
3. परंपरागत देवी–देवताओं के साथ–साथ हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा होने लगी है।

8. लोक–कलाओं में परिवर्तन :–

नवयुवको व शिक्षित लोगो में नृत्य संगीत में रूचि कम हुई है। कई परिवार के लड़के लड़कियां अब नाच गाना छोड़कर फिल्म देखना, गीत गाना पसंद करते है। आजकल टेलीविजन पर अनेक पारिवारिक सीरियल देखने को मिलता है, जिसे देखना पसंद करते है।

अध्याय 10 समस्याएं

भैना जनजाति की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है :–

1. आर्थिक समस्याएं :–

अधिकांश भैना जनजाति कृषि पर आश्रित है तथा अधिकांश परिवारों की खेती असिंचित है, जिससे फसल पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है। वर्षा की कमी के कारण कम फसल पैदावार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई के साधन न होने के कारण वर्षा के फसल के बाद कृषक बेकार हो जाते है। कृषक कृषि की उन्नत तकनीक से अनभिज्ञ है। उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक व वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कम करने से आर्थिक उत्पादन कम होता है। इनके पशु देशी नस्ल के व कमजोर होते है अतः पशुपालन की स्थिति व उनसे होने वाले लाभ जैसे दूध का उत्पादन कम होता है तथा अच्छे नस्ल के बैल भी तैयार नही हो पाते।

भूमिहीन व्यक्तियों को वर्षा ऋतु में कुछ दिनों का ही कार्य मिल पाता है वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर ये लोग शहरों की ओर मजदूरी हेतु पलायन करते है। इस क्षेत्र में उद्योगो की कमी के कारण खेती के बाद व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। बैकों से आसानी से कर्ज आदि भी नही मिल पाता है। अतः ये लोग अपनी खेती को कुआं पम्प, बैल की अच्छी नस्ल लेकर उन्नत नही कर पाते है।

2. सामाजिक समस्याएं :–

अधिकांश लड़के–लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है, जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक दृष्टि से परिपक्व नही होते है कम उम्र में विवाह होने के कारण गर्भधारण होने से बच्चा एवं मां का शरीर भी कमजोर होता है, जिससे दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज में आज भी छुआछुत का प्रचलन है उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगो के साथ खाना–पीना, उठना–बैठना आदि भेदभाव देखने को मिलते है। पहले संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक था परन्तु वर्तमान में समाप्त होते जा रहा है। एकल परिवार का प्रचलन अधिक होने से आपसी मतभेद को बढ़ावा मिलता है आपसी सहयोग की भावना कम होती जा रही है। समाज में शराब पीना एक दुर्व्यसन है। बच्चे का जन्म होने पर उसे शराब से पैर धोने व बच्चे को चखाने की प्रथा

होने से बचपन से बच्चें को शराब की आदत हो जाती है, जिससे उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

3. धार्मिक समस्याएं :–

भैना जनजाति में त्यौहारों एवं उत्सवों के अवसर पर देवी–देवताओं को मुर्गा–बकरा आदि की बली दी जाती है, जिसके कारण इनको ऋण लेना पड़ता है।

4. शैक्षणिक समस्याएं :–

शैक्षणिक दृष्टि से भैना जनजाति में शिक्षण का प्रतिशत बहुत कम है। शिक्षण के प्रति इनमें अभिरूचि भी कम दिखाई पड़ती है। शहर से दूर होने व आवागमन के साधन कम होने के कारण उच्च शिक्षा का अभाव होता है लड़कियां भाई–बहनों को संभालने या खेती के काम के कारण स्कूल नही जा पाती अतः स्त्रियों के शिक्षण का प्रतिशत अति अल्प है।

5. स्वास्थ्य संबंधीः–

स्वच्छ पीने के पानी के अभाव में इन्हे दूषित जल का सेवन करना पड़ता है। आज भी इनमें स्वच्छता साफ–सफाई के प्रति ज्ञान नही होने से हेंडपंप का पानी न पीकर कुआं, नदी, तालाब आदि का पानी उपयोग करते है, जिससे उल्टी, दस्त, टायफाइड, मलेरिया आदि रोग हो जाते है।

बच्चों में टीकाकरण का अभाव पाया जाता है, जिससे बच्चों को डिथिरिया, काली खासी, टिटनेस, खसरा, चेचक, पोलियो हो जाता है। कई बच्चें असमय काल कलवित हो जाते है।

बच्चों व स्त्रियों में कुपोषण विशेष रूप से दिखाई देता है एवं कुपोषण जन्य रोग भी मिलता है जो एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। गावों में उचित चिकित्सा की सुविधा की कमी के कारण लोग बीमारी से ग्रसित होते है समय पर ईलाज न होने से असमय मृत्यु हो जाती है। बीमारी होने पर ये लोग देवी–देवता का प्रकोप समझकर झाड़–फूंक, तंत्र–मंत्र आदि में विश्वास करते है। अंधविश्वास के कारण रोगी की असमय ही मृत्यु हो जाती है।